

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

सब्जी और फलों के अक्तूबर महीने में महंगे होने से

खुदरा महंगाई दर 16 माह के उच्च स्तर पर

नई दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा)।

फल, सब्जियों, दालों के दाम बढ़ने से अक्तूबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ती हुई 4.62 फीसद पर पहुंच गई। यह इसका 16 महीने का उच्च स्तर है। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

ऊंची खुदरा मुद्रास्फीति को देखते हुए रिजर्व बैंक की अगले महीने होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में कटौती को लेकर गुंजाइश काफी कम रह गई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) आधारित मुद्रारफीति इससे पिछले महीने

आतंकवादियों ने की

पुलवामा में दुकानदार

की हत्या

जम्म्-कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार

को आतंकवादियों ने एक दुकानदार की हत्या

कर दी। अधिकारियों के मृताबिक,

आतंकवादियों ने मेहराजउद्दीन को दक्षिण

के बाद पुलवामा में सेना ने बड़ा तलाशी

अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों के

मुताबिक, बुधवार की शाम अवंतिपोरा के त्राल

में अपनी दुकान पर **बाकी पेज 8 पर**

कश्मीर के त्राल इलाके में

मेहराजउद्दीन त्राल के

निवासी थे। मौके पर ही

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

तलाशी अभियान दी।

शुरू किया



आलोच्य महीने के दौरान, सब्जियों के दाम में वृद्धि सितंबर के 5 40 फीसद से बढ़कर

26.10 फीसद तथा फलों की मुद्रास्फीति 0.83 फीसद से बढ़कर 4.08 फीसद पर पहुंच गई। *इसी तरह* अनाजों, मांस एवं मछली तथा अंडों के दाम क्रमश: 2.16 फीसद, 9.75 फीसद और 6.26 फीसद बढ़े।

मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य समूह की मुद्रास्फीति सितंबर के 5.11 फीसद से उछलकर अक्तूबर में 7.89 फीसद पर पहुंच बाकी पेज 8 पर

सितंबर में 3.99 फीसद और एक साल पहले अक्तूबर माह में 3.38 फीसद थी। इससे पहले जून 2018 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.92 फीसद की ऊंचाई पर पहुंची थी।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन

विदेश मंत्री जयशंकर का रामनाथ गोयनका स्मारक व्याख्यान आज

नई दिल्ली, 13 नवंबर (ईएनएस)।



2016 में एक्सप्रेस समूह की स्थापना के दुकानदार की मौत हो गई। इस आतंकी वारदात 25 साल पूरे होने पर यह स्मारक व्याख्यान शुरू किया गया था। इससे पहले तीन व्याख्यान रघुराम राजन (तब के आरबीआइ गवर्नर), प्रणब मुखर्जी (तब के राष्ट्रपति) और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई (अब के मुख्य



विदेश मंत्री एस जयशंकर देश विदेश नीति को एक नई शक्ल सूरत देने में पूरी तरह जुटे हैं।

न्यायाधीश) की ओर से दिया गया। चौथे व्याख्यान के तौर पर जयशंकर इस बार 'बियांड द दिल्ही डोग्मा : इंडियन फॉरेन पालिसी इन ए चैंजिंग वर्ल्ड विषय पर अपनी बहुमूल्य राय रखेंगे। व्याख्यान के बाद जयशंकर, द इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर और बाकी पेज 8 पर

आरटीआइ के दायरे में सीजेआड़ कार्यालय

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली 13 नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सार्वजनिक प्राधिकरण है और वह सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के निर्णय को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और शीर्ष अदालत के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी की अपील खारिज कर दी।

यह व्यवस्था देते हुए संविधान पीठ ने आगाह किया कि सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल निगरानी रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है और पारदर्शिता के मुद्दे पर विचार करते समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ध्यान में रखना चाहिए। यह निर्णय सुनाने वाले संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमृति संजीव खन्ना शामिल थे।

संविधान पीठ ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए की गई सिफारिश में सिर्फ जजों के नामों की जानकारी दी जा सकती है लेकिन इसके कारणों की नहीं। प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक फैसला लिखा। जबिक न्यायमूर्ति एनवी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचड ने अलग निर्णय लिखे। अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण पहलू है और प्रधान न्यायाधीश के

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण पहलू है और प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय से जानकारी देने के बारे में निर्णय लेते समय इसमें और पारदर्शिता के बीच संतुलन कायम करना होगा।

प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आने का मुद्दा आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने उटाया था।

कार्यालय से जानकारी देने के बारे में निर्णय लेते समय इसमें और पारदर्शिता के बीच संतुलन कायम करना होगा।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता को साथ-साथ चलना है। न्यायमूर्ति रमण ने न्यायमूर्ति खन्ना से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि निजता के अधिकार और पारदर्शिता के अधिकार व न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच संतुलन के फार्मूले को उल्लंघन से संरक्षण प्रदान करना चाहिए। हाई कोर्ट ने 10 जनवरी, 2010 को कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है और न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं है बल्कि उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

88 पेज के इस फैसले को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केजी बालाकृष्ण के लिए व्यक्तिगत रूप से एक झटका माना जा रहा है क्योंकि वे सूचना के अधिकार कानून के तहत जजों से संबंधित सूचना की जानकारी देने के पक्ष में नहीं थे। हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें दलील दी गई थी कि प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने से न्यायिक

यह फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे। जबिक इसके एक अन्य सदस्य न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन शीर्ष अदालत के न्यायाधीश बाकी पेज 8 पर

स्वतंत्रता प्रभावित होगी।

सफर ने जारी किए आंकड़े

दिल्ली में प्रदूषण सूचकांक फिर गंभीर स्तर पर

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 13 नवंबर।

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली/बेंगलुरु, 13 नवंबर।

की सरकार बनी थी।

15वीं विधानसभा

दिल्ली व एनसीआर में सबसे अधिक वायु प्रदूषण चांदनी चौक में है। बुधवार को प्रदूषण का सूचकांक बेहद गंभीर स्थिति 751 तक पहुंच गया। यह स्तर एनसीआर के राज्यों का सबसे अधिक दर्ज किया गया। इसी तरह हवाईअड्डा, नोएडा, मथुरा रोड और गुरूग्राम में भी यह स्तर 500 से अधिक दर्ज किया गया। ये आंकड़े सफर ने जारी किए हैं। इस गंभीर हालत के बाद आम जनता को प्रदूषण वाले क्षेत्रों से दूर ही रहने बाकी पेज 8 पर

कर्नाटक के 17 विधायकों

की अयोग्यता बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के 17

अदालत ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष

बाकी पेज 8 पर

केआर रमेश कुमार के आदेश का वह हिस्सा

निरस्त कर दिया जिसमें इन विधायकों को

दिल्ली में आज और कल बंद रहेंगे स्कूल - विस्तृत खबर पेज 4 पर

'जापानी तकनीक की संभावना तलाशे केंद्र'

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हाइड्रोजन आधारित जापानी प्रौद्योगिकी अपनाने की व्यावहारिकता तलाशी जाए। बाकी पेज 8 पर

कुलभूषण को दीवानी अदालत में अपील की इजाजत देने की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 नवंबर।

पाकिस्तान में मृत्युदंड का सामना कर रहे विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया कुलभूषण जाधव को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ एक दीवानी अदालत में अपील दायर लेकिन राज्य में 15 सीटों के लिए पांच दिसंबर को होने वाले आगामी उपचुनाव में हिस्सा लेने करने का अधिकार देने की इजाजत देने के का उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया। अयोग्य लिए थल सेना कानून में संशोधन की तैयारी ठहराए गए विधायको के विद्रोह के कारण कर रहा है। वहां के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी और भाजपा में इस आशय की रिपोर्ट आई है। हालांकि, दिन भर चली इस तरह की खबरों को लेकर शाम

पाक थल सेना कानून में संशोधन की कवायद में जुटी इमरान सरकार *पाक सेना* ने कहा, संशोधन नहीं होगा, कई और कानूनी विकल्पों पर विचार

किया जा रहा है।

संशोधित कानून में सैन्य अदालतों द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दीवानी अदालतों में समाधान मांगने बाकी पेज 8 पर

विश्व मधुमेह दिवस

25 वर्षों में यह रोग 64 फीसद बढ़ा

पूरी पीढ़ी को खोखला कर रहा मधुमेह

को पाकिस्तानी फौज ने कहा कि थलसेना

कानून में संशोधन नहीं होगा, लेकिन जाधव के

मामले में कई और कानूनी विकल्पों पर विचार

नई दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा)।

डायबिटीज देश में तेजी से बढने वाली बीमारियों में से एक है। एक शोध की मानें तो पिछले 25 बरस में इस बीमारी के मामलों में 64 फीसद इजाफा हुआ है और विशेषज्ञ इस बढ़ोतरी को देश की आर्थिक प्रगति के साथ जोड़कर देख रहे हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि आने वाले छह बरसों में देश में इस बीमारी के मरीजों की संख्या 13.5 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, जो वर्ष 2017 में 7.2 करोड थी।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंस्टीट्यट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवेल्यएशन और पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की



इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड एवेल्यूएशन और पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की नवंबर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 25 बरस में भारत में डायबिटीज के मामलों में 64 फीसद का इजाफा हुआ।

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पर नजर डालें, तो 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 24, 867 रुपए थी, जो 2016 में बढ़कर 1,09,000 हो गई। इसका सीधा अर्थ है कि खुशहाली बढ़ने के साथ साथ मधुमेह के रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं।

नवंबर 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पर नजर डालें, तो पिछले 25 बरस में भारत में डायबिटीज के 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 24, 867 मामलों में 64 फीसद का इजाफा हुआ। अब रुपए थी, जो

बाकी पेज 8 पर



Get dazzling Glamour with...

अधिक समय तक चलने वाला प्रीमीयम क्वालिटी साबुन

किसी महिला को और कोई बात उतना खूबसूरत नहीं बनाती, जितना कि खुबसुरत होने का उसका विश्वास । यही विश्वास उसकी आंतरिक सौंदर्यता को बाहर निखारता है। No Scars सौंदर्य साबुन आपकी त्वचा को मुलायम व आकर्षक बनाने में मदद करता है। No Scars के तत्व ही इसे एक बेहतरीन नमी प्रदान करने वाला और हर प्रकार की त्वचा को पोषण देने वाला बनाता है।



NO SCARS

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: +91 97792 14455 / care@torquepharma.com

नई दिल्ली

जनसत्ता

क्लासाफाइड

ट्यक्तिगत

Santosh Rana W/o Virender Singh rana R/O 176/ GH-4 meera apartmentpaschim vihar new delhi 110063, declare that I have changed my name from Santosh rana to santosh devi for all future 0130013482-1 purposes.

, Service No-14633288Y, Rank-Hav, Name-Manoj Kumar Singh S/o Naipal Singh R/o Village-Jaisinghpur, Post Varigawan, Thana-Pilua, Tehsil & Distt. Etah (UP) Pin Code-207120 state that actual name of my minor son is Lucky (DOB 09-03-2002) whereas in service record the same has been mentioned as Luckey which may be correct-

, Satishkumar Singh Pruthwiraj Singh S/o Pruthwiraj Singh R/o-Flat no-101, Tower-F, Godrej-frentier, Sector-80, Gurgaon, have changed my name to Satish Pruthwiraj Singh. 0040519932-9

0040519900-1

ed as Lucky.

, Sarvesh Kumari, W/o Rakendra Singh, R/o Flat No-12, Vandana Apartment, Plot-42, I P Extension, Patparganj, Delhi-110092, have changed my name to Sarvesh Singh. 0070683223-1

, Sanjay Kumar Mendiratta S/O-Ishwer Das Mendiratta R/O-29A, First/Floor, GaliNo-3, Laxman-Park, Chander-Nagar, Krishna-Nagar Delhi-110051. Have Changed My Name To Sanjay Mendiratta.

0040519932-4 I, Sana Mushtaq W/O Mohd

Danish R/O-E-142. Street No-9. Bhaira Gali, Jagjeet Nagar, New Usman Pur, Delhi-110053.Changed My Name To 0040519955-9 , Saatvik S/o Naresh Kumar

Basal R/o 108-109, G/F, Pocket-14, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Saatvik Bansal. 0040519930-3

, Ronald Tigga, S/O John Gerald Tigga R/O-B-70/A, First-Floor, Dayalbagh-Colony, Surajkund, Faridabad, Haryana-121009. Changed My Name To Ronald Francis 0040519974-1

, Reena W/O Deepak Kumar, H.No-A-2/245, Paschim Vihar, Delhi-110063. Have Changed My Minor Daughter Name From Aarchi To Aarchi Bansal. 0040519930-10

, Reena W/O Deepak Kumar, H.No-A-2/245, Paschim-Vihar, Delhi-110063. Have Changed My Minor son's Name From Aakash To Aakash Bansal. 0040519932-10

, Reena @Reena Arora W/o, Prem Singh R/o-B-8/41, Laroyian Mohalla, Nawanshahr, Shaheed Bhagat-Singh Nagar, Punjab-144514 have changed my name to Teipal Kaur.

0040519934-7 , Ramesh Verma S/O Daulat Ram. R/O G-5/9, U.G.F, Malviya Nagar, New Delhi-110017, changed My Name To Ramesh Kumar Verma. 0040519955-7

, Rakender Singh, S/o Jagjit Singh, R/o Flat No-12, Vandana Apartment, Plot-42, I P Extension, Patparganj, Delhi-110092, have changed my name to Rakendra Singh.

0070683224-1

0040519924-2

l, Raj Pal S/o Gorkha R/o 106/11 Adarsh Nagar Sonipat have changed my name to Rajpal chauhan for all pur-0040519930-2

, Raj Kumari Mathur W/o Late Shri Ramesh Kumar Mathur R/o B-11/8010, Vasant Kunj, New Delhi-110070, have changed my name from Rai Mathur to Raj Kumari Mathur for all future purposes.

I, Pooja Bansal W/o Amit Agarwal R/o D-16/239, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Pooja Aggarwal permanently.

0040519934-1 , Pinki Kour W/O-Balvinder Singh R/O-50, Block-E, Ranjeet Vihar, Nilothi Extn, Nangloi

Delhi 110041, Have Changed My Name To Pinky Kaur. 0040519974-2

t is for general information that I SUNIL KUMAR S/o Late Shri Basnat Singh R/o H.No.B-43, Block-B, Unchepar, Mandawali Fazalpur, Delhi-110092, inform that my minor son's name wrongly written as KANISHK in school record T.C.No.538. The actual name of my son is KANISHK KUMAR, which my be amended

accordingly. 0040519908-1 **.Nitu** Chhabra D/o Kewal Krishan Tuli W/o Ajay Kumar Chhabra R/o-4/787 Gali No.13, Bholanath Nagar, Shahdara. Delhi-110032, have changed my name to Anita Chhabra for all purposes., Nitu Chhabra

& Anita Chhabra is one & the same person. 0040519929-3 ,Nisha Singh W/o Shikhar Deep R/o E-74, Sector-50, Noida(U.P.) have changed my daughter's name from Myra to Myra Singh for all future

epaper.jansatta.com

purposes.

0040519924-1

I,Indu Shekhar S/O Balmukund Mishra R/O-3/3, Palika Nikunj, Harish Chander Mathurlane, Janpath, Newdelhi-110001.Changed my Nameto Indu Shekhar Mishra. 0040519932-6

I, Yogender Kumar Verma S/o Ajit Kumar R/o H-295, Raj Nagar 2, Gali No. 6, Palam Colony, ND-45, have changed my name to Yogender Verma. 0040519905-1

I, Trilochan Singh Banga, S/o Makhan Mal, R/o 636/4, Old No-251, Jheel Kuranja, Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Trilochan Singh. 0070683221-1

I, Tanuj S/O Anup Singh R/O-Wz-61 Main-Bazar Near-Badi Chopal Shadipur-Village Patel Nagar Delhi-110008. Have Changed My Name To Tanuj 0040519932-5

I, Sumit Bhati, S/o Rajendra, R/o Tilpata Karanwas, Gautam Buddha Nagar, UP-201306, have changed my name to Sumit. 0070683226-1

I, Sorabh Gupta S/o Mr Mahesh Gupta R/o 55, Goodwill Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi, have changed my name to Sourabh Gupta for all purposes. 0040519770-1

I, Silky Dhuper W/o Rajeev Kumar R/o House No.256-257, Second-Floor Pocket-8 Sector-23 Rohini Delhi-85 have changed my name to Silky 0040519955-3 Wadhawan.

I, Shahid Ali, R/o-474/7, Sitapur Road, Wali Badar Apartment, Khadra, Nirala Nagar, Lucknow-226020 Inform that have changed my elder son named Shah Noor (aged 8 years) to new name Jannatul Ali, So in future he will be identified by his new name Jannatul Ali in all future pur-0060070770-2

I, hitherto Known as Pravendra Kumar Jatav S/O Govind Singh Nihal R/O H.No.268 near Aya Nagar bus stand Aya Nagar New Delhi-110047 have changed my name and shall hereafter be known as Pravendra Nihal. 040519974-8

I, Sachin, S/o Subhash Rana, R/o Gali No-7, Village Mamura, Sector-66, Noida-201301, have changed my name to Sachin Rana 0070683225-1

I, Parul W/o Aman, R/o H.No.1093-50, St-Johns Church Compound Ward No.1, Mehrauli, Delhi-110030 have changed my name to Praveen

for all future purposes.

I. Nirmal W/o Surender Singh R/o C-47, East Sagar Pur, Delhi-110046 have changed my name to Narbada perma-0040519934-2 nently.

0040519901-1

I, Neeraj Goswami S/o Harpal Goswami R/o Flat No.703A, Tower-1, Panchsheel Wellington, Crossing Republik, Ghaziabad, UP-201016 have changed my minor daughter's name from Sia Goswami to Yuvina Goswami whose age is 8

I, Narinder Pal S/o Surender Pal R/o-F-2/100, 3rd-Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Narender Bhatia. 0040519932-1

I, Naresh Kumar, S/o Prem Singh, R/o DC-994, Dabua Colony, Faridabad-121001, have changed my name to

Naresh Chauhan. 0070683220-1

0040519954-1

I, Narender Mohan S/o Girdhari Lal Kapoor, R/o 64-B, Street No.12, Sarojini Park, Shastri Nagar, Delhi-110031, have changed my name to Narender Mohan Kapoor for all purposes. 0040519902-1

I, Mona D/O Avtar Singh R/o 2039/26, Tughlakabad Extn, New Delhi-110019 Changed My Name To Mona Singh. 0040519955-6

I, Manoj Kumar S/o. Sh. Lal Mohan R/o-132 Block-O, Delta-3, Greater-Noida, U.P.-201306.have changed my name to Manoj Kumar Prasad for all purposes. 0040519930-8

I, Kiran Kumari W/o Pramod Rai R/o Flat no. 151, Sfs Mukherjee Nagar, Delhi-110009. Have Changed My

Name To Kiran Rai. 0040519932-7

0040519929-2

0040519929-1

I, Kailash Kumar Somani R/o C-140, 3rd Floor, Surajmal Vihar Delhi-110092 have changed my minor son's name from Aditaya Somani to Aditya Somani. 0040519947-1

I. JC+379395K, Rank-SUB(JE NE) Dharm Nath Singh R/o-House No.-DT 2224 Post-Dhurwa Tehsil-Namkum Distt.- Ranchi (Jharkhand) Pin-834004. Have Changed My minor son's Name From Subham to Shubham for all future pur-

poses. I, Hitherto known as Harshit Rathor S/o Yogander Singh Rathor Residing at-45/4 Gali No.14, East Azad Nagar Delhi-110051, have changed my name and shall hereafter be known as Harshit Singh

I, Harsimrat Gujral S/o Charanjit Singh Gujral H no. 2/2, Singh Sabha-Road, Shakti Nagar, Delhi-110007. Changed my name to Harsimrat Singh 0040519932-8 Gujral.

Rathor.

I, Harpreet Singh S/o Shamsher Singh R/o-23/12-B 3rd-Floor Tilak-Nagar Delhi-110018. Changed my name to Harpreet Singh Dullat.

i, Hargun Singh S/o Harmeet Singh Luthra R/o B-38A, B-Block, Sushant Lok-1, Chakarpur (74), Gurgaon-122002 have changed my name to Hargun Singh Luthra, for all purposes. 0040519898-1 I, Firoz Khan S/o Zakir Hussain

0040519932-2

Extension, Badarpur, New Delhi-110044, have changed my name to Firoz for all future purposes. 0040519930-5 I, Bhavana Rikhari D/o Harish Chandra Rikhari W/o Krishan

R/o-2779A, E2-68, Molarband-

Chandra Tripathi R/o 42-B, RG Block, Gali no.7, Sangam Vihar, Kakrola Road, Najafgarh, Delhi-110043, have changed my name as BHA-VANA TRIPATHI. 0040519903-1

I, Kapil S/O Vijay Pal, H.No-14, Main Mathura Road, Badarpur, New Delhi-110044 Changed My Name To Kapil 0040519955-8

I, Bharat Ratan S/o Late. Shri.Puni Ram R/o-F-53. Aruna-Nagar Majnu-Ka-Tila, Delhi-110054.have my Name in some of my records-Wrongly Mentioned as Bharat instead of Bharat Ratan. I inform that Bharat Ratan and Bharat both are name of the same person.

I, Azad Singh S/O Sahi Ram H.No-213, Shahpur Jat Village, New Delhi-110049., Have Changed My Name To Azad Singh Panwar. 0040519955-10

0040519955-5

I, Anu Juneja w/o Shashikant Juneja R/o-Flat.No. 665, GH-13, Paschim-Vihar, N.Delhi-110087, have changed my name to Anuradha Juneja permanently. 0040519932-3

I, Abhimanu S/o Rampat R/o VPO Kamashpur Sonipat have changed my name to Abhimanu Kaushik for all pur-0040519930-1 poses.

I. Aaditva Sharma. S/o Kailash Sharma, R/o Flat No. 36, Pocket-1, Phase-2, Sector-13, Dwarka, New Delhi 110075, DOB: 09 Dec. 1993, have changed my name from Aaditya Sharma to Adhitya Sharma for all purposes. 0070683178-1

I Shekhar Kashyap S/O Virendra Narayan R/O-H-2/25B, H-2-Block, Mahavir Enclave. New Delhi-110045 Have Changed my Name to Shekhar. 0040519930-7

I Satpal Singh Ghotra S/o Surjeet Singh Add- Village New Niharsi, PO-Udaipur, Ambala-City, Haryana-134003. changed my name to Satpal Singh. 0040519955-1

I Satishkumar Singh Pruthwiraj Singh s/o Pruthwiraj Singh r/o-Flat No-101, Tower-F, Godrej-frentier, Sector-80, Gurgaon have changed my name to Satish pruthwiraj Singh. 0040519955-4

I Rahul S/O Pawankumar, A-629, A-Block Jahangirpuri Delhi-33 Have Changed My Name To Rahul Kumar Dubey Permanently. 0040519930-6

I KM Neelam W/o Vinod Mamgain R/o 65, Pocket-3C, Sector-16B Dwarka Delhi have changed my name to Ritu

Mamgain. 0040519930-4 I Ashish Kumar S/o Ramesh Chandra Sharma R/o-Flat.No-A1/606,Tower-2, Silver-City-2, Wipro Campas, Sec-Pi2, Greater Noida-201310, UP have

changed my name to Ashish Kumar Sharma. 0040519930-9 I Ahmed Afzal S/o Mohd Imran R/o 148, Basti Hazrat Nizamuddin West New Delhi-13 have changed my name from Ahmed Afzal to Mohd

0040519911-1 I Pavleen Kaur Chandhok, W/o Tarandeep Singh Chandhok R/o-Plot No.34-35, Partap-Nagar Hari-Nagar Delhi, have changed my name to Pavleen 0040519955-2

Afzal for All future purposes.

Kaur. I, Kishan Chauhan S/o Raj Kishor Chauhan R/o H.No.222, Band Gali, near Mohan Baba Mandir Mandawali, Fazalpur, Delhi-92, Confirm that my name has been wrongly written as Kishan Chauhan instead of Krishna Nandan Chauhan. Correct name of mine is Krishna Nandan Chauhan. 0040519153-4

खोया+पाया

I. Hitherto Known As Devika D/o Sohan Lal And W/o Barkat R/o H-409, Shakurpur Jj Colony, Delhi-110034, Do Hereby Solemnly Affirm And Declare The I Have Embraced Islam And Renounced **Hinduims With Effect From** 27/04/2015. 0040519974-9

I, Kaushal Kumar S/o beer Kumar Singh. R/o-1090 Arjun camp Mahipalpur new Delhi-110037. Have lost my original certificate class-12th year-2016 Rollno-9753739 CBSE-Delhi. 0040519974-7

I. PRINCE Kaundal S/o Ravi kumar R/o-H.no-23A phase-2, New-T-block St.no-6 Uttamnagar, Delhi-59. Have lost my original certificate class-10th year-2006 Roll no-6147628 CBSE-Delhi. 0040519974-6 I, ABHAY S/o virender Singh R/o-15/33 Kalyanpuri, Delhi-91 have lost my original-certificate & marksheet Class-10th(2014) Rollno-8606519 class-12th(2016) Rollno-9604553 CBSE-Delhi.

I, RAMESHWAR S/o Tulsi Parsad R/o-ward,no-10 Rajeev-colony sonipat haryana.have lost my original-certificate class-10th year-2018 Rollno-8656026 CBSE-Delhi. 0040519974-4

I, Shilpa Gupta (formerly known as Shilpa Sareen) D/o Shri Sudhir Sareen R/o 44/A Amrita Shergil Marg, New Delhi-110003 have lost my class X marksheet/ Grade sheet and other documents Roll No. 6124974 CBSE Board of 1991, LR No. 1873349/2019. 0040519927-1

PUBLIC NOTICE My client JAGMOHAN SINGH S/O SH. SADHU SINGH R/O FLAT NO. 245, GALI NO. 68, BHAGAT VIHAR, DELHI, have allottee of Flat No. 85, First Floor, Pkt-D, Under LIG Category, Situated at Lok Navak Puram, Delhi. My client has lost his original allotment letter and challans in respect of above said flat and my client lodge the NCR/FIR in Crime Branch, Police station Delh regarding the said documents.

SIDHANTH ANTIL (ADVOCATE) CH. NO. 623, ROHINI COURT,

PUBLIC NOTICE The General Public is hereby informed that my client has entered into a contract to purchase the below mentioned schedule of property from its owner Viz. M/s South Ex Finvest Pvt. Ltd. having its registered office at C-35 SOUTH EXTENSION PART 1, NEW DELHI 110049 through its authorized representative Mrs. Kusum Batra (Director) W/o Mr. Satish Batra.

If anybody is having any objection, claim, interest, dispute for the above intended sale transaction, he/she/they may contact the undersigned with the documentary proof substantiating his/her/their objections/claims/details of dispute/s within seven (7) days from the date of this publication, failing which my client will proceed to complete the sale transaction with the above owner as if there are no third party claims/ objectives/ disputes will be entertained. SCHEDULE OF PROPERTY

Fully Constructed House on Residential Plot measuring 395.68 sq. Yards bearing No. 12, on Road No. H 5, situated in the residential colony known as "DLF City (earlier known as Qutub Enclave Complex) Phase I, Gurugram, situated at Village Sikanderpur Ghosi, Tehsil & District: Gurugram, Haryana.

Sd/- Rajbir Singh (Advocate) 809/5, Gali No.4, Patel Nagar, Gurgaon-122001, Ph:9818214284 Date: 13/11/2019

आवश्यक सचना

सुचित करना है कि मेरे प्लाट संख्या B-1/19, सेक्टर-D प्रियदर्शिनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ का एलाटमेंट लेटर वास्तव में कहीं खो गया है। किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा उपरोक्त का प्रयोग पूर्णत : अवैध होगा।

शिव विशाल सिंह पुत्र स्व0 हुबदार सिंह निवासी 69, साहबगंज, फैजाबाद

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरी मुविक्कलगण श्रीमती अनुराधा, पत्नी श्री अशोक कुमार तंवर, निवासी मकान नं. WZ-184, गल नं. 4, लाजवंती गार्डन, नई दिल्ली-110046 अपने छोटे पुत्र सुशांत तंवर और उसकी पत्नी देपिका को उनके गलत आचरण, दुर्व्यवहार तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उनसे अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुए उन्हें अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और आज के बाद मेरी मुवक्किलग उनके किसी भी अच्छे बुरे कार्य या लेन-देन व लिये जिम्मेदार नहीं होंगी। MUKUL GIRDHAR & ASSOCIATES

CHANGE OF NAME SINGH and W/o AMIT KUMAR FAB Centre, Santhome Junction, Kochi, Ernakulam, Kerala, 682507 India, and permanent resident of D/o Úmesh Singh (Dalan par), Vill and Po: Sonbarsa, Ballia, Uttar Pradesh - 277208, India, changed m name from GUNJITA SINGH to

SUNITA SINGH vide affidavit dated

06.11.2019 sworn before Notary MONCY JACOB. Henceforth, I shall be

known as SUNITA SINGH for all

purposes

ADVOCATES AND LEGAL ADVISORS

110 SUNEJA TOWER-2, DISTRICT CENTRE, JANAK PURI, NEW DELHI

110058, PH: 9811572430

सार्वजनिक सचना रतदुद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल कर्मवीर जैन पुत्र श्री अजीत प्रसाद जैन एवं सरोज जैन पत्नी कर्मवीर जैन दोनों निवासी म.न. 171/16, ओंकार नगर बी, त्रीनगर दिल्ली-110035, ने अपने पुत्र साहिल जैन उम्र 20 वर्ष को उनके दुराचरण, दुर्व्यवहार एव असमाजिक गतिविधियों में रहने के कारण अपर्न समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर संबन्ध विच्छेद कर लिए हैं। भविष्य में उनकी गतिविधिये एवं किसी प्रकार का लेन-देन के प्रति मेर्र मुविक्कल एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- सुचना —

संजीव जैन

अधिवक्त

D/226/1991

सूचित करना है कि मैनें अपनी पुत्री का नाम म्स्कान यादव को बदलकर सुष्टि यादव रख दिया है। भविष्य में उसे सुष्टि यादव के नाम से

जाना व पहचाना जाये।

मनोज कुमार यादव पुत्र श्री जगदेव यादव निवासी E-4413, सेक्टर-12, राजाजीपुरम, लखनऊ।

न्यायालय का फैसला तत्कालीन अध्यक्ष व सिद्धरमैया की 'साजिश' के खिलाफ : येदियूरप्पा

बंगलुरु, 13 नवंबर (भाषा)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केआर रमेश कुमार और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया की 'साजिश' के खिलाफ आया फैसला बताया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि भाजपा सभी 15 सीटों पर जीतेगी। उन्होंने कहा कि अयोग्य विधायकों को टिकट देने के बारे में फैसला पार्टी लेगी। येदियुरप्पा ने कहा, 'सारा देश इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने सिद्धरमैया के साथ मिलकर साजिश रची लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में स्पष्ट फैसला दिया।'

Form No. 5 **Debts Recovery Tribunal**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007 (Areas of Jurisdiction : Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply & Appearance by publication

DATED: 02-11-2019 (Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993) Original Application No. 523 of 2019

STATE BANK OF INDIA Versus Sri Sudhir Kumar Srivastava

....Defendant

& Another

 Sri Sudhir Kumar Srivastava, son of Sr Har Govind Sahai, resident of SKD-1009 Shipra Krishna Vista, Ahimsha Khand Indirapuram, Ghaziabad-UP, Also at: B-94 Rajajipuram, Lucknow. Also at: Flat No. 1701, Tower-K, 7th Floor, AVJ Heights, Plot No. GH-12/2, Sector Zeta-1, Greater Noida-UP. Also at: Smart Collaborative Solutions India Pvt. Ltd, 238, CRM Digital "Synergies Building, Udyog Vihar, Phase-

IV, Gurgaon. 2. M/s. AVJ Developers (India) Pvt. Ltd through its authorized signatory Sr Dibyajyoti Mishra, Registered and Corporate Office at D-237, 1st Floor, (Back side) Vivek Vihar, Phase-1, Delhi-110095.

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through you duly authorized agent or legal practitioner in this tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 22-01-2020 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

PARTICULARS

Total Income from Operations

Paid-up Equity Share Capital

(face value of Rs.10/-each)

Basic (Rs.)

PLACE: AGRA

DATED: 13.11.2019

Net Profit for the period (before Tax,

Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit for the period before Tax (after

Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit for the period after Tax (after

Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period

[Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)

and Other Comprehensive Income (after tax)]

Earning per share (Quarterly not annualised)

Registrar Debts Recovery Tribunal, Lucknow

Form No. 5 **Debts Recovery Tribunal**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007 (Areas of Jurisdiction: Part of Uttar Pradesh) Summons for filing Reply & Appearance by publication

No... DATED: 02-11-2019 (Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 Read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rule, 1993) Original Application No. 521 of 2019

STATE BANK OF INDIA

Versus Sri Sumanta Bag & Another

1. Sri Sumanta Bag son of Sri Gopal Chandro, resident of SRA 108, B Shipra Riviera, Gyan Khand-III, Indirapuram Ghaziabad-201001. Also at: C/o M/s Genpact India, 8th Hour, Delhi IT Park Shastri Park, Delhi-110053. Also at: Flat No. 1604, Tower-F, 16th floor, AVJ Heights, Plot No. GH-12/2, Sector Zeta-1 Greater Noida-UP-201308. Also at Village-Khastika, PO Bakrahat, District 24 Pargana(s), West Bengal-743377.

2. M/s. AVJ Developers (India) Pvt Ltd. through its authorized signatory Sri Anurag Agrawal, Registered and Corporate Office at D-237, 1st Floor, (Back side) Vivek Vihar. Phase-1, Delhi- 110095.

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on 22-01-2020 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence Registrar

PEE CEE COSMA SOPE LTD

Regd. Office: PADAMDEEP, 5th & 6th Floor, G-10/8, Sanjay Place, Agra-282002 Tel.: 0562-2527330/31/32, Fax: 0562-2527329, E-mail:pccosmalisting@doctorsoap.com

CIN: L24241UP1986PLC008344, Website: www.doctorsoap.com

Quarter Ended

2105.41

138.14

138.14

108.48

108.48

264.63

4.10

4.10

30.09.2019 30.06.2019

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPT. 2019

UNAUDITED)

1829.12

31.54

264.63

1.20

1.20

Notes: (1) The detailed Unaudited Financial Results and this extract results were reviewed and recommended by the Audit

Committee and approved by the Board of Directors in their Meetings held on November 13, 2019. (2) The above is an extract of

the detailed format of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and six months ended September

30, 2019 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and six months

ended September 30, 2019 are available on the websites of Stock Exchange (www.bseindia.com) and the Company's website

(www.doctorsoap.com). (3) An Independent Auditors Review Report as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed on detailed Unaudited Financial Results for

the quarter and six months ended September 30, 2019 filed with the Stock Exchanges. (4) Figures for the previous period have

GIVING CONTINUOUSLY TRUSTWORTHY RESULTS

पैन इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड

(CIN:- L72200DL1984PLC017510)

पंजी. कार्याः 711, 7वां फ्लोर, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

ईमेलः srgltd@gmail.com, वेबसाइटः http://www.panindiacorp.com, फोन न0.: 011-43656567

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए

स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्धरण

(सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2017 के विनियम 47 (1) (बी) के अनुसार)

समाप्त

विमाडी 30

सितम्बर,

2019

been regrouped wherever necessary, to conform to the current period's classification.

विवरण

अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर, अपवादात्मक

कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर,

कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर.

अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/हानि

(कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल)

भुगतान- इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मुल्य 10/- प्रत्येक)

पिछले वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट के रूप में दिखाया

प्रति शेयर आय (ईंपीएस) (रू. 10/- के प्रत्येक) (जारी व

अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)

अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)

गया रिजर्क्स (पुनर्मुल्यांकन रिजर्क्स को छोडकर)

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

डी) उपर्यक्त अवधि के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट की गई है।

सी) कंपनी केवल एक सेगमेंट में काम करती है।

प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)

बंद प्रचालनों के लिए)

ए. बेसिकः

स्थानः नई दिल्ली

विधिः 13.11.2019

नोदसः

बी. डायल्युटिडः

और/या असाधारण मदों से पहले)

Debts Recovery Tribunal,

Half Year Ended

(UNAUDITED) (UNAUDITED) (UNAUDITED) AUDITED)

3934.53

183.50

183.50

140.02

140.02

264.63

5.30

30.09.2019 30.09.2018 31.03.2019

3942.71

223.72

223.72

148.79

148.79

264.63

5.60

For & on behalf of the Board

ASHOK KUMAR JAIN

(Executive Chairman)

DIN: 00113133

(राश क लाखा म)

समाप्त

तिमाही 30

सितम्बर,

2018

PEE CEE COSMA SOPE LIMITED

शिवसेना की कांग्रेस-राकांपा के साथ सरकार बनाने की कोशिशें 'अग्निपथ': राउत

मुंबई, 13 नवंबर (भाषा)।

शिवसेना के बीमार चल रहे नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में हाल तक अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों कांग्रेस और राकांपा के साथ सरकार गठन के उनकी पार्टी के प्रयासों के मद्देनजर मुश्किल राह का संकेत देते हुए बुधवार को तीन बार 'अग्निपथ' शब्द ट्वीट किया। ाउत ने मंगलवार को कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियों के हवाले से कामयाब होने और हार न मानने के अपने पार्टी के संकल्प को दोहराया था। बहरहाल, उन्होंने बधवार को टवीट किया, 'अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ...।' 'अग्निपथ' प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की मशहर कविता है। यह 1990 के दशक में आई हिंदी ब्लॉकबास्टर फिल्म का टाइटल भी है जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया था। फिल्म में दिखाया गया था कि नायक न्याय की खातिर कई मुश्किलों का सामना करता है।

गर्व इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L74990DL2017PLC324826, पंजीकृत कार्यालय : बी 101, फेज 1, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 ई-मेल : accountsl@hardwyn.com, वेबसाइट : www.garvindustries.com

> दुरभाष : 011-23629277 सदस्यों को सूचना

एतहारा सचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबन्धन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 110 एवं अन्य प्रयोज्य कानुनों के तहत कम्पनी पोस्टल बैलट जिसमें दिनांक 12 नवम्बर, 2019 को पोस्टल बैलट सूचना (''पोस्टल बैलट सूचना'') में निर्धारित विशेष प्रस्ताव(वों) के परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान (''रिमोट ई-वोटिंग'') शामिल है, के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना चाह रही है।

कम्पनी ने 13 नवम्बर, 2019 को पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा स्व-पता लिखित पोस्टेज प्रीपेड व्यापारिक प्रत्युत्तर लिफाफे सहित पोस्टल बैलट की सूचना भेजने का कार्य पूरा कर लिया है। पोस्टल बैलट सूचना तथा बैलट प्रपत्र उन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेजे गये हैं जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता के मामले में)/कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अन्तरण एजेंट (भौतिक शेयरधारिता के मामले में) के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों के ई–मेल पते पंजीकृत नहीं हैं उनके पास पोस्टल बैलट सूचना की कागजी प्रतियाँ अनुमत्य माध्यम से भेजी गयी है।

कम्पनी ने ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्काईलाइन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड (''स्काईलाइन'') को नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग हेतु प्रक्रिया पोस्टल बैलट सूचना में उल्लिखित है।

जिस व्यक्ति का नाम शुक्रवार, 08 नवम्बर, 2019 (कट-ऑफ तिथि) तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची मे प्रदर्शित है वे पोस्टल बैलट सुचना में निर्धारित प्रस्ताव(वों) पर पोस्टल बैलट/रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अधिकारी होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी का सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से

अन्य विवरण निम्नलिखित हैं :

।. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शुक्रवार, 15 नवम्बर, 2019 (9.00 बजे प्रातः) प्रारम्भ होगी और शनिवार, 14 दिसम्बर, 2019 (05.00 बजे अपराह्न) तक खुली रहेगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग स्काईलाइन द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। 2. शनिवार, 14 दिसम्बर, 2019 को 05.00 बजे अपराहन के पश्चात प्राप्त पोस्टल बैलट प्रपत्र को माना जायेगा कि सदस्य रं

3. सदस्य मतदान का केवल कोई एक माध्यम अर्थात या तो पोस्टल बैलट द्वारा या रिमोट ई-वोटिंग माध्यम चन सकता है यदि कोई सदस्य दोनों माध्यमों से अपना मतदान करता है तो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा किया गया मतदान मान्य होगा और पोस्टल 4. जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट सचना नहीं प्राप्त हुई है अथवा उन्हें यह ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुई है और जो भौतिक प्रारूप में मतदान करना चाहते हैं वे पोस्टल बैलट प्रपत्र ई-मेल या वेब लिंक www.garvindustries.com से सम्बद्ध

लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पोस्टल बैलट सूचना प्रदर्शित की गयी है तथा बैलट प्रपत्र को भरकर और हस्ताक्षरित करके भेजें अथवा इस प्रकार भेजें कि यह शनिवार, 14 दिसम्बर, 2019 तक या इससे पूर्व संवीक्षक के पास पहुँच जाये। 5. ई–मतदान सम्बन्धी किसी पृछताछ/शिकायत के लिए सदस्य सम्पर्क कर सकते हैं : स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153ए, प्रथम तल, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020. 6. पोस्टल बैलट के परिणाम शनिवार, 14 दिसम्बर, 2019 को चेयरपर्सन अथवा चेयरपर्सन द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति

सहित संवीक्षक का प्रतिवेदन कम्पनी की वेबसाइट www.garvindustries.com पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

तिथि : 13.11.2019 स्थान : नई दिल्ली

₹in Lacs

Year Ended

7620.76

404.83

283.65

283.65

264.63

10.70

C lassifieds

कृते गर्व इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

रूबलजीत सिंह सयाल

डीआईएन : 00280624

प्रबन्ध निदेशक

EXPRESS EDUCATION

RAMESH SINGH'S

McGraw-Hill writer

New batch: Nov. 15-Dec. 30 [2.30-4.45pm] Answer Writing Proctice | Tests | Model Answer support

Admission on 'first-come-first-served' basis Next similar batch: Mar. 02-Apr. 15 (2.30-5.00pm) 4A/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, Near Shankar Road, N. Delhi- 60 www.rameshsingh.org | ph. 98182-44224; 80767-48812



ALL ASPIRANTS INVITED FOR OPEN TEST (GS PAPER-I) TO UNDERSTAND INTRICACIES OF PRELIMS.

(WHO HAS SCORED MORE THAN IAS RANK-1 IN PRELIMS GS PAPER-I FOR

DISCUSSION BY DR. K.K.

4 YEARS CONSECUTIVELY) @ 3 PM GS Mains Preparatory TEST SERIES 2020

TH

Nov.

SUNDAY

8 1:30 to 2:30 PM

DISCUSSION

Nov.


@ 11:00 AM

24TH NOV. MODE ONLINE/OFFLINE PUBLIC ADMIN

CLASSROOM PROGRAMME by M.K. MOHANTY

Email: info@synergy.edu.in | Website: www.synergyraftar.com 16-A/2, IST FLOOR, AJMAL KHAN ROAD, W.E.A. KAROL BAGH, NEW DELHI-05

PH.: 011-25744391, 9870146185 LAW AMBITION



TEST SERIES **NEW BATCH**

Toll Free No.: 1800-12000-2001

32-B, 3rd Floor, Pusa Road, Near Metro Pillar No. 122, New Delhi- 110005

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

के लिए स्टैंडअलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और बी) पिछले वर्ष के आंकड़े जहां भी जरूरी हो, पुनःसमूहित, पुनःवर्गीकृत और पुनरावृत्ति किए गए हैं। कृते और निदेशक मंडल की ओर से कते पैन इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड हस्ता/-ओमप्रकारा रामरांकर पाठक

(0.0028)

(0.0028)

नई दिल्ली

(प्रबंध निदेशक)

DIN: 01428320

0.0034 0.0024 0.0024 0.0034 ए) 13 नवम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में ऊपर दिए गए 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही

(अनं के सित) (अनं के क्षित) (अनं के सित) 9.09 6.98 6.98 9.09

छमाही 30

सितम्बर,

2019

(6.05)(6.05)5.17 (6.05)7.28 7.28 5.17 (6.05)21425.65 21425.65 21425.65

DEC. FOR JUDICIARY

8800662140, 011-49841810

www.ambitionlawinstitute.com

नई दिल्ली

न्यूनतम- 14.2 डि.से.

जनसत्ता, नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2019 3

मुख्यमंत्री बोले, नहीं करें योजना का विरोध

वई दिल्ली (

जरूरी हुआ तभी बढ़ाएंगे सम-विषम'

भाजपा ने दी उदय योजना की जानकारी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 नवंबर।

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आपात स्थिति तक पहुंच गया है। प्रदूषण के बढ़े स्तर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरत होने पर सम-विषम की व्यवस्था को बढाया जा सकता है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की है कि वे इस व्यवस्था का विरोध न करें। दिल्ली वाले सम-विषम की व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को भी इस मुहिम के समर्थन में आना चाहिए। बुधवार को ही दो दिन की राहत के बाद सम-विषम की व्यवस्था लागू हुई है और

इसे अभी 15 नवंबर तक चलाया जाना है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या इस योजना को आगे विस्तारित किया जाएगा, यह पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत हुई तो हम इसे (सम-विषम योजना) आगे बढ़ाएंगे। खेतों में पराली जलाए जाने और विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण पिछले 15 दिनों में प्रदूषण स्तर तीसरी बार 'आपात' श्रेणी में पहुंचने की आशंका है। प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। प्रदूषण के मामले में मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पंजाब व हरियाणा के विभिन्न उद्योगों से बातचीत की है। एनटीपीसी यह पराली खरीदने के लिए तैयार है। इसका प्रयोग कोयले की जगह पर किया जा सकता है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह इसे प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करे। इसकी मदद

कच्ची कॉलेनियों को पक्का कराने के लिए

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) व आम आदमी

पार्टी (आप) के बीच राजनीतिक घमासान तेज

हो गया है। बुधवार को भाजपा के नेताओं ने

दिल्ली भर में कच्ची कॉलोनियों में एक विशेष

अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आम

जनता को प्रधानमंत्री उदय योजना की

जानकारी गई। इसका मकसद जनता को यह

बताना था कि कॉलोनियों को केंद्र सरकार

नियमित करने जा रही है। वहीं अब 16 नवंबर

सुनंदा पुष्कर मामले के आरोपी और कांग्रेस

के पूर्व केंद्रीय मंत्री शिश थरूर ने दिल्ली की

अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी है।

सुनंदा पुष्कर मामले में आरोपित शशि थरूर की

तरफ से दायर आवेदन में उन्होंने तीन देशों में

जाने के लिए इजाजत मांगी है। उन्होंने कहा कि

उन्हें कुछ खास मौके पर बाहर तीन देशों में जाना

है। इसी मामले में इसके लिए उन्होंने अदालत को

रुख किया है। इस मामल में गुरुवार को सुनवाई

होगी। अदालत में लगाई अपनी अर्जी में थरूर ने

कहा है कि उन्हें नवंबर और दिसंबर में तीन देशों

बहुमंजिला इमारत के विरोध में

उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

डीयू परिसर में प्रस्तावित उपराज्यपाल से मिलने से मना

ANNA INFRASTRUCTURES LIMITED CIN: L65910UP1993PLC070612

बहुमंजिला इमारत के विरोध में कर दिया लेकिन लगभग दो घंटे बुधवार को विश्वविद्यालय के की जद्दोजहद के बाद वे मिले विद्यार्थियों और शिक्षकों ने और इस मामले की जांच कराने

उपराज्यपाल के आवास तक का वादा किया।

साइकिल मार्च किया।

उपराज्यपाल निवास पहुंचने

पर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से

को 'आप' धोखा दिवस मनाएगी।

जनसत्ता संवाददाता

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

मोहल्ला क्लीनिक पहुंचे केजरीवाल

मुख्यमत्री केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक आम जनता को 🔰 निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। वे दक्षिणी दिल्ली, ग्रेटर कैलाश में 🔼 मोहल्ला क्लीनिक की जांच



से पंजाब व हरियाणा में रोजगार के भी रास्ते खुलेंगे। इसके अतिरिक्त इस पराली का प्रयोग सीएनजी निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। इन कदमों पर केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली वाले प्रदूषण के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे हैं। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। 10 अक्तूबर को दिल्ली में साफ हवा दर्ज की गई थी। इसके बाद से धीरे-धीरे प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और हालत यह हैं कि गंभीर स्थिति तक पहंच गया है।

देवली में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने

कहा कि दिल्ली की अनिधकृत कॉलोनी में रह

रहे 40 लाख से अधिक लोगों सम्मानित जीवन

देने के लिए कोशिश की है। इस मामले में अब

तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी केवल छल

कर रही थी। आज तक इन कॉलोनियों में

सड़क, सीवर, पक्की गलियां, कूड़ाघर,

अस्पताल समेत जरूरी स्थल नहीं हैं। इन

कॉलेनियों में करीब 40 लाख मतदाता हैं। आने

वाले दिनों में भाजपा की योजना है कि सभी

कच्ची कॉलोनियों में किए गए कामों को लेकर

केंद्र सरकार की योजना की जानकारी दी जा सके। इसका लाभ आगामी विधानसभा में पार्टी

की यात्रा करनी है। वे 14 से 18 नवंबर के बीच

दुबई, 15 से 17 दिसंबर के बीच ओमान और 28

दिसंबर को मैक्सिको की यात्रा पर रहेंगे। लिहाजा

इसकी इजाजत दी जाए। दरअसल इस मामले में

थरूर जमानत पर हैं। उन्हें जमानत देते समय

अदालत ने शर्त लगाई थी कि देश बाहर जाने से

हैं। इस मामले में पाकिस्तान की पत्रकार मेहर

तरार का नाम भी सामने आ चुका है। बताया

जाता है कि पाकिस्तानी पत्रकार के साथ थरूर के

रिश्ते की बात को लेकर ही सुनंदा पुष्कर

मानसिक रूप से परेशान रहती थीं।

बता दें कि 2014 में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर आरोपी

पहले इसकी इजाजत अदालत से लेनी होगी।

को मिल सकेगा।

प्रदूषण के नाम पर औद्योगिक इकाइयों से धनवसूली गलत: कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 नवंबर।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने बुधवार को आरोप लगाया कि प्रदूषण वाली इकाइयों को बंद करने की आड़ में राजधानी में चल रही गैर प्रदूषित इकाइयों को सीलिंग की धमकी देकर अधिकारी न केवल तंग कर रहे हैं बल्कि इसकी आड में अवैध

रूप से धनवसुली की जा रही है। चोपडा ने एक बयान जारी कर कहा कि राजधानी के बवाना, मुडका, हस्तसाल, नंगली, मायापुरी व अन्य सरकार की ओर से मंजूरसुदा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण न फैलाने वाली इकाइयों मे जबरन अधिकारी घुस रहे हैं और फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों को आतंकित करके उनसे घूस वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों से मुलाकात की है और इस आश्य की शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में पहले से ही बेरोजगारी की समस्या है और गैर कानूनी तरीके से गैर प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई से दिल्ली में बेरोजगारी बढ़ेगी।

चोपड़ा व प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने

• औद्योगिक इकाइयों के मालिकों व मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है : सुभाष चोपड़ा

यह भी कहा कि दिल्ली सरकार व दिल्ली नगर निगम के अधिकारी प्रदूषण फैलाने के नाम पर जबरन लोगों के घरों में घुस रहे हैं और अगर कोई मकान मालिक अपने घर में सफेदी भी करा रहा है तो उसे प्रदूषण के दायरे में लाया जा रहा है। दोनों ने यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली में शादी विवाह में भी अधिकारी बाधा डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं।

कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जहां एक ओर आतंक फैला रहे हैं। वहीं, इसकी आड़ में अपने हितों को भी साध रहे हैं। लिहाजा, पार्टी ने इस मामलें में दिल्ली के उपराज्यपाल से शिकायत करने का निर्णय लिया है और एक विस्तृत पत्र उपराज्यपाल को भेजा जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अगर दिल्ली सरकार और नगर निगम ने दमनकारी नीति बंद नहीं की, तो कांग्रेस उद्यमियों व मजदूरों के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेगी।

प्रदूषण से बचाने का इंतजाम करे दिल्ली सरकार: भाजपा

29 नवंबर से शुरू होगी नर्सरी दाखिले की दौड़

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

जनसत्ता संवाददाता

शुरू हो रही है।

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को मांग की है कि गंभीर प्रदूषण और तेज इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और ठंड दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बेघर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब 1600

निजी विद्यालयों में नर्सरी में प्रवेश की प्रक्रिया 29

नवंबर से शुरू होगी। इस बार प्रवेश की प्रक्रिया

पिछले सालों के मुकाबले करीब 15 दिन पहले

(डीओई) ने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है,

जिसके मुताबिक आवेदन जमा करने की अंतिम

तारीख 27 दिसंबर है। चयनित बच्चों की पहली

और दूसरी सूची 24 जनवरी और 12 फरवरी को

जारी की जाएगी। प्रवेश की प्रक्रिया 16 मार्च को

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय

है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के

माध्यम से आश्रयविहीन लोगों को मास्क वितरित कर और रेनबसेरों में आश्रय प्रदान कर उन्हें प्रदुषण और ठंड से बचाएं। उन्होंने कहा कि एक स्वयं सेवी संस्था की ओर से अनुमान के मुताबिक दिल्ली की सड़कों ठंड से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द पर 2.5 लाख लोग बसते हैं, जबकि दिल्ली सरकार के रेनबसेरों में 17945 लोगों की व्यवस्था है, जो काफी नहीं है। इनमें साबन, रजाई, कम्बल, शोचालय, इत्यादि की व्यवस्था नहीं है।

पूरी होगी। प्री-स्कूलों, प्री-प्राइमरी और कक्षा

एक में 25 फीसद सीट आर्थिक रूप से कमजोर

वर्ग/ वंचित समूहों के लिए आरक्षित होंगी।

निदेशालय ने सभी निजी विद्यालयों को निर्देश

दिया है कि ओपन सीटों पर प्रवेश के लिए अपनी

आधिकारिक वेबसाइट पर 28 नवंबर तक अपने

मापदंडों को अपलोड कर दें।

आइटीओ पर आज गोयल करेंगे प्रदर्शन

केजरीवाल सरकार को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए विजय गोयल गुरुवार को आइटीओ चौक पर प्रदर्शन करेंगे। बुधवार को

आइटीओ में प्रदूषण का स्तर 400 से ऊपर यानी की हानिकारक रहा। गोयल सम-विषम की नाकामियों को उजागर करेंगे। (**जसं**)



क्योंकि बच्चों को

पाइए आकर्षक भुगतान बच्चे के विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों पर.

मुख्य विशेषताएँ :

- आयु संबंधी पात्रता : 0-12 वर्ष. परिपक्वता आयु : 25 वर्ष
- न्युनतम बीमा राशि : ₹ 1 लाख. अधिकतम बीमा राशि : कोई ऊपरी सीमा नहीं
- मनी बैक किस्तें: 18, 20 और 22 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मूल बीमा राशि का 20%
- परिपक्वता लाभ : मूल बीमा राशि का शेष 40% और बोनस
- प्रीमियम वेवर राइडर लाभ : विकल्प उपलब्ध
- पॉलिसी की अवधि के दौरान मनी बैक किस्तें विलंबित करने का विकल्प उपलब्ध

अपने एजेंट/शाखा से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर जाएँ या SMS करें आपके शहर का नाम 56767474 पर

भ्रामक कोन कॉल्स तथा कर्जी / भ्रोखाधडी वाले ऑफर्स से सावधान अईआरडीएआई सर्वसाधारण को सुवित करता है • आईआरडीएआई वा इसके अधिकारी, बीमा विकव या वितीय उत्पाद अथवा प्रीमियम निवेश संबंधी गतिविधियों से संबंध नहीं रखते. • आईआरडीएआई किसी प्रकार के बोन्स की घोषणा नहीं करता, ऐसे फोन आने पर कॉल विकस्प तथा फोन नंबर की रिपोर्ट

Follow us : Tou Tou LIC India Forever IRDAI Regn No. 512

ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी. बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोश्विम घटकाँ, नियम और शारों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानबूर्वक परे रेल विकास निगम लिमिटेड

Rail Vikas Nigam Limited गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता (A Government of India Enterprise) रेल विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्रथम तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली - 110066 सीआईएन: L74999DL2003GOI118633, ईमेल: investors@rvnl.org

(भारत सरकार का उपक्रम)

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (एकल और समेकित) का संक्षिप्त विवरण

एकल

(₹ लाख में सिवाय ईपीएस)

समेकित

			Gasta			समाकत	
क्रम संख्या	विवरण	तिमाही समाप्त 30-09-2019	छमाही समाप्त 30-09-2019	तिमाही समाप्त 30-09-2018	तिमाही समाप्त 30-09-2019	छमाही समाप्त 30-09-2019	तिमाही समाप्त 30-09-2018
	53	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से राजस्व	3,76,499.83	661,063.98	1,77,257.62	3,76,499.83	661,063.98	1,77,257.62
2.	अन्य आय	8,246.19	13,514.18	8,536.64	6,249.03	11,519.78	8,539.59
3.	कुल आय	3,84,746.02	674,578.16	1,85,794.26	3,82,748.86	6,72,583.76	1,85,797.21
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद मदों से पूर्व)	26,603.38	46,222.33	14,776.30	24,604.83	44,225.68	14,777.66
5.	अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवाद मदों के पश्चात)	26,603.38	46,222.33	14,776.30	24,180.36	47,011.11	11,320.68
6.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय (अवधि हेतु समावेशी शुद्ध लाभ / (हानि) तथा अन्य समावेशी आय)	24,588.03	39,451.10	12,017.81	22,164.63	40,239.00	8,563.52
7.	इक्विटी शेयर पूंजी	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01
8.	संचेय (पुनर्मूल्य संचेय छोड़कर)*	-	— 8	_	-	_	(<u>-</u>)
9.	प्रति शेयर अर्जन						
	मूल	1.17	1.89	0.58	1.06	1.93	0.41
	तनुकृत	1.17	1.89	0.58	1.06	1.93	0,41

करने तथा भविष्य में उदाव होने वाले रिक्त पदों के हेत् प्रतिक्षा सूचि तैयार करने हेत् यहाँ निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्तता करने वाले भारतीय नागरिकों(पुरुष तथा महिला) को एअरपोर्ट/स्टेशन पर ग्राऊंड डघुटी के हेत् विभिन्न पदों पर तीन वर्ष की अवधि की निश्चित अवधि अनुबंध आधार पर, जिसका उनके प्रदर्शन और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार नवीकरण हो सकता है, तुरन्त आधार पर नियुक्त करना चाहता है।

अ. क्र.	पद	्पद संख्या	साक्षात्कार की तिथि	स्टेशन
1	उप टर्मिनल प्रबंधक - पैक्स हैण्डलिंग	6	कोलकाता-25.11.2019, मुंबई-18.11.2019, चेन्नई-20.11.2019	कोलकाता-2, चेन्नई-1, मुंबई-3
2	ड्युटी प्रबंधक – टर्मिनल	11	कोलकाता-25.11.2019, मुंबई-18.11.2019, चेन्नई-20.11.2019	कोलकाता-4, चेन्नई-3, मुंबई-4
3	ड्युटी अधिकारी	24	कोलकाता, भुबनेश्वर, पटना-25.11.2019, पोर्ट ब्लेअर-29.11.2019, चेत्रई-20.11.2019, मुंबई-18.11.2019	कोलकाता-7, भुबनेश्वर-1, पटना-1, पोर्ट ब्लेअर-1, चेन्नई-4, मुंबई-10
4	प्रबंधक वित्त	4	दिल्ली-30.11.2019, मुंबई-18.11.2019, चेन्नई-20.11.2019, कोलकाता-26.11.2019	दिल्ली-1, कोलकाता-1, मुंबई-1, चेन्नई-1
5	प्रबंधक कॉस्टिंग	1	दिल्ली-30.11.2019	दिल्ली-1
6	अधिकारी - HR/IR	1	कोलकाता-26.11.2019	कोलकाता-1
7	अधिकारी - IR/Legal	4	दिल्ली-30.11.2019, मुंबई-18.11.2019, चेन्नई-20.11.2019, कोलकाता-26.11.2019	दिल्ली-1, कोलकाता-1, मुंबई-1, चेन्नई-1
8	अधिकारी – लेखा	12	कोलकाता-26.11.2019, चेन्नई-20.11.2019, मुंबई 18.11.2019	कोलकाता-4, मुंबई-4, चेन्नई-4
9	ज्युनियर एक्झेक्यूटीव – मानव संसाधन/ प्रशासन	3	दिल्ली-30.11.2019, कोलकाता-27.11.2019	कोलकाता-2, दिल्ली-1
10	ज्युनियर एक्झेक्यूटीव – पैक्स	58	कोलकाता, भुबनेक्षर, पटना, रांचि, अगरतला, दिमापूर - 27.11.2019, चेन्नई, मदुराई, तिरुपति, कोईबतूर,विशाखापट्टणम-	कोलकाता-19,अगरतला-2 दिमापूर-1, भुबनेश्वर-2, पटना-1, रांचि-2, चेन्नई-11, मदुराई-1, तिरुपति-1, कोईबतूर-1,

मुंबई-100 100 मुंबई-16.11.2019 11 कस्टमर एजंट आरक्षित श्रेणियों के लिए सरकारी दिशा निर्देश लागू • आवेदन प्रपत्र तथा अन्य सभी विवरण के हेतु कृपया हमारी वेबसाईट –

For and on behalf of

(Anil Kumar Agarwal)

Whole Time Director

Anna Infrastructures Limited

- Regd. Office: SHOP NO. 1 & 3, E-14/6, First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra 282002 Email ID: annainfra@gmail.com, Website: www.annainfrastructures.com, Telephone: 0562-2527004 Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2019 Rs in Lacs Previous ended ended accounting Particulars Date year ended 30/06/2019 igures (31/03/2019) Total Income from Operations (Net) 87.21 8.93 33.69 24.75 35.14 Net Profit / (Loss) from ordinary activities before tax Net Profit / (Loss) from ordinary activities 8.93 33.69 24.75 35.14 before tax (after Extra Ordinary Items) Net Profit / (Loss) from ordinary activities 18.14 6.42 24.56 25.83 after tax (after Extra Ordinary Items) Equity Share Capital 380.00 380.00 380.00 380.00 Reserves (Excluding Revaluation 508.20 Reserves) Earning Per Share (EPS) (in Rs.) (a) EPS - Basic & Diluted before Extraordinary Items 0.65 0.480.68 (b) EPS - Basic & Diluted after Extraordinary Items 0.65 0.48
- Note: The above is an extract of detailed format of standalone Financial Results for the guarte ended September 30", 2019 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone Financial Results for the quarter ended September 30", 2019 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com).
- Place : Agra Date: 13th November 2019

epaper.jansatta.com

शशि थरूर ने मांगी विदेश जाने की अनुमति वकीलों की हड़ताल जारी

वकील-पुलिस झड़प वाले तीसहजारी प्रकरण में कथित तौर पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने बुधवार को भी कामकाज का बहिष्कार जारी रखा। ऑल डिस्ट्रिक्ट अदालत बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के महासचिव धीर सिंह कसाना ने बताया कि सभी जिला अदालतों के वकील बुधवार को आंदोलन पर रहे। कसाना ने कहा कि हमारे सहयोग के बावजूद, वकीलों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड वॉक - ईन नियुक्ति

एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईएटीएसएल) निम्न निर्देशित वर्तमान रिक्त पदों पर नियुक्ति

अ. क्र.	पद	्पद संख्या	साक्षात्कार की तिथि	स्टेशन
1	उप टर्मिनल प्रबंधक - पैक्स हैण्डलिंग	6	कोलकाता-25.11.2019, मुंबई-18.11.2019, चेत्रई-20.11.2019	कोलकाता-2, चेन्नई-1, मुंबई-3
2	ङ्युटी प्रबंधक - टर्मिनल	11	कोलकाता-25.11.2019, मुंबई-18.11.2019, चेन्नई-20.11.2019	कोलकाता-4, चेन्नई-3, मुंबई-4
3	ड्युटी अधिकारी	24	कोलकाता, भुबनेश्वर, पटना-25.11.2019, पोर्ट ब्लेअर-29.11.2019, चेत्रई-20.11.2019, मुंबई-18.11.2019	कोलकाता-7, भुबनेश्वर-1, पटना-1, पोर्ट ब्लेअर-1, चेन्नई-4, मुंबई-10
4	प्रबंधक वित्त	4	दिल्ली-30.11.2019, मुंबई-18.11.2019, चेन्नई-20.11.2019, कोलकाता-26.11.2019	दिल्ली-1, कोलकाता-1, मुंबई-1, चेन्नई-1
5	प्रबंधक कॉस्टिंग	1	दिल्ली-30.11.2019	दिल्ली-1
6	अधिकारी - HR/IR	1	कोलकाता-26.11.2019	कोलकाता-1
7	अधिकारी - IR/Legal	4	दिल्ली-30.11.2019, मुंबई-18.11.2019, चेन्नई-20.11.2019, कोलकाता-26.11.2019	दिल्ली-1, कोलकाता-1, मुंबई-1, चेन्नई-1
8	अधिकारी - लेखा	12	कोलकाता-26.11.2019, चेत्रई-20.11.2019, मुंबई 18.11.2019	कोलकाता-4, मुंबई-4, चेन्नई-4
9	ज्युनियर एक्झेक्यूटीव – मानव संसाधन/ प्रशासन	3	दिल्ली-30.11.2019, कोलकाता-27.11.2019	कोलकाता-2, दिल्ली-1
10	ज्युनियर एक्झेक्यूटीव – पैक्स	58	कोलकाता, भुबनेश्वर, पटना, रांचि, अगरतला, दिमापूर – 27.11.2019, चेत्रई, मदुराई, तिरुपति, कोईबतूर,विशाखापट्टणम– 20.11.2019, मुंबई–18.11.2019	कोलकाता-19,अगरतला-2, दिमापूर-1, भुबनेश्वर-2, पटना-1, रांचि-2, चेन्नई-11, मदुराई-1, तिरुपति-1, कोईबत्र-1, विशाखापट्टणम-1, मुंबई-16
_	100		HI CONTROL OF THE PARTY OF THE	

www.aiatsl.com(careers)/www.airindia.in (careers) पर Advertisement देखे।

है। तिमाही परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट्स www.bseindia.com, www.nseindia.com पर तथा

कृते और निदेशक मंडल की ओर से (प्रदीप गौड) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DIN: 07243986

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 13,11,2019

को आयोजित बैठक में किया गया था।

कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर भी उपलब्ध है।

नोट्स:

1) उपरोक्त परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और उनका अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा उनकी 13 नवम्बर, 2019

2) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में

प्रस्तुत किए गए 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण

तापमान नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम फरीदाबाद

28.3 डि.से. 28.3 डि.से. 28.0 डि.से. 28.5 डि.से. 13.4 डि.से. 13.4 डि.से. 12.8 डि.से. 13.4 डि.से.

जनसत्ता, नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2019 4

जेएनयू : विरोध के बाद बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को राहत

छात्रावास शुल्क में 50% छूट

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 नवंबर।

नेहरू विश्वविद्यालय जवाहरलाल (जेएनयू) ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के विद्यार्थियों को छात्रावास शुल्क में 50 फीसद राहत देने का निर्णय किया है। इसके साथ ही रात ग्यारह बजे तक छात्रावास में वापस लौटने और भोजन कक्ष में ठीक ढंग के कपड़े पहनने के नियम को वापस ले लिया गया है। यह फैसला बुधवार को विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में किया गया। विद्यार्थियों और शिक्षकों ने विश्वविद्यालय की ओर से दी गई आंशिक राहत को नकार दिया है। जेएनयू प्रशासन के मुताबिक विद्यार्थियों के प्रदर्शन की वजह से अंतिम समय में ईसी बैठक का स्थान बदला गया। इसके बाद ईसी बैठक जेएनयू परिसर से बाहर आयोजित हुई।

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम ने सबसे पहले ट्वीट कर इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा 'जेएनयू कार्यकारी परिषद ने छात्रावास शुल्क और अन्य नियमों को बहुत हद तक वापस लेने का फैसला किया है। बीपीएल विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता की एक योजना का भी प्रस्ताव किया गया है।

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस

पार्टी (राकांपा) अध्यक्ष शरद पवार पर हमला

करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने बुधवार को

गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी

की पहचान हरविंदर सिंह उर्फ अरविंदर सिंह

के रूप में हुई है। आरोप है कि हरविंदर सिंह

ने शरद पवार को सरेआम थप्पड़ मारा था।

करीब छह साल पहले अदालत से भगोड़ा

घोषित हरविंदर पर कनाट प्लेस और संसद

हरविंदर पर आरोप है कि उसने 2011 में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के ऊपर

दिल्ली में हमला किया था। उसे गिरफ्तार कर

जेल भेज दिया गया था. लेकिन बाद में वह

फरार हो गया। 29 मार्च 2014 को दिल्ली की

पटियाला हाउस कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर

इलाके के निवासी हरविंदर सिंह उर्फ अरविंदर

सिंह (36) ने 24 नवंबर 2011 में संसद मार्ग

स्थित एनडीएमसी कंवेंशन सेंटर में आयोजित

एक सभा में मनमोहन सिंह सरकार के

तत्त्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार को थप्पड़

जड़ दिया था। जानकारी के मुताबिक वे बढ़ती

मंहगाई से त्रस्त थे। हमले के दौरान हरविंदर

सिंह न बढ़ती मंहगाई पर आक्रोश भी जताया

मारने की धमकी आदि देने की धाराओं में दर्ज

किया गया था। आरोपी ने एक सिपाही पर भी

हरविंदर सिंह पर एक और मामला जान से

पुलिस के मुताबिक, दिल्ली के स्वरूप नगर

मार्ग थाने में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

विद्यार्थियों ने कहा, बढ़ा शुल्क पूरा वापस हो

गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) श्रेणी के विद्यार्थियों का 50 फीसद शुल्क माफ करने के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन के निर्णय को विद्यार्थियों



विद्यार्थियों के प्रदर्शन को रोकते पुलिसकर्मी।

ने नहीं माना है। उनकी मांग है कि छात्रावास शुल्क में बढ़ोतरी पूरी तरह से वापस की जाए। जब तक उनकी यह मांग नहीं मानी जाएगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, जेएनयू शिक्षक संघ ने भी शुल्क बढ़ोतरी को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की है। शिक्षक संघ ने कुलपति का इस्तीफा भी मांगा है। जेएनयू के विद्यार्थी एक पखवाड़े से अधिक से छात्रावास की नई नियमावली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को विद्यार्थियों ने जेएनयू के प्रशासनिक खंड पर प्रदर्शन किया और प्रशासन व कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षक संघ की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि यह तो प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। संघ ने कहा कि जो बढोतरी की गई है उसके

मुताबिक हर विद्यार्थी के ऊपर तीन हजार रुपए से अधिक भार पड़ेगा। बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह आधा यानी 1500 रुपए हो जाएगा। बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए यह रकम भी अधिक है। इसलिए शिक्षक संघ ने पूरे शूल्क को वापस करने की मांग की है।

कक्षाओं में लौटने का वक्त आ गया है।' जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रो प्रमोद कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को 283वीं

राकांपा अध्यक्ष पर हमला करने

वाला भगोड़ा आरोपी गिरफ्तार

ईसी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किए गए। इनमें रात ग्यारह बजे तक छात्रावास में वापस लौटने और भोजन

कक्ष में ठीक ढंग के कपड़े पहनने के नियम को परी तरह से वापस ले लिया गया है। बीपीएल श्रेणी (जेआरएफ, एसआरएफ, अन्य कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्राप्त करने वालों को छोड कर) विद्यार्थियों के लिए कमरे के किराए, पानी व बिजली बिल और सेवा शुल्क में 50 फीसद की छूट देने का निर्णय किया है। इसके अलावा जिन बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को नॉन नेट फेलोशिप या एमसीएम फेलोशिप मिल रही है, उन्हें भी 50 फीसद की छूट मिलेगी। मेस जमानत के रूप में ली जाने वाली राशि को जस की तस यानी 5,500 रुपए ही रखा है। इसे 12,000 रुपए करने का पहले प्रस्ताव था, जिसे वापस ले लिया गया है। पढ़ाई पूरी होने के बाद यह राशि विद्यार्थी को वापस मिल जाती है।

रजिस्ट्रार के मुताबिक बुधवार सुबह दस बजे ईसी बैठक विश्वविद्यालय के सम्मेलन केंद्र में प्रस्तावित थी लेकिन कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों ने पहले ही सम्मेलन केंद्र धरना दे रखा था। उनके मुताबिक कुछ ईसी सदस्य सम्मेलन केंद्र के अंदर ही फंसे थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए आनन-फानन में ईसी बैठक का स्थान बदला गया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे अपनी कक्षाओं पर ध्यान दें। विश्वविद्यालय में अकादिमक कार्य शुरू होने से हजारों विद्यार्थियों के करिअर को खराब होने से बचाएगा।

एबीवीपी प्रतिनिधिमंडल यूजीसी सचिव से मिला

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 नवंबर।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने बुधवार को जेएनयू छात्रावास फीस वृद्धि को वापस कराने और गरीब विद्यार्थियों को अतिरिक्त रियायतें देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक मांग पत्र सौंपकर अपनी सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई को कहा। एबीवीपी के मुताबिक यूजीसी ने जेएनयू के रुके 6.70 करोड़ बजट को आबंटित कराने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा जेएनयू प्रशासन ने गरीब विद्यार्थियों की मदद के लिए जिस अतिरिक्त बजट की मांग की थी. उस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है।

जेएनयू प्रशासन की ओर से लाए गए छात्रावास नियमावली का एबीवीपी शुरुआत से ही विरोध कर रही है। इसे वापस लेने के लिए जेएनयू प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शनरत है। इसी क्रम में बुधवार को एबीवीपी जेएनयू इकाई के नेतृत्व में जेएनयू के विद्यार्थियों ने यूजीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा कि हम लगातार सरकार के समक्ष शिक्षा बजट में बढोतरी की मांग को रखते आए हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि ऐसा कोई भी निर्णय न लिया जाए जो एक भी विद्यार्थी के हित को चोट पंहुचाता हो। यूजीसी के समक्ष हमने जेएनयू में फीस के मूल स्वरूप को पुनः स्थापित करें। इसके अलावा गरीब विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर उनके लिए अतिरिक्त बजट आबंटन की मांग की है।

खबरों में शहर

चिदंबरम की न्यायिक हिरासत २७ नवंबर तक बढ़ी

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 नवंबर।

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने यह आदेश पारित किया। जिला अदालतों में वकीलों की हडताल के कारण वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया। ईडी ने चिदंबरम की हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

व्यापार मेले में बिहार की पारंपरिक कलाओं से सजेगा बिहार मंडप

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 13 नवंबर।

प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप को इस बार मेले की थीम 'ईज ऑफ डुइंग' बिजनेश के अनुरूप नायाब रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष प्रगति मैदान के हाल नं 12 में बिहार मंडप लगाया गया है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से बिहार पवेलियन का क्रियान्वयन एजंसी के रूप

में लगातार छठी बार उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को दिया गया है। यह संस्थान बिहार पवेलियन के आयोजन, सजाने और संवारन का काम करेगा।

पांच मेट्टो स्टेशनों पर मिलेंगे व्यापार मेले के टिकट

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 13 नवंबर।

> दिल्ली में शुरू हो रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के टिकट शहर के पांच मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे। इन स्टेशनों पर गुरुवार से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक टिकट खरीदी जा सकती हैं। शहर के जिन मेटो स्टेशन पर टिकट मिलेंगे, उनमें नोएडा– द्वारका के बीच चलने वाली ब्लू लाइन के सेक्टर-63 इलेक्टोनिक सिटी, सेक्टर-52, सेक्टर-32 सिटी सेंटर और सेक्टर-15 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इनके अलावा जनकपुरी तक जाने वाली मजेंटा लाइन के सेक्टर-38ए स्थित बॉटैनिकल गार्डन स्टेशन से लोग टिकट ले सकते हैं। दिल्ली मेटो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के प्रवक्ता के मुताबिक इन स्टेशन से सुबह 8 से शाम 4 बजे तक टिकट लिए जा सकते हैं। 14 से 18 नवंबर तक कारोबारी दिवस हैं। इसका टिकट 500 रुपए है। आम लोगों के लिए 19 से 27 नवंबर तक यह

मेला चलेगा। 'अंगदान करना एक कठिन लेकिन साहसपूर्ण निर्णय' जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को अंगदाता सम्मान समारोह में कहा कि अंगदान करना एक कठिन लेकिन साहसपूर्ण निर्णय है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता लेकिन यह ईश्वरीय कार्य के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं अंगदान करने वालों के साहस को प्रणाम करता हं। अंगदान करने वाले जब यह निर्णय लेते हैं तो उनके परिवार और प्रियजनों को भावनात्मक रूप से कुछ कष्ट होता होगा मगर जब किसी को जीवनदान मिलता है तो उन्हें अच्छा लगता है। इस मौके पर मंत्री ने 51 अंगदाताओं को

दिल्ली में आज और कल बंद रहेंगे स्कूल करने की सलाह दी। पर्यावरण प्रदेषण (रोकथाम जनसत्ता संवाददाता और नियंत्रण) प्राधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से दिल्ली 'हॉट-मिक्स प्लांट्स' और 'स्टोन-क्रशर' पर

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदुषण के खतरनाक स्तर पर पहंचने की वजह से दिल्ली सरकार ने सभी निजी और सरकारी स्कूल गुरुवार और शुक्रवार को बंद करने का निर्णय किया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने टवीट कर बताया कि उत्तर भारत में पराली प्रदुषण के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को गुरुवार और शुक्रवार को बंद करने का निर्णय किया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित प्रदूषण रोधी समिति ईपीसीए ने बुधवार को दिल्ली में प्रदुषण 'आपातकालीन' स्तर के करीब पहुंचता

सरकार ने दिए आदेश



देख अगले दो दिन तक स्कल बंद रखने का आदेश दिया। समिति ने लोगों को जहां तक संभव हो. बाहर जाने से बचने और घर में रहकर काम लगे प्रतिबंध को भी 15 नवंबर तक बढा दिया। शीर्ष अदालत ने चार नवंबर को अगले आदेश तक क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। दिल्ली के स्कूलों में बाहरी गतिविधियों को बुधवार को स्थगित कर दिया गया क्योंकि पिछले 15 दिनों में तीसरी बार मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों ने शहर में प्रदूषण के स्तर को आपातकालीन स्तर की ओर धकेल दिया। इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद सभी स्कुलों को चार दिनों के लिए बंद कर दिया था।

29 मार्च को 2014 को अदालत से भगोडा घोषित था हरविंदर *हरविंदर* ने 2011 में पूर्व केंद्रीय कृषि

हमला बोल दिया था। इतना ही नहीं आरोपी ने सिपाही को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पवार पर हमले के आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अदालत में सनवाई के दौरान वे गायब हो गए थे। दोनों ही मामलों में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी की कोई उम्मीद न देखते हुए

अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था।

मंत्री पर दिल्ली में हमला किया था

पुलिस उपायुक्त ईश सिंघल ने कहा कि 29 मार्च 2014 को पहले मामले में पटियाला हाउस अदालत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कुमारी प्रगति ने आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। दूसरे मामले में भी पटियाला हाउस अदालत की जज कुमारी प्रीति परेवा ने 24 अप्रैल 2019 को उसे भगोड़ा घोषित किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अरविंदर सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

'केवल वयस्कों की बीमारी नहीं रही मधुमेह, किशोर और बच्चे भी हो रहे हैं प्रभावित'

जनसत्ता सवाददाता नोएडा, १३ नवंबर।

मधुमेह के मरीजों के लिए संयम और सतर्कता जरूरी है। खानपान और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर इस बीमारी पर नियंत्रण रखा जा सकता है। नियमित दवा के अलावा खून में शुगर की नियमित निगरानी, सही आहार व नियमित व्यायाम के जरिए भी बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक ऐसी बीमारी है, जो अपनी प्रक्रिया में रक्तचाप, दुष्टि, त्वचा आदि को विश्व मधुमेह दिवस .957

प्रभावित करती है। पहले मधुमेह को केवल वयस्कों की बीमारी माना जाता था लेकिन अब

किशोर और बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। विश्व मधुमेह दिवस पर गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य विभाग बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर

गैर संचारी रोगों के प्रभारी अधिकारी डॉ. भारत भूषण ने बताया कि हर वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1991 से अंतरराष्ट्रीय मधुमेह संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर 160 से अधिक देशों ने मधुमेह दिवस मनाया जाता है।

New Delhi Television Limited

Regd. Off.: 402, Archana, B - Block Road, Archana, Greater Kailash – I, New Delhi-110048

Phone: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 | Fax: 2923 1740

E-mail:corporate@ndtv.com | Website:www.ndtv.com

Statement of Standalone and Consolidated unaudited financial results for the Quarter and Six Months Ended 30 September 2019

		Standalone		C.	Consolidated	
	Α	В	С	D	E	F
Particulars	3 months ended (30/09/2019)	Year to date figures for current period ended (30/09/2019)	Corresponding 3 months ended (30/09/2018) in the previous year	3 months ended (30/09/2019)	Year to date figures for current period ended (30/09/2019)	Corresponding 3 months ended (30/09/2018) in the previous year
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	4,240	11,221	5,949	7,722	18,689	9,348
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(1,016)	(117)	19	(929)	917	257
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and extraordinary items)	(1,016)	(117)	19	(929)	917	257
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and extraordinary items)	(1,016)	(117)	19	(1,027)	498	117
Total Comprehensive Income for the period	(1,090)	(191)	19	(1,117)	409	117
Equity Share Capital	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579
Earning Per Share (of INR 4/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic: Diluted:	(1.58) (1.58)	(0.18) (0.18)	0.03 0.03	(1.59) (1.59)	0.77 0.77	0.18 0.18

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com), and on the Company's website, www.ndtv.com.

Place: New Delhi Date: 12 November, 2019 For New Delhi Television Limited Prannoy Roy **Executive Co-Chairperson**

मालिकाना हक मिलने की उम्मीद में शाहबेरी के खरीदारों ने थामा 'आप' का हाथ

जनसत्ता संवाददाता ग्रेटर नोएडा, 13 नवंबर।

आम आदमी पार्टी (आप) के उत्तर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमेंद्र ढाका ने शाहबेरी के खरीदारों की लड़ाई का पूरा समर्थन देने का एलान किया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जब लोगों को जबरन घर खाली करने पर मजबूर किया था, तब भी आम आदमी पार्टी आप के साथ खड़ी थी और आज भी आपकी इस लड़ाई में साथ है। सोमेंद्र ढाका बुधवार को 'आप' के शाहबेरी गांव में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान में शामिल होने पहुंचे थे। शाहबेरी के खरीदारों ने 'आप' पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का स्वागत किया।

जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन ने शाहबेरी संघर्ष समिति के साथियों को पार्टी की सदस्या दिलाई और आश्वासन दिया कि हम शाहबेरी संघर्ष

समिति की लड़ाई लड़ते रहेंगे। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से किसी का भी घर ना छीनकर, यहां रहने वालों को मालिकाना हक देने की मांग की। जादौन ने कहा कि यदि प्रदेश, जिला प्रशासन और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ऐसा नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में आप क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगी। जिससे यहां रह रहे लोगों को उनका अधिकार मिल सके। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शामिल होने वाले लोगों ने 'आप' में अपनी आस्था जताई। साथ ही दिल्ली की तर्ज पर सभी को मालिकाना दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से विधानसभा में प्रस्ताव मंजूर कराने को कहा। शाहबेरी संघर्ष समिति के मुकुल त्यागी, एस. के. उपाध्याय, अभिनव धर, मयंक अग्रवाल, वेद प्रकाश शर्मा, प्रिया श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में सदस्य आम आदमी पार्टी में शामिल हुए।

जुगाड़ वाहनों के खिलाफ अभियान

जनसत्ता संवाददाता नोएडा, 13 नवंबर।

शहर की सड़कों पर बुधवार को दौड़ रहे अनिफट ऑटो और जुगाड़ वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। सेक्टर-71 चौराहा, किसान चौक और सेक्टर-62 मॉडल टाउन पर विशेष जांच की गई। अभियान के दौरान 61 अनिफट ऑटो और स्कूटर व मोटर साइकिल के इंजन लगे 11 जुगाड़ वाहन जब्त किए गए। यातायात जानकारों के मुताबिक जुगाड़ वाहन सड़कों पर दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारण हैं। अभी तक इनके खिलाफ कभी अभियान नहीं चलाया गया।

सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बुधवार को शहर के तीन प्रमुख चौराहों पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 72 वाहन जब्त किए गए।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

सम्मानित किया।

हिंदी भवन : रंग काव्य महोत्सव का आयोजन, हिंदी भवन सभागार, गुरुवार, शाम साढ़े पांच बजे। भारतीय नीति संस्थान : हिंदू जागरूकता में राम स्वरूप और सीताराम गोयल की भूमिका पर चर्चा, कांस्टीट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, शाम चार बजे। **इंडिया इंटरनेशनल सेंटर** : संस्थागत विकास पर चर्चा, एनेक्स सभागार २, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (एनेक्स), मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे से।

प्रदर्शनी

इंडिया आर्ट फाउंडेशन : आधुनिक व समकालीन कला मेला, त्यागराज स्टेडियम, आइएनए, दोपहर एक बजे. 17 नवंबर तक।

आल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसायटी (आइफैक्स) : आल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसायटी के कलाकारों की कला प्रदर्शनी, आइफैक्स, 1 रफी मार्ग, सुबह 11 बजे से 14 नवंबर तक।

एलायंस फ्रांसेंस डी दिल्ली : भारत-फ्रांस के संबंधों पर सोलो प्रदर्शनी, एलायंस फ्रासेंस डी दिल्ली, 72 लोदी रोड, सुबह 11 बजे से 25 नवंबर

विविध

इंडिया हेबीटाट सेंटर : फिल्म, स्टेन सभागार, सेंटर परिसर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

प्रबंध निदेशक

डीआईएनः ०१८४३४३९

ISO 9001

✓ VIHÇOTTE

उज्जैन, 13 नवंबर (भाषा)।

निगमित/पंजीकृत है

पधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

नम्बर तथा पंजीकरण संख्या

स्थानः नई दिल्ली

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर राघवी थानाक्षेत्र के एक गांव में विवाह के उपलक्ष्य में किए गए कथित हर्ष फायर की चपेट में आने वाले दुल्हे के पिता की मौत

प्रपत्र बी

सार्वजनिक उद्घोषणा

[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]

मुविंग पिक्चर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

30.10.2019 (आदेश की प्रति 2.11.2019 को प्राप्त हुई)

सी-17-बी. कालकाजी. नई दिल्ली-110019

IBBI/IPA-003/IP-N00078/2017-18/10701

मुविंग पिक्चर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

ykgupta64@yahoo.co.in

011-41076118

एतदुद्वारा मुविंग पिक्चर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर परिसमापव

फाइनांसियल केडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी केडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत

हर्ष फायरिंग में गोली लगने से दुल्हे के पिता की मौत

सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि जगोटी गांव पुजन के लिए मंदिर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल हो गए।

में बुधवार की सुबह विक्रम और गोवर्धन सिंह के इसी दौरान 12 बोर की बंदूक से एक हर्ष फायर राघवी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक शंकर पुत्रों के विवाह के उपलक्ष्य में घर के लोग माता किया गया और इससे दूल्हें के पिता विक्रम सिंह

पवनसूत होल्डिंग्स लिमिटेड CIN No. L65929DL1984PLC019506 पंजीकृत कार्यालय : 415, उषा किरण बिल्डिंग, कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, आजादपुर दिल्ली-110033 ई-मेलः pawansuthodlings@gmail.com, वेबसाइटः www.pawansuthodlings.com फोन नं. : 011-45689333 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही व छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार (रु. लाख में के लिये अनंकेक्षित अनंकेक्षित आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार 0.00 0.00 - डायल्यृटिड 0.00 0.00 0.00

2. उक्त सेबी (सूचीबद्ध और अन्य देयताएं आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजस के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत 3. तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.pawansutholdings.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के ओर से व उन्हीं के लिए पवनसृत होल्डिंग्स लिमिटेड (राम किशोर बंसल) स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक तिथि: 12.11.2019 डीआईएनः 05195812

के पास 29.11.2019 को या उससे पर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

राइट्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

1. उक्त परिणामों को 12 नवम्बर, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में रिकॉर्ड किया गया है।

पंजीकृत कार्यालयः राइट्स लिमिटेड,स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 सीआईएनः L74899DL1974GOI007227

			एकल				समेकित						
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त छमाही समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	
₹1.								30.09.2019 (अनंकेक्षित)					
1.	प्रचालनों से आय	726.21	519.22	425.13	1,245.43	735.73	1,968.97	746.24	537.65	442.95	1,283.89	775.27	2,047.45
2.	अन्य आय (टिप्पणी सं.–६)	147.50	30.62	39.02	178.12	96.60	195.20	141.62	31.30	34.78	172.92	92.62	192.18
3.	कुल राजस्व	873.71	549.84	464.15	1,423.55	832.33	2,164.17	887.86	568.95	477.73	1,456.81	867.89	2,239.63
4.	निवल लाभ / (हानि) कर पूर्व*	317.34	141.04	165.60	458.38	287.00	676.72	325.96	154.00	172.89	479.96	309.40	730.05
5.	निवल लाम / (हानि) कर पश्चात*	232.64	92.62	108.18	325.26	189.08	444.65	237.21	102.08	111.87	339.29	203.58	489.77
6.	कुल समग्र आय (लाभ / (हानि)(कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल)	231.56	89.52	109.26	321.08	192.04	442.95	236.08	99.03	113.04	335.11	206.56	487.93
7.	इक्विटी शेयर पूंजी	250.00	200.00	200.00	250.00	200.00	200.00	250.00	200.00	200.00	250.00	200.00	200.00
8.	अन्य इक्विटी	24.0720400130	5000000000	50-01-210-90	2000 Protection (A	no-contact.	2,183.83	000000000000000000000000000000000000000	124000041.341	5.0001000.002	14210-01000	577767	2,222.10
9.	प्रति शेयर आय (ईपीएस)** (टिप्पणी सं. 5)												
	मूल (₹)	9.31	3.70	4.33	13.01	7.56	17.79	9.30	3.92	4.31	13.22	7.78	18.78
	डाइल्यूटिड (₹)	9.31	3.70	4.33	13.01	7.56	17.79	9.30	3.92	4.31	13.22	7.78	18.78

30 सितंबर 2010 को समाप्त तिमादी के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

अवधि के दौरान कोई विशिष्ट मर्दे नहीं है।

टिप्पणियाः 1. उपर्युक्त परिणामों की लेखा परीक्षा समिति ने समीक्षा कर ली है और निदेशक मंडल ने 13 नवंबर, 2019 को हुई अपनी बैठकुँ में अनुमोदित कर दिया है। वैधानिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय विवरणों की सीमित समीक्षा कर ली है।

उपर्युक्त सँबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन शेयर बाजारों के पास दायर तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रपन्न का सार है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रपन्न स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.rites.com

 कंपनी / समूह के वित्तीय परिणाम समय—समय पर यथा संशोधित कंपनीज़ (भारतीय लेखांकन मानदंड) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 133 में यथा निर्धारित भारतीय लेखांकन मानदंड (इंडस एएस) के अनुरूप तैयार किये गये हैं। कंपनी / समूह ने 1 अप्रैल, 2019 से इंड एएस 116 "लीज" लागू किया है, 1 अप्रैल, 2019 को मौजूद सभी लीज

अनुबंधों के लिये पूर्व निर्धारित तिथि पद्धति का प्रयोग करते हुए, संचयी प्रभाव पद्धति का प्रयोग करते हुए इसे लागू किया है और इस प्रकार तुलनात्मक सूचना का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है। मानकों के अनुकूलन का

कंपनी / समूह के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों पर कोई स्थाई प्रभाव नहीं है। कंपनी / धारेक कंपनी ने शेयरधारकों को 30 जुलाई, 2019 को हुई वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित 1:4 के अनुपात में (प्रत्येक चार शेयरों के लिये एक बोनस शेयर) 14 अगस्त, 2019 को बोनस शेयर 🛭 8. जारी किये हैं। परिणाम स्वरूप कंपनी /धारक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी बढ़कर रू 250 करोड़ हो गई जिसमें प्रत्येक रू 10 / - के 25 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं। तदनुसार इंड एएस 33 की अपेक्षा के अनुरूप प्रस्तुत सभी अवधियों के लिये प्रति शेयर बेसिक और डाइल्युटिड आय की गणना शेयरों की नई संख्या के आधार पर 9

अथात प्रत्येक 🛛 🗡 — के 25 करोड़ इक्विटी शयर पर की गई है।

** 30 सितंबर, 2019 और 30 जून, 2019 तथा 30 सितंबर, 2018 को समाप्त अवधि के लिये ईपीएस वार्षिकीकृत 6. कंपनी / धारक कंपनी ने 30 अगस्त, 2019 को एक विदेशी ग्राहक के साथ कंपनी / धारक कंपनी को देय बकाया भूगतान के प्रति 15 सितंबर, 2019 को अथवा इससे पूर्व 12,818,152.17 अमरीकी डॉलर (अनुमानित रू 91 करोड़) का भुगतान प्राप्त करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके लिये आर्बिट्रेशन की कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई थी और कंपनी / धारक कंपनी ऊपर वर्णित कुल भुगतान की प्राप्ति पर आर्बिट्रेशन की कार्यवाही को वापस लेने पर सहमत हो गई। भुगतान 10 सितंबर, 2019 को प्राप्त हो गया है और यथा सहमत आर्बिट्रेशन की कार्यवाही को वापस ले लिया गया है। तदनुसार चालू तिमाही में, कंपनी/धारक कंपनी ने रू 91 करोड़ (अनुमानतः) की अन्य आय के तौर पर पहचान की है जिसमें से रू 63 करोड़ (अनुमानित) मूल राशि की वसूली के प्रति है जिसके लिये प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, रू 26 करोड़ (अनुमानित) देरी से भुगतान पर ब्याज के प्रति और रू 2 करोड़ (अनुमानित) विनिमय में उतार—चढ़ाव के प्रति हैं।

> कंपनी / धारक कंपनी ने कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत भारत सरकार द्वारा यथा अधिनियमित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 115बीएए के अधीन प्रदत्त अनुमति के अनुरूप विकल्प का प्रयोग किया है और अपने लेखाजोखे में निगमित कर का 25.168 प्रतिशत लिया है। तदनुसार कंपनी / धारक कंपनी ने 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही / अवधि के लिये आयकर के लिये प्रावधान को मान्यता प्रदान की है। कंपनी/धारक कंपनी ने उपर्युक्त विकल्प के आधार पर अपनी आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देनदारियों का भी पुन:आकलन किया है और दर में ऐसे परिवर्तन के कारण आस्थगित कर व्यय को भी 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही / अवधि के लिये मान्यता प्रदान की गई है।

> 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा इससे पूर्व के 30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के आंकड़े, अनंकेक्षित वर्ष के आंकड़ों से लेकर 30 सितंबर को समाप्त छमाही के लिये अद्यतन आंकड़ों तथा संबंधित वित्तीय वर्षों के 30 जून को समाप्त तीन महीने के लिये अनंकेक्षित प्रकाशित आंकड़ों के मध्य संतुलन आंकड़े हैं। जहां कहीं आवश्यक है, पूर्ववर्ती अवधि के लिये आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत / पुन:समृहित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से हस्ता / (राजीव मेहरोत्रा) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीआईएन:01583143

(क्याग कारत में)

255.29



epaper.jansatta.com

स्थानः गुरूग्राम

चीन शिपयार्ड लिमिटेड

दिनांक 30 सितंबर 2019 को समाप्त छमाही और तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित रटैंडअलॉन और समेकित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची - 682015

दूरभाष: 0484 250 1306, फैक्स: 0484 2370897, वेबसाइट: www.cochinshipyard.com, CIN: L63032KL1972G0I002414

豖.	विवरण			स्टेंडः	प्रलॉन			समेकित					
सं.			समाप्त तिमाही		समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही) es 0	समाप्त	छमाही	समाप्त वर्ष
		30.09.2019	30.09.2018	30.06.2019	0.06.2019 30.09.2019 3		31.03.2019	30.09.2019	30.09.2018	30.06.2019	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
				(अलेखापरीक्षित)		(लेखापरीक्षित)			(अलेखापरीक्षित)			(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	97119.89	79940.20	73543.65	170663.54	145812.89	296215.87	97119.89	79940.20	73543.65	170663.54	145812.90	296215.87
2	अवधि केलिए निवल लाम/(हानि) (कर पूर्व, असामान्य और/या असाधारण मर्दे)	26256.19	23229.39	18647.58	44903.77	39349.46	75137.52	26118.46	23170.71	18505.17	44623.63	39276.64	74751.53
3	अवधि केलिए कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मद के बाद)	26256.19	23229.39	18647.58	44903.77	39349.46	75137.52	26118.46	23170.71	18505.17	44623.63	39276.64	74751.53
4	अवधि केलिए कर के बाद निवल लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मदों के बाद)	20757.26	14763.89	12025.36	32782,62	25395.01	48117.79	20633.13	14705.08	11897.47	32530.60	25321.21	47778.77
5	अवधि केलिए कुल व्यापक आय (अवधि केलिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद))	20788.92	14898.22	12011.17	32800.09	25484.16	47922.62	20664.79	14839.41	11883.28	32548.07	25410.36	47583.60
6	इक्रिटी शेयर फूंजी	13154.04	13593.60	13154.04	13154,04	13593.60	13154.04	13154.04	13593.60	13154.04	13154.04	13593.60	13154.04
7	आरक्षण (पुनर्मूल्यांकन आरक्षण को छोडकर) – पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दशाएँ अनुसार ।						320053.77						319710.00
8	प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपए के) आय (चालू और बंद किए प्रचालनों के लिए) मूल एवं तनुकृत (रु.)	15.78	10.86	9.14	24.92	18.68	35.72	15.70	10.82	9.05	24.75	18.63	35.47

• उपर्युक्त, सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.com में और भारत

के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट : — www.nseindia.com में तथा बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट www.bseindia.com में उपलब्ध है। ं उपर्युक्त दिनांक 30 सितंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को दिनांक 12 नवंबर, 2019 को आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में समीक्षा की गई और निदेशक मंडल ने दिनांक 12 नवंबर, 2019 को आयोजित बैठक में इसे अनुमोदित किया एवं

दिनांक 0 1 अप्रैल, 20 19 से प्रभावी, कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण के साथ, भारतीय लेखा मानक 116 को प्रारंभिक आवेदन की तारीख में मान्यता प्राप्त मानक को शुरू में लगू करने के संचयी प्रभाव के साथ पट्टे पर अपनाया गया है। तदनुसार तुलनाओं को पूर्वव्यापी रूप से

समायोजित नहीं किया गया है। इससे 30 सितंबर 2019 को समाप्त छमाही के लिए 1698.53 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्तीय के अनुसार 1710.56 लाख रुपए) और 665.57 लाख रुपए (समेकित वित्तीय के अनुसार 667.90 लाख रुपए) के अतिरिक्त

मूल्यहास की मान्यता प्राप्त हुई है। वास्तविक पट्टे का किराया जो भुगतान के रूप में मान्यता प्राप्त थे, अब पट्टे की देयता में कमी के रूप में पहचाने जाते हैं। कुल मिलाकर इसने 30 सिलंबर 2019 को समाप्त छमाही के लाभ में 898.54 लाख रुपए (समेकित वितीय के अनुसार 903.09

लाख रुपए) की कमी की है।

कंपनी ने कराधान नियम (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा शुरू की गई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत अनुमत विकल्प का उपयोग करने हेतु चुना गया है। तदनुसार, कंपनी ने 30 सितंबर 2019 को समाप्त छमाही के लिए आयकर के प्रावधान को मान्यता दी है और उक्त अनुभाग में निधारित दरों के आधार पर अपने आस्थगित कर शेष को पुनः प्राप्त किया है।

दिनांक 30 सितंबर 2019 को आईपीओ की आय से धन का उपयोग रुपए करोड में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से आय 961.95 घटाइए: आईपीओ व्यय (कंपनी की शेयर) 21.72 निवल आईपीओ आय 940.23 जोडिए: पुनर्निवेशित ब्याज राशि 73.54 कुल आय प्लस ब्याज 1013.77 घटाइए: निम्न केलिए आय का उपयोग सामान्य निगमित उद्देश्य 165.23 नई सूखी गोदी का निर्माण 328.25 आईएसआरएफ 265.00 758.48 दिनांक 30.09.2019 को शेष धन 255.29 स्थायी जमे में निधि का पार्किंग 255.23 चालू खाते में निधि का पार्किंग 0.06

दिनांक 30.09.2019 को धन का पार्किंग कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड स्थानः कोच्ची दिनांक: 12 नवंबर, 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पचास हजार रुपए का इनामी बदमाश अकला गिरफ्तार

भागलपुर, 13 नवंबर (जनसत्ता)। नौगछिया का इनामी कुख्यात अखिलेश मंडल उर्फ अकला को एसटीएफ ने मंगलवार देर रात दबोच लिया। वह भागलपुर के हबीबपुर थाने के तहत दाउदबाट मोहल्ले में अपने रिश्तेदार के घर रह रहा था। अपराध करने के बाद यहां उसके छूपने का मुख्य ठिकाना बताया जा रहा है।

डल्टा लाजिंग एड फाइनस लामटड पंजीकृत कार्यालयः 55 एफ.आई.ई. पड़पड़गंज, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110092, CIN No. L67120DL1983PLC016990 वेबसाइटः www.deltaleasing.in, ई-मेलः info@deltaleasing.in भाग-1 30 सितम्बर. 2019 को समाप्त तिमाही व छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाख में) समाप्त पूर्व वर्ष में तिमाद्री 30.9.2019 समाप्त समान 3 माह 30.9.2019 12.60 25.00 0.05 0.05 0.05 1160.23 1160.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. उक्त परिणामों को 12 नवम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये। 2. उक्त सेबी (सुचीबद्ध और अन्य देयताएं आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजस के साथ दायर तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप 3. तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.deltaleasing.in) पर भी उपलब्ध है। निदेशक मंडल के ओर से व उन्हीं के लिए डेल्टा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (रेनू जिन्दल)

फोकस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस लिमिटेड CIN: L15319DL1985PLC021348 पंजीकृत कार्यालयः 104, मुकुन्द हाउस, कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033 ई-मेलः info@focuslimited.in, वेबसाईटः www.focuslimited.in, फोनः 011-27676399 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम का सार (रु. लाखों में)

क्रम	विवरण	। समाप्त तिमाही।	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही।
सं.		के लिये	के लिये	के लिये
		30.9.2019	30.9.2018	30.9.2019
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	13.20	22.26	25.35
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	0.06	0.11	0.11
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.06	0.11	0.11
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	0.06	0.11	0.11
5.	इक्विटी शेयर पूंजी	1219.42	1219.42	1219.42
6.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) (पूर्व वर्ष में अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई)	0	0	0
7.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अनवरत प्रचालनों के लिए)			
	- मूल	0.00	0.00	0.00
	– तरल	0.00	0.00	0.00
£	.			

1. उपरोक्त परिणामों को 12 नवम्बर, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये। ्2. उपरोक्त सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 3. तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.focuslimited.in) प

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से फोकस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली (ममता जिन्दल) तिथि: 12.11.2019 प्रबंध निदेशक DIN: 00085096



स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 12.11.2019

एसपीएस इन्टरनेशनल लिमिटेड CIN: L74140HR1993PLC031900

पंजी. कार्याः प्लॉट नं. एफ 6-7, एफआईटी, सेक्टर-57, फरीदाबाद-121004

ई-मेलः radhamony.nair@gmail.com; वेबसाईटः www.spsintl.co.in फोन: 9810568630 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाखों में) 30.9.2019 को तिमाही समाप्त अवधि के तिमाही लिए तिथि तक 30.9.2019 30.9.2018 वर्ष का आँकड़ा (अनंकेक्षित (अनंकेक्षित) अनंकेक्षित क) प्रचालनों से राजस्व 420.55 1313.13 12.1 64.32 अविध के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व) 54.57 41.48 10.83 कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद) 10.83 54.57 41.48 ि कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद) 7.74 39.02 31.11 अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए (कर के बाद) लाभ/ (हानि) तथा अन्य 7.74 39.02 31.11 व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) (टिप्पणी सं-2 देखें) इिक्वटी शेयर पूंजी (रु. 10/- का सम मूल्य) 322.59 322.59 322.59 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वित्त वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई 44826.44 44826.44 44826.44 अाय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 10/- प्रति का) (अनवरत तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिए) 0.24 1.21 0.24 1.21 0.96

> बोर्ड की ओर से एसपीएस इंटरनेशनल लिमिटेड के लिये

> > प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः फरीदाबाद सुरेन्द्र कुमार जैन तिथि: 12 नवम्बर, 2019 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का सार है। उक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.spsintl.co.in) पर उपलब्ध है।

2. 1 अप्रैल, 2016 से कम्पनी ने भारतीय लेखा मानक (''इंड एएस'') अपनाई है एवं तदनुसार इन परिणामों को उसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमावली तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंडएएस 34 ''अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग'' में निर्दिष्ट पहचान एवं मापन के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंधन शाखा, प्रथम तल, एससीओ 99-107, मध्य मार्ग, सैक्टर s-सी, चंडीगढ़

[नियम-8 (1)] कब्जा सुचना [प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम-8 (1) के अंतर्गत]

चूंकि, भारतीय स्टेट बैंक, एसएएम शाखा, प्रथम तल, एससीओ 99-107, सैक्टर 8-सी, चंडीगढ़ का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभृति व्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) और प्रतिभृति व्याज (प्रवर्तन) के नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित संबंधित डिमांड नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर्जदार मै. हैंडफेब ए लिथिंग 9, महाथीर कालोनी, जाटल रोड़, पानीपत-132103, फैक्टरी पता: प्लाट नं. 269, सेक्टर 29, भाग-॥, हुडा, पानीपत-132103, श्री सन्दीप कुमार जैन सुपुत्र श्री मणक चन्द जैन (भागीदार), निवासी म. नं. 21, लिची वाला बाग, माहल टाऊन पानीपत-132103, श्री मणक चन्द जैन सुपुत्र श्री श्रीचन्द जैन (भागीदार), निवासी म. नं. 21, लिची वाला बाग, माहल टाऊन पानीपत-132103, श्रीमती सुनीता जैन पत्नी श्री सन्दीप कुमार जैन, निवासी म. ने. 21, लिची वाला बाग, माहल टाऊन पानीपत-132103 (यहां पर कर्जदार तथा गारंटर एकत्रित रूप से "कर्जदार" के तौर पर ज्ञात हैं) को कथित डिमांड नोटिस में वर्णित 49,25,03,322/~ रुपए (केवल उनचास करोड़ पच्चीस लाख तीन हजार तीन सौ बाईस रुपए) जो 31.12.2018 को हैं, के साथ 01.01.2019 से प्रभावी आकस्मिक खर्चें, लागत, प्रभार आदि के साथ ऊपर कथित राशि पर अनुबंधीय दर आगामी ब्याज को अदा करने के लिए आमंत्रित करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, एसएमई-पानीपत मुख्य शाखा (04050) ने दिनांक 01.01.2019 को हिमांह नोटिस जारी किया था।

अब यह खाता एसएमई शाखा पानीपत हारा 28.12.2018 को एनपीए घोषित करने के बाद एसएएम शाखा चंडीगढ़ को स्थानांतरित किया गया है और इस संबंध में आवश्यक सृचना हमारी पत्र संख्या SARG/TEAM-II/7 दिनांक 29.03.2019 हारा पहले ही कर्जदार/गारंटरों को दी गई है। कर्जदार हारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतदहारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों 2002 के नियम 8 के साथ कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 12 नवंबर, 2019 को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है।

कर्जदार व गारंटरों को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर कथित नीचे वर्णित सम्पत्तियों के साथ लेन-देन करने से एतदृहारा सावधान किया जाता है और कथित सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन राशि 49,25,03,322/- रुपए (केवल उनचास करोड़ पच्चीस लाख तीन हजार तीन सौ बाईस रुपए) जो 31.12.2018 को हैं, के साथ 01.01.2019 से प्रभावी आकरियक खर्चें, लागत, प्रभार आदि के साथ ऊपर कथित राशि


पर अनुबंधीय दर आगामी ब्याज के लिए भारतीय स्टेट बैंक के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभृतित सम्पत्तियों को बचाने के लिए समय उपलब्ध है।

कर्जदार तथा गारंटरों से संयुक्त व अलग-अलग रूप से 31.12.2018 को व्याज की अनुबंधीय दरों के साथ बैंक द्वारा वस्ली योग्य राशि 49,25,03,322/- रुपए (केवल उनचास करोड़ पच्चीस लाख तीन हजार तीन सौ बाईस रुपए) जो 31.12.2018 को हैं, के साथ सभी आकरिमक खर्चें, लागत, प्रभार आदि के साथ ऊपर कथित राशि पर 01.01.2019 से प्रभावी अनुबंधीय दर आगामी ब्याज के साथ राशि देय है।

अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण नीचे वर्णित सभी स्थानों पर कंपनी की सभी स्थाई व चालु परिसंपत्तियां और बैंक ऐसी संपत्तियों के ऊपर वैध और संविदा प्रतिभृति ब्याज रखता है और बैंक का दावा सीमित अवधि के अंदर है।

बिक्री विलेख नं. 18543 दिनांक 18.10.2010 के अनुसार श्रीमती सुनीता जैन के नाम पर पंजीकृत ईस्ट ऑफ कैलाश के नाम से ज्ञात कालोनी ईस्ट ऑफ कैलाश रिहायशी स्कीम के लेआकट प्लान में स्थित टेरैस के साथ ई-296, तीसरा तल रकबा 200 वर्ग यार्ड में स्थित सम्पत्ति का पूर्ण तीसरा तल।

तिथि: 12.11.2019 स्थानः नई दिल्ली



पारदाशता का तकाजा

नून से ऊपर कोई नहीं है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले पर फैसला देते हुए की जिसमें उसके प्रमुख न्यायाधीश के कार्यालय को भी आरटीआइ यानी सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने की मांग की गई थी। हालांकि यह एक आम व्यवस्था है कि संविधान और कानून की कसौटी पर देश के सभी नागरिक और समूची व्यवस्था को संचालित करने वाला हरेक व्यक्ति बराबर है, भले ही वह कितने भी ऊंचे पद पर या विशिष्ट क्यों न हो, मगर यह भी सच है कि कुछ मामलों में महज धारणा और स्थापित परंपराओं की वजह से किसी व्यक्ति या पद को लेकर रियायत का रुख अपनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को आरटीआइ कानून के दायरे में लाया जाए या नहीं, इसी धारणा की वजह से पिछले कई सालों से ऊहापोह या विचार का विषय बना हुआ था। लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह साफ कर दिया कि शीर्ष अदालत के प्रमुख न्यायाधीश का कार्यालय अब सूचनाधिकार कानून के दायरे में आएगा। इससे न सिर्फ जवाबदेही और पारदर्शिता में इजाफा होगा, बल्कि न्यायिक स्वायत्तता भी मजबूत होगी।

गौरतलब है कि जब आरटीआइ कानून लागू हुआ था, तभी उसमें यह स्पष्ट व्यवस्था थी कि 'कुछ अपवादों को छोड़ कर' यह सब पर लागू होता है। यानी कुछ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील जानकारियों के अलावा अमूमन सभी मामलों में इस कानून के तहत सूचना देनी ही पड़ेगी। लेकिन न्यायपालिका के मामले में कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ पा रही थी। हालांकि सन 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में साफतौर पर कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है और न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब अपने ताजा फैसले में अदालत ने यही कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय एक 'पब्लिक अथॉरिटी' यानी सार्वजनिक उपक्रम है। इसके सभी न्यायाधीश भी आरटीआइ के दायरे में आएंगे। इसके बावजूद इसमें पहले से जारी गोपनीयता बरकरार रहेगी। दरअसल, आरटीआइ की अहमियत जगजाहिर रही है और बीते कई सालों से लगातार इसके जरिए शासन तंत्र में पारदर्शिता कायम करने से लेकर गोपनीयता के नाम पर छिपाई गई कई जानकारियां सामने आती रही हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ मामले सामने आए जब सूचना और निजता के सिद्धांत के बीच टकराव की स्थिति बनती दिखी।

पिछले कुछ सालों के दौरान ऐसे सवाल भी उठे कि कुछ मामलों में आरटीआइ को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शायद इसी के मद्देनजर अदालत ने आगाह किया कि न्यायपालिका के मामले में अगर आरटीआइ के जरिए जानकारी मांगी जाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल निगरानी रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता और पारदर्शिता के मसले पर विचार करते समय न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नित और स्थानांतरण के मामले में प्रक्रिया संबंधी सूचना देने के सवाल को बहस का विषय माना गया था। लेकिन निजता के दायरे को अगर छोड दिया जाए तो न्यायाधीशों के तबादले और पदोन्नति की प्रक्रिया में पारदर्शिता की अपेक्षा की गई थी। शायद यही वजह है कि अदालत ने पारदर्शिता के समांतर निजता के अधिकार को भी एक अहम चीज माना और प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय से सूचना देते वक्त उसके संतुलित होने की अपेक्षा पर जोर दिया। अब यह माना जा रहा है कि इस बेहद अहम मसले पर छाई धुंध साफ हो सकेगी।

संकट और चुनौती

क पखवाड़े के भीतर ही दूसरी बार दिल्ली की हवा फिर उस खतरनाक 🧲 स्तर पर पहुंच गई है जिसे सबसे ज्यादा जोखिम वाला स्तर मानते हुए दिल्ली में 'जन स्वास्थ्य आपातकाल' लगाया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था- सफर ने वायु प्रदूषण के जो आंकड़े बताए हैं, वे हालात की गंभीरता को बयान करने के लिए काफी हैं। न केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), बल्कि पड़ोसी राज्यों के शहरों में वातावरण दमघोंटू बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय और यहां तक कि सर्वोच्च अदालत तक सक्रिय और गंभीर है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली में वाहनों के लिए सम-विषम योजना भी लागू की गई, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा है। सिर्फ दो दिन ऐसा हुआ जब वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ के नीचे रहा। लोगों को दम घुटने, सांस लेने में तकलीफ, फेंफड़ों में संक्रमण, आंखों में जलन, सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे मरीजों की संख्या में पिछले पंद्रह दिन में तेजी से इजाफा हुआ है। सवाल है कि आखिर हम क्यों नहीं प्रदूषण को कम कर पा रहे? क्यों नहीं सरकारी कवायदें कामयाब हो पा रही हैं?

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार फिर से पांच महीने के लिए ग्रेप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को संशोधित करके लागू किया गया है लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण बढ़ता जाना चिंता की बात है। जाहिर है, इन उपायों को लागू करने में गंभीरता का अभाव है। ग्रेप पर पूरी सख्ती के साथ अमल करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली मेट्रो, रेलवे, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर निगमों जैसे महकमों और एजेंसियों की है, पर इन सबके बीच तालमेल की भारी कमी है और हर महकमा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए दूसरे पर काम टरकाने की प्रवृत्ति से ग्रस्त है। प्रदूषण से निपटने की योजनाओं में कमी नहीं है, लेकिन इन्हें लागू करना बड़ी चुनौती है। आज भी राजधानी के ज्यादातर इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं, ढाबों पर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, गुपचुप तरीके से उद्योगों में भट्टियां चल रही हैं। इन्हें रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? कूड़ा जलाने से रोकना और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई करना किसका काम है?

यह तो अब साफ हो चुका है कि दिल्ली में जितना वायु प्रदूषण हो रहा है उसमें पराली के धुएं का योगदान सिर्फ बाईस प्रतिशत है। तब सवाल है कि बाकी अठहत्तर फीसद प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लाखों ऐसे डीजल और पेट्रोल वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं जिनकी निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है और ये वाहन दिल्ली के प्रदुषण में सबसे बड़ा योगदान करते हैं। लेकिन इन पर लगाम लगाने की दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठा है। सवाल है कि आखिर दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग और यातायात पुलिस कर क्या रही है! क्यों नहीं ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने का अभियान चलाया जा रहा ? दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए जितना जरूरी योजनाएं बनाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत योजनाओं को सख्ती से लागू करने की है।

कल्पमधा

धन को जेब तक ही सीमित रखें, उसे हृदय में स्थान न दें। जब धन को हृदय में स्थान दिया जाता है तो सुख-शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है। -गुरु नानक देव

epaper.jansatta.com

अंधविश्वास का दंश

अरविंद कुमार सिंह

कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस की मौजूदगी में ही महिलाओं को डायन बता कर उनके साथ बदसलूकी की जाती है। प्रशासन इन घटनाओं को गंभीरता से तब लेता है जब मीडिया या स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह की घटनाओं का खुलासा करती हैं और उन्हें सामने लाती हैं।

हा विडंबना है कि जागरूकता और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद हमारा समाज अंधविश्वास के दुष्प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है। समाज में आज भी अंधविश्वास की जड़ें गहरे तक जमी हैं। कुछ समय पहले बिहार में भागलपुर जिले के पीरपैंथी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तांत्रिक के कहने पर अपनी पत्नी की सूनी कोख भरने के लिए अपने ही ग्यारह वर्षीय भतीजें की बलि चढ़ा दी। गौर करें तो अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ाने की यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले के कुसेपा दहेली गांव में एक दंपति ने एक तांत्रिक की सलाह पर अपनी ही बच्ची की बलि चढ़ा दी थी। सिर्फ इस आस में कि ऐसा करने से उसकी समस्याएं छू-मंतर हो जाएंगी और वह सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेगा। इस तरह की घटनाएं आए दिन सुर्खियां बनती रहती हैं। भारतीय समाज में अंधविश्वास इस कदर व्याप्त है कि दो वर्ष पूर्व महिलाओं की चोटी काटने का एक डरावना किस्सा

मथुरा और आगरा में खूब चर्चित रहा था। यह तो ही बात करें तो यहां अंधविश्वास की जड़ें काफी अच्छा रहा कि दोनों शहरों में जिला प्रशासन ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और लोगों को आगाह किया कि वे इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

देश में आए दिन इस तरह की अफवाहें जोर पकड़ती रहती हैं और इनकी आड़ में अपराध को अंजाम दिया जाता है। ये घटनाएं रेखांकित करती हैं। कि हम विकास के चाहे कितने भी दावे क्यों न कर लें, लेकिन असल में हमारा समाज अभी अंधविश्वास में डूबा हुआ है। सच तो यह है कि अंधविश्वास मिटाने की जितनी पहल हो रही हैं, उतनी ही ताकत से अंधविश्वास की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं। अंधविश्वास की आड़ में न केवल बिल देने की कुप्रथा कायम है, बिल्क डायन के नाम पर महिलाओं की नृशंस हत्या भी जारी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक महिला के डायन होने को लेकर अफवाह फैली और हत्यारी भीड ने उसकी दोनों आंखें निकाल कर उसे मौत के घाट

उतार दिया था। हत्या से पहले उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था। पिछले साल ही झारखंड की राजधानी रांची के पास मांडर ब्लॉक के कंजिया मरई टोली गांव की पांच महिलाओं की डायन के शक में हत्या कर दी गई थी। झारखंड के देवघर जिले के पाथरघटिया गांव में पांच महिलाओं को डायन के नाम पर निर्वस्त्र कर घुमाया गया और सिमडेगा जिले के शिकरियातंद गांव में एक अधेड़ महिला को डायन के नाम पर उसके पड़ोसियों ने पीट-पीटकर मार डाला।

ऐसी घटनाएं कमोबेश देश के सभी राज्यों से देखने-सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन की हत्या डायन के नाम पर होती है। ऐसे निर्दयतापूर्ण दुख की बात यह है कि ऐसी घटनाओं को रोकने कृत्य सिर्फ झारखंड राज्य में नहीं, बल्कि विकसित के लिए राज्य सरकारों की ओर से कठोर कदम कहे जाने वाले राज्यों में भी होते हैं। उदाहरण के तौर नहीं उठाए जाते। अंधविश्वास की ऐसी निर्मम घटनाएं उन्हीं राज्यों और क्षेत्रों में देखी जा रही हैं जहां विकास और शिक्षा की लौ पूरी तरह पहुंच नहीं सकी है। अममन इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग शैक्षिक रूप से तो पिछड़े हैं ही, साथ ही यहां स्वास्थ्य सेवाएं भी नदारद हैं। इसी का परिणाम होता है कि वे अपनी बीमारी और अस्वस्थता के अलावा संतान न होने का मल कारण समझने के बजाय इसे भृत-प्रेत और डायनों का प्रभाव मानते हैं और फिर डायन की आड़ में महिलाओं की हत्या और नरबलि जैसे कदम उठा लेते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े और आदिवासी बहुल राज्य झारखंड की

गहरी हैं और उसका सर्वाधिक खमियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां पिछले बीस वर्षों में तेरह सौ से अधिक महिलाओं की डायन के नाम पर हत्या हुई है। डायन कुप्रथा पर काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं की मानें तो गांव वाले ही महिलाओं को डायन के रूप में चिह्नित करते हैं और फिर मौत की नींद सुला देते हैं। अपराधी इसलिए पकड़ में नहीं आते कि इन घटनाओं में पुरा गांव शामिल होता है और अपराधी की पहचान नहीं हो पाती।

आधुनिकता और नई से नई तकनीक से लैस होने के बावजूद हमारा समाज कितना पिछड़ा और अंधविश्वास से ग्रस्त है, इन घटनाओं से आसानी से समझा जा सकता है। कुछ साल पहले देहरादून की एक गैर सरकारी संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में तकरीबन हर साल दो सौ से अधिक महिलाओं



पर. आंध्रप्रदेश में हर साल तीस से ज्यादा महिलाओं को डायन बता कर मार दिया जाता है।

इस मामले में हरियाणा और ओडीशा का रिकार्ड भी कम नहीं है। इन दोनों राज्यों में पच्चीस से तीस और चौबीस से अट्टाईस महिलाओं की हत्या सिर्फ अंधविश्वास और जादू-टोने के नाम पर की जाती है। पिछले डेढ़ दशक में देश में डायन के नाम पर लगभग ढाई हजार से ज्यादा महिलाओं की हत्या हो चुकी है। जहां एक ओर देश में महिलाएं पंचायतों से लेकर संसद और विधानसभाओं में अहम सहभागी बन रही हैं और नित नई बुलंदियों को चूम रही हैं, वहीं डायन के

नाम पर महिलाओं की निर्ममतापूर्वक हत्याओं का सिलसिला शर्म से सिर झुका देता है। समाज के ठेकेदार डायन के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र घुमाने के साथ-साथ सामृहिक बलात्कार कर रहे हैं।

इस तरह की घटनाएं कानून और प्रशासन के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पुलिस की मौजूदगी में ही महिलाओं को डायन बता कर उनके साथ बदसलुकी की जाती है। प्रशासन इन घटनाओं को गंभीरता से तब लेता है जब मीडिया या स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह की घटनाओं का खुलासा करती हैं और उन्हें सामने लाती हैं। हालात तब और बदतर हो जाते हैं जब पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाली पंचायतें बैखौफ होकर अपने फैसले सुनाते हए किसी भी महिला को डायन करार दे देती हैं और समाज का पढ़ा लिखा तबका उनका विरोध करने के बजाए उन्हें अपना मौन समर्थन देता नजर आता है। इन घटनाओं के पीछे सामाजिक रूढ़िवादिता

> तो बड़ा कारण है ही, साथ ही कानून के अनुपालन में कमी भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है। ऐसी महिलाओं को भी डायन करार देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है जिनके परिजन नहीं हैं और उनके पास संपत्ति है। अगर कहा जाए कि डायन की आड़ में संपत्ति हड़पने और नरबलि के पीछे दुश्मनी साधने का खेल चल रहा है, तो यह गलत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में समाज में व्याप्त इन कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ जनजागरण चलाने की जरूरत है। साथ ही इन घटनाओं को अंजाम देने वालों की पहचान कर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।

भारतीय जनमानस को समझना होगा कि अंधविश्वासों को खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है। इन्हें उखाड़ फेंकने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां ऐसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। उन वजहों को भी तलाशना होगा जिनके कारण इन घटनाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। कम पढ़े-लिखे लोग अक्सर गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में जाने के बजाए ओझा-तांत्रिकों की शरण लेते हैं और ये तांत्रिक उनके अज्ञान का फायदा उठाते हुए आर्थिक शोषण तो करते ही हैं, उन्हें अपराध करने के लिए भी उकसाते हैं। बेहतर होगा कि सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं पिछड़े और सुविधाहीन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करें।

हवा में जहर

स्भाष चद्र कुशवाहा

🎹 रे उत्तर भारत में छाई धुंध से दम घुटना अब एक देबड़ी समस्या बन चुका है। इसका एक कारण पराली जलाने पर केंद्रित है तो बहुत सारे लोग पटाखों, औद्योगिक धुएं और वाहन प्रदूषण को दोषी बता रहे हैं। सही है कि वायु प्रदूषण में इक्यावन फीसद हिस्सा वाहन प्रदूषण का है, जिनमें डीजल वाहनों का उत्सर्जन ज्यादा नुकसानदायक है। औद्योगिक उत्सर्जन, प्लास्टिक कचरा, पटाखे, लकड़ी या कोयला जलाने से भी हवा प्रदूषित हो रही है, लेकिन वर्तमान धुंध के पीछे पटाखे और पराली जलाना एक कारण तो है।

कोलोराडो विश्वविद्यालय के कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल साइसेंज के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि पराली जैसे बायोमास जलाने से खतरनाक नाइट्रोजन यक्त कार्बनिक रसायन निकलते हैं। ये रसायन, लकड़ी जलाने की तुलना में हवा को ज्यादा जहरीला बनाते हैं। पुआल या पराली की आग में एसिटोनिट्राइल की सांद्रता, लकड़ी की आग की तुलना में दस गुना अधिक होती है और यह हवा में लंबे समय तक बनी रहती है। किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने के कृत्य को

विगत वर्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी ने गंभीरता से लिया था और इस कृत्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए पर्यावरण शुल्क वसूलने का आदेश दिया था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो पंद्रह हजार रुपए जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया था, मगर इससे स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस साल धुंध और बढ़ गई। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरे को देखते हुए छुट्टी भी घोषित कर दी गई थी। दुनिया मेरे आगे

जाहिर है कि यह समस्या जुर्माने से हल नहीं हो सकती।

पराली या फसलों के डंठलों को जलाने की समस्या दरअसल खेती-किसानी से पशुओं की छुट्टी का परिणाम है। अब खेती-किसानी की संरचना बदल चुकी है। मशीनों के प्रयोग ने पशुओं को बेदखल कर दिया है। चारे की आवश्यकता समाप्त हो गई है। मशीनों से फसलों की कटाई के बाद डंठलों को खेतों में छोड़ दिया जा रहा है। पराली को खेत से अलग करने के लिए मजदूरों का अभाव है और यह एक खर्चीला काम है। किसानों की हालत पहले से ही खराब है और वे खेतों से पराली अलग करने का खर्चीला काम नहीं कर पा रहे। जला कर मुक्ति पाना ही एक विकल्प है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डंठलों को जलाना स्वास्थ्य और

जैविक दृष्टि से हानिकारक है। पर्यावरण के साथ-साथ इससे जमीन की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। खेती–किसानी में सहायक छोटे–छोटे जीव मारे जाते हैं। उन जीवों पर निर्भर रहने वाली चिड़ियां मारी जाती हैं।

यह समस्या अकारण और एकाएक नहीं पैदा हुई है और न इसके लिए सिर्फ किसान दोषी हैं। दरअसल यह हमारी गलत कृषि नीतियों का परिणाम है जो पर्यावरण का ध्यान रखे बिना, मुनाफे के गणित पर तैयार की गई हैं। हमने मशीनों

सामंजस्य को भंग कर दिया है। हमारे कृषिकरण में मनुष्य और मशीनों के साथ-साथ पशुओं की भूमिका भी तय होनी चाहिए थी। मशीनों के इस्तेमाल के साथ-साथ खेतों में उसके द्वारा छोड़े गए अवशेषों के निस्तारण पर विचार किया जाना चाहिए था।

और जानवरों के बीच के

हमें इस तथ्य को याद करना चाहिए कि एक दशक पूर्व तक पुआल जलाने की नौबत नहीं आती थी। किसान पुआल की पूंज लगा कर हिफाजत करते थे। पुआल की बिक्री होती थी। यही स्थिति गेहूं के भूसे की भी थी। खेती-किसानी की पूरी संरचना पशुओं पर निर्भर होने के कारण पुआल की खपत इतनी थी कि किसान पुआल को चारे के रूप में इस्तेमाल करने के बाद जो बचता था, उसे बेच कर कुछ कमा लेते थे। कागज बनाने में भी पुआल या भूसे का इस्तेमाल होता था और गांव-गांव में भूसा खरीदने वाले ट्रक दिखाई देते थे। सच यह है कि फसल अवशेषों के व्यावसायिक उपयोग को नकार कर आधुनिक मशीनों से खेती-किसानी की जो तरकीब निकाली गई, उसने इस समस्या को जन्म दिया है।

हमने पराली के उपयोग का विकल्प तैयार नहीं किया है। अगर रोटावेटर जैसी मशीनों को हर ग्राम सभा में उपलब्ध करा कर पराली को बारीक कतर कर जमीन में मिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई होती तो प्रशिक्षित किसान पराली को सड़ा कर जैविक खाद बना सकते थे।

हमें कागज और कार्ड बोर्ड बनाने में पराली और भूसे का उपयोग बढ़ाना चाहिए और पराली की खरीद की योजना लानी चाहिए। चूंकि अवशेष डंठलों से भी लाभ कमाया जा सकता है, यह ध्यान में आने के बाद किसान जलाने का विकल्प छोड़ देंगे। कंबाइन की कार्य प्रणाली में भी बदलाव किया जाना चाहिए, जिससे धान निकालने के बाद उसी मशीन से डंठलों को भी खेतों से निकालने का काम हो। डंठलों से खाद निर्माण के लिए योजनाएं चला कर उनकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती थी। देखा जाए तो यह मसला न तो प्रतिबंधों से हल हो सकता है और न सख्त कानून से, पराली को उपयोगी बना कर और किसानों के बीच जागरूकता फैला कर ही इस समस्या से निपटा जा सकता है।

प्रदूषण की राजधानी

च्चवाओं का यह स्वभाव होता है कि वे जिन क्षेत्रों 🖰 से होकर गुजरती हैं, वहां के वायु मंडल में उपलब्ध सुगंध-दुर्गंध, धुएं और धूल के कण, विषैली गैसों आदि को साथ लेकर बहती रहती हैं। जिस प्रकार पहाड़ों से आने वाली हवाएं सर्द और नदी के ऊपर से बहती हवाएं भीगी यानी नम होती हैं, ठीक उसी प्रकार दिल्ली जैसे प्रदूषण के शिकार शहरों में आने वाली हवाएं उनके पास-पडोस के क्षेत्रों में जलाई जा रही धान की परालियों से उठते धुएं के कारण विषाक्त हो गई हैं। सचमुच, सत्संग और कुसंग का प्रभाव चरितार्थ होता दीख रहा है।

दिल्ली को देश की नाक कहा जाता है। यहां के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर हो रहा खर्च देश के सभी राज्यों में हो रहे खर्च से अधिक है, फिर भी दिल्ली अब पर्यावरण-प्रदूषण के चलते भयावह हो गई है। कुछ दिन ही हुए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता को अपने घरों की खिड़कियां न खोलने, सुबह सैर पर न निकलने की सलाह दी थी। सहज ही प्रश्न उठता है, आखिर कब तक लोग इस तरह बिल में रहने वाले जंतुओं की सी जिंदगी बसर करेंगे और कब तक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक सुबह की सैर पर नहीं जाएंगे? यह तो पर्यावरण प्रदूषण से बचने का स्थायी उपाय नहीं प्रतीत होता क्योंकि दिल्ली में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपनी रोजी-रोटी के लिए दिल्ली की सड़कों पर पैदल या साइकिल से चलते हैं। वे कैसे घर में बैठे रह सकते हैं?

ऐसा नहीं है कि पर्यावरण-प्रदूषण की शिकार केवल दिल्ली है। मैं कुछ दिनों के लिए वाराणसी गया हुआ था। वहां के पर्यावरण की स्थिति दिल्ली से बहुत बेहतर नहीं है। कहने के लिए बनारस प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, पर बड़े पैमाने पर वहां

सड़क और पुल निर्माण कार्यों के चलते उड़ती धूल और गाड़ियों से निकलते धुएं के कारण सड़कों पर चलना दुभर है। वहां की स्थिति किसी भी तरह दिल्ली की स्थिति से अच्छी नहीं थी।

पर्यावरण प्रदुषण के लिए किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली को ही दोष देना किसानों के साथ अन्याय है। हालांकि कुल प्रदुषण में उसका योगदान चौसठ प्रतिशत है, जिसे देखकर ही शायद उच्चतम न्यायालय ने किसानों को प्रति एकड़ सौ रुपए के हिसाब से भुगतान करने के लिए सरकार को आदेश दिया, जिससे कि वे पराली जलाने का विकल्प अपना सकें। शहरों में तीव्र गति से फैल रहे प्रदूषण

मतलब; उन नौजवानों के लिए भला क्या मतलब जिन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए काम न मिल पाता हो? जब लोग बाजार में आलू-प्याज-सब्जी खरीदने निकलते हैं तो मानो कोई जंग लड़ने निकलते हैं। लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम उठाती नहीं दिख रही है।

किसान को दस खरब की अर्थव्यवस्था से भला क्या

• दिनेश चौधरी, सुरजापुर, सुपौल, बिहार

बदहाल बचपन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 'आज के बच्चे कल के

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-८, सेक्टर-7, नोएडा २०१३०१, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

को रोकने के लिए उनमें चलने वाले गाड़ी के गैरेज निर्माण कार्यों, सड़क के किनारे लगने वाले बाजारों पर भी नियंत्रण रखने की सोचनी चाहिए। यत्र-तत्र चौराहों पर होने वाले यातायात जाम भी प्रदूषण में कम योगदान नहीं देते, यह ध्यान देने की बात है। • राजेंद्र प्रसाद सिंह, पश्चिमी विनोद नगर, दिल्ली

नीचे की ओर

सकल घरेलू उत्पाद की दर लगातार नीचे की ओर लुढ़क रही है। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, मंदी के बादल छाने लगे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद दर दिन-ब-दिन क्यों नीचे गिर रही है? जिस देश में फसलों का उचित मूल्य न मिल पाता हो उसके

भारत का निर्माण करेंगे। हम जिस तरह बच्चों की परवरिश करते हैं उससे भारत का भविष्य तय होता है।' वे बच्चों से बहुत लगाव रखते थे, तभी तो उनके जन्मदिन चौदह नवंबर को बाल दिवस

के रूप में मनाया जाता रहा है।

इस दिन स्कुलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बच्चों के कल्याण की बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं लेकिन कडवी हकीकत है कि आज भी भारत में छोटे-छोटे बच्चे गरीबी के कारण मजदूरी करने को विवश हैं। बच्चों के कुपोषण के मामले में भी भारत की स्थित कोई खास अच्छी नहीं है। गरीब भी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं. लेकिन गरीबी के कारण वे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। क्या आज कोई है ऐसे बच्चों के दुख-दर्द को समझने वाला?

दरअसल, बाल दिवस मनाने का औचित्य तभी होगा जब गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी पढ़ाई की उम्र में किसी काम पर या थैला उठा कर कुड़े के ढेर के पास नहीं जाएगा, बल्कि किताबों से भरा बैग लेकर स्कूल जाने लगेगा, देश में से बाल मजदुरी का कलंक शत प्रतिशत मिटेगा और हर गरीब बच्चे को भरपेट भोजन मिलेगा।

• राजेश कुमार चौहान, जालंधर

रेटिंग के बावजूद

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की साख यानी क्रेडिट रेटिंग आउटलुक नकारात्मक कर दिया है, हालांकि उसने विदेशी मुद्रा रेटिंग 'बीएए2' को बरकरार रखा है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रेटिंग की माया या तो वे खुद जानती हैं या शायद ईश्वर। 2010 में एक अन्य रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्स एंड पुअर (एसएंडपी) ने आइसलैंड को सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 'एएए' दी थी मगर इसके अगले साल ही उसकी अर्थव्यवस्था एकदम बैठ गई। उसके तीनों प्रमुख बैंक फेल हो गए। उसकी मुद्रा क्रोनर डूब गई। उसका विदेशी ऋण जीडीपी का सात गुना तक पहुंच गया। आइसलैंड में पैसा लगाने वाले करोडों निवेशकों को एसएंडपी ने मारक चोट पहुंचाई। पूरी दुनिया ने एसएंडपी को लानत भेजी।

लिहाजा, भारत को मूडीज की रेटिंग या आउटलुक की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था अपनी मूलभूत मजबूती के कारण फिर गित पकड़ने लगी है। मुडीज भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हां अपनी विश्वसनीयता जरूर दांव पर लगा सकती है। भारत में विदेशी निवेश की रफ्तार को रोकने में यह रेटिंग कामयाब नहीं हो सकती, वह करीब नौ फीसद की समान दर से बढ़ रहा है। यह विश्व में सर्वाधिक है।

🌘 आस्था गर्ग, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश

नई दिल्ली



14 नवंबर, 2019 7



नवंबर 14-26-नवंबर 18-24 -नवंबर 19 -नवंबर 20-25 -नवंबर 21-24 -

भारत- बांग्लादेश टैस्ट मुकाबला डेविस कप (टेनिस) फुटबाल, यूरो २०२० क्वालीफाइंग न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड (पहला टैस्ट) गोल्फ : डीपी वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप दुबई

खेल कार्यक्रम



मनोज तिवारी 14 नवंबर : 17 नवंबर : युसुफ पटान झूलन गोरवामी 25 नवंबर : सुरेश रैना 27 नवंबर : राहुल शर्मा 30 नवंबर :

जन्मदिन

ओलंपिक मशाल की दिलचस्प कहानी

संदीप भूषण

क्यो ओलंपिक 2020 को लेकर तकनीक का हब माने जाने वाले जापान में तैयारियां जोरों पर हैं। दुनियाभर के खिलाड़ी इसमें भाग लेने के लिए क्वालीफायर में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके आयोजकों का कहना है कि इस बार खेल गांव में खिलाड़ियों और प्रशंसकों को सर्वोच्च तकनीक का बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। हालांकि अभी सबकी निगाहें ओलंपिक मशाल पर टिकी हैं। चेरी ब्लासम के आकार की मशाल 26 मार्च 2020 को विश्व भ्रमण के लिए निकलेगी।

ओलंपिक खेलों की शुरुआत से पहले भी कई देश अपने यहां अलग-अलग तरह की प्रतियोगिताएं कराते रहे हैं। साथ ही ग्रीस में इस भी ऐसी प्रतियोगिताओं का चलन था। 19वीं शताब्दी में बरों पियरे डी कुवर्तेन ने इसे विश्व पटल पर लाने का काम किया। ओलंपिक के आयोजन का मुख्य मकसद सभी देशों के बीच शांति का पैगाम देना था। कुवर्तेन ने 1896 में पहली बार सभी प्राचीन खेलों को एक मंच पर लाकर उन्हें दुनिया के सामने रखा। इसके बाद 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में पूर्ण रूप से ओलंपिक का जन्म हुआ। लेकिन, दुनिया की महाशक्तियों

समय के साथ बदला रंग, स्वरूप

समय के साथ मशाल का स्वरूप, रंग और इसे बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुएं बदलती रही। 2000 में सिडनी ओलंपिक के दौरान मशाल को यहां के ओपरा हाउस और बूमरैंग का आकार दिया गया था। वहीं बेजिंग ओलंपिक में इसे एल्युमीनियम और मैग्नीज को मिलाकर बनाया गया था। इस मशाल को लिनोवो के 30 डिजाइन विशेषज्ञों ने तैयार किया था।

ने इसे तवज्जो नहीं दी। यही कारण रहा कि शुरुआती सालों में लगभग 🛾 यही से पहली बार ओलंपिका मशाल का सफर शुरु हुआ। यहां एक ऊंची 14 देश के 241 खिलाड़ी ही इसका हिस्सा बन पाए।

1928 में आठवें ओलंपिक की मेजबानी एम्सटर्डम को मिली और

मीनार पर ओलंपिक मशाल जलाई गई जो पूरे खेल के दौरान जलती रही। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार मशाल यात्रा शरू हुई। मशाल को मेजबान देश के अलावा अन्य देशों में भी घुमाया जाने लगा। इसी परंपरा को आज तक आयोजक देश निभाते आ रहे हैं।

तकनीक और साहस का प्रदर्शन

1952 के ओस्लो ओलंपिक में मशाल ने पहली बार हवाई मार्ग से यात्रा की। वहीं 1956 के स्कॉटहोम ओलंपिक के दौरान मशाल की यात्रा घोड़े की पीठ पर संपन्न हुई। 1968 में मशाल को मैक्सिको से समुद्र के रास्ते दुनिया का भ्रमण कराया गया था। 1976 के मांट्रियल ओलंपिक में कनाडा ने एथेंस से ओटावा तक मशाल के सफर का सेटेलाइट प्रसारण भी किया था। 1994 के लिलेहैमल शीतकालीन खेलों के दौरान पैराजंपरों ने पहली बार हवा में मशाल का आदान-प्रदान किया। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 2000 के सिडनी ओलंपिक में मशाल को ग्रेट बैरियर रीफ के पास समुद्र की गहराइयों में उतारा गया।

तोक्यो में चेरी ब्लासम

तोक्यो ओलंपिक के आयोजकों के मुताबिक, मशाल का ऊपरी हिस्सा चेरी ब्लासम के आकार का होगा। उन्होंने बताया कि इसमें बनाने में वही तकनीक और धातु इस्तेमाल की गई है जो बुलेट ट्रेन बनाने में की जाती है। यह सुनहरें गुलाब की तरह होगा जो 71 सेंटीमीटर लंबा और एक किलो 200 ग्राम का होगा। साथ ही इसमें 2011 में भूकंप और सुनामी पीड़ितों के लिए अस्थायी मकान बनाने में उपयोग किए गए एल्युमीनियम से निकले अपशिष्टों का इस्तेमाल किया गया है। ओलंपिक मशाल रिले फुकुशिमा से 26 मार्च 2020 को शुरू होगी जो 10 जुलाई को तोक्यो पहुंचेगी।



मनीष कुमार जोशी


क्षिण अफ्रीकी सबसे अधिक किसी खेल से मोहब्बत करते हैं तो वह रग्बी से। वे रग्बी के हर छोटे टूर्नामेंट तक में अपने देश की जीतते देखना चाहते हैं। इस बार तो दक्षिण अफ्रीका रग्बी में विश्व विजेता बन गया। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह ख़ुशी पहली बार नहीं आई है बल्किवह तीसरी बार विश्व विजेता बना है। इससे पहले 1995 और

2007 में विश्व खिताब जीता था। इस बार चैंपियन बनने में जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है वे टीम के अश्वेत कप्तान सिया कोलिसी है। कोलिसी दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत कप्तान हैं जिन्होंने रग्बी विश्व कप जीता है।

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति का विवादित इतिहास रहा है और जिनके अवशेष अभी भी बचे हुए है। ऐसे में यदि किसी अश्वेत कप्तान के नेतृत्व मे टीम विश्व चैंपियन बनती है तो यह जीत खास बन जाती है। कोलिसी को एक अश्वेत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए हालांकि एक अश्वेत की इस काम्याबी से दक्षिण अफ्रीका में पूरी अश्वेत बिरादरी को एक ताकत मिलेगी। सिया कोलिसी के लिए तो खेलना भी दूर की बात थी। उनके मां बापइतने गरीब थे कि उनके पास सिया को पालने के लिए भी पैसे नहीं थे। मां बाप ने सिया को उनकी दादी के पास छोड़ दिया जहां उन्होंने रग्बी खेलना शुरू किया।

खेल पर उनकी बचपन से गजब की पकड़ थी। उनकी रफ्तार और खेलकी तकनीक देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता। वे पहली बार कोई टूर्नामेंट खेलने किसी मैदान में उतरे तो उनके पास किट के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंनेमैच के दौरान बॉक्सर के शॉर्टस पहने हुए थे। उनके खेल को देखते हुए उनकी टीम को उन्हें खिलाना पड़ा। वे अपने खेल के बूते आगे बढ़ता रहे परन्तु कुछ सालों में ही उनकी मां और दादी का निधन हो गया। उसके बाद उनके लिए अपने खेल को जारी रखना मुश्किल हो गया था। उनके पास आजीविका का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में किसी के लिए खेल को जारी रखनाकितना मुश्किल काम हो सकता है। फिर भी उन्होंने अपने आपको मानसिक रूप सेमजबूत किया और खेल को जारी रखा। उनका खेल इतना अद्भुत था कि उन्हें एक के बाद एक सफलताएं मिलती गई। कोलिसी की खेल पर अच्छी पकड़ है। वे मैदान में पूरीतरह से चौकन्ना रहते हैं। वे फ्लेंकर की पोजीशन में खेलते हैं। उनकी इस प्रतिभा को चयनकर्ताओं ने पहचाना और उन्हें दक्षिण अफ्रीकी टीम का कप्तान बना दिया गया। उन्हें खिलाड़ी के तौर पर कोई बड़ा अनुभव नहीं था। उन्होंने अभी तक मात्र 58 मैच ही खेले थे। दरअसल यह जिम्मेदारी उसकी खेल की समझ को देखकर सौंपी गई। और उन्होंने बेहतर ढंग से अपनी टीम का नेतृत्व किया। फाइनल में इंग्लैंड के विरुद्ध मैच खेलने से पहले सभी खिलाड़ियों को कहा किहमारे पास अगले 80 मिनट हैं और इसमें हमें एकजुट होकर सामजंस्य के साथ खेलना है। इस दौरान हम से बेहतर कोई नहीं है। इस मंत्र के सब कायल हो गए।

कोलिसी ने टीम के खिलाड़ियों का इस तरह से मनोबल बढ़ाया कि टीम के खिलाड़ियों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहा। वैसे टीम के कोच रेसी एरामस भी कहते हैं कि हमारे लिए रग्बी में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। लोगों का समर्थन हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। इस मंत्र के सहारे दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में इंग्लैंड को 32-12 से हराकर तीसरी बार विश्व खिताब जीत लिया।



इंग्लैंड के फुटबाल खिलाड़ी बुधवार को बर्टन के सेंट जॉर्ज पार्क में टीम के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करते हुए। इंग्लैंड गुरुवार को वेम्बले में यूरो 2020 क्वालीफायर मुकाबले में मोंटेनीग्रो से भिड़ेगा।

ऋषभ बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। उन्हें अपने हिसाब से खेलने दीजिए। उनमें

कोई कमी नहीं है। उनकी गलतियों को नहीं देखिए, खूबियों पर ही गौर

कीजिए। इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया में वे अपना जलवा दिखा चुके हैं।

-सुरिंदर खन्ना, पूर्व भारती<mark>य विकेटकीपर</mark>

यह विकेटकीपर बल्लेबाज खास है। उनकी धोनी के साथ तुलना बंद होनी चाहिए। वे काफी समय से टूर कर रहे हैं। इसलिए अभ्यास ठीक से नहीं कर पाए। थोड़ी मेहनत से सभी किमयां दूर कर लेंगे। -तारक सिन्हा, प्रशिक्षक

ऋषभ पत

सभी एकमत, भरोसा रखो; खेलाते रहो

चया

सुरेश कौशिक

बदलाव

पनी खूबियों से खिलाड़ी टीम में जगह बनाता है। प्रदर्शन के दौरान की गई गलतियां उसे आलोचना के घेरे में लाती हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी अपवाद होते हैं। अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से वे सभी को अपना कायल बना लेते हैं। वे अपने प्रति लोगों में इतना

सिया कोलिसी

विश्वास जगा देते हैं कि उनकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। हर कोई उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है और भरपूर मौका दिए जाने की वकालत करता है। यह इसलिए होता है ताकि टीम में स्थापित किया जा सके। ऐसे ही एक क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत जो विकेटकीपिंग कला से ज्यादा अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं।

आइपीएल में हम इस खिलाड़ी की करिश्माई बल्लेबाजी देख चुके हैं। टैस्ट क्रिकेट में परंपरागत रूप से दो सबसे सशक्त देशों आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं की सरजमीं पर शतकीय पारियां खेलकर इस खिलाड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। विकेट के पीछे रेकार्ड भी बनाया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनकी ताकत है। यही वजह है कि पंत क्रिकेट के तीनों फार्मेट - टैस्ट, वनडे और टी20 - में पहली पसंद बन गए।

पर आज बल्ले से चल रहा विफलता का दौर, विकेटकीपर के तौर पर चूक और सबसे अहम डीआरएस को बेकार करवा देना सभी कुछ उनके खिलाफ जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कोच हो या कप्तान, बोर्ड अध्यक्ष हो या क्रिकेट विशेषज्ञ हर कोई उन्हें बराबर मौका देते रहने का पक्षधर है।

> यह ठीक है कि विकेटकीपर को अपनी क्लास दिखाने, प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने में समय लगता है। यह समय उन्हें द्विपक्षीय सीरिज में जितना चाहे, दे दिया जाए, लेकिन जब बात आइसीसी टूर्नामेंटों की आती है तो क्या ऐसा दांव खेलना टीम इंडिया को महंगा नहीं पड़ सकता है?

किसी भी बल्लेबाज की फार्म गड़बड़ा सकती है। लेकिन उस चूक का क्या करें जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ विकेटकीपर के तौर पर की। दो बार कप्तान रोहित शर्मा उनके भरोसे डीआरएस लेने गए और दोनों ही बार फैसला खिलाफ गया। विकेटकीपर कैच लपकता है तो वह सौ फीसद आश्वस्त रहता है। लेकिन दोनों बार पाया गया कि गेंद का बल्ले से संपर्क नहीं हुआ था। स्टंपिंग में भी वे गड़बड़ाए और गेंद को विकेट के पीछे की बजाय आगे से ही लपक लिया जो नियमों के खिलाफ है। इससे बल्लेबाज को वापस क्रीज पर बुला लिया गया। दूसरी बार वे मामूली अंतर से बच गए।

इन घटनाओं ने महेंद्र सिंह धोनी की याद तरोताजा कर दी। चयनकर्ता टीम में उन्हें वापस नहीं लेना चाहते। वे भविष्य की

ओर देखना चाहते हैं। धोनी की क्लास अलग है। विकेटकीपिंग - खास तौर से स्टंपिंग - में वे बेजोड़ हैं। डीआरएस के प्रति भी उनका नजरिया काफी अच्छा है। वैसे मैदान पर उनका अनुभव, उनकी सलाह, क्षेत्ररक्षण की सजावट में कप्तान की मदद जैसे मुद्दों पर उनकी बड़ी भूमिका रहती है। बल्लेबाजी उनकी विस्फोटक नहीं रही।

उनकी फिनिशिंग पावर भी कमजोर पड़ी है। पर वे रणनीति बनाकर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अभी उन्होंने संन्यास की घोषणा नहीं की है। ऐसे में टी20 विश्व कप के लिए टीम में उनकी वापसी से इनकार नहीं किया जा सकता है। पंत में महान विकेटकीपर बनने के गुण हैं। उन पर

भरोसा जताना सही है। उन्हें परिपक्व होने दीजिए। वे खुद जानते हैं कि टीम में बने रहने के लिए उनसे जो अपेक्षाएं रखी गई हैं, उन पर खरा उतरना है। गलतियों की

टी20 जैसे फार्मेट में कोई गुंजाइश नहीं है। एक चूक मैच में बदल सकती है। इसलिए बल्लेबाजी ही नहीं, विकेटकीपिंग की कला में भी पारंगत होना होगा। ऋषभ की प्रतिभा का सिक्का तो विदेशी क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते

हैं। उनकी पंत को सलाह है कि वे धोनी बनने की कोशिश नहीं करे। धोनी ने विकेटकीपिंग के बड़े मानदंड स्थापित किए हैं। पंत को अपने मानदंड बनाने चाहिए। यह दौर विकेटकीपर बल्लेबाजों का है। उनकी बल्लेबाजी क्षमता पर कोई संदेह नहीं, बस उन पर भरोसा रखिए।

बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही: उद्धव

मुंबई, 13 नवंबर (भाषा)।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बुधवार को यहां महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और कहा कि राज्य में सरकार गठन को लेकर बातचीत 'सही दिशा' में आगे बढ़ रही है और उचित समय आने पर फैसला लिया जाएगा। बहरहाल, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख



सब कुछ ठीक चल रहा है। बातचीत सही दिशा में चल रही है और उचित समय आने पर फैसले की घोषणा की जाएगी।

एक होटल में थोराट, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माणिकराव ठाकरे से मुलाकात की। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के एक दिन बाद हुई यह बैठक करीब

ठाकरे ने उपनगर के

एक घंटे तक चली।

ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद होटल से बाहर आने पर पत्रकारों से कहा, 'सब कुछ ठीक चल रहा है। बातचीत सही दिशा में चल रही है और उचित समय आने पर फैसले की घोषणा की जाएगी।' बाद में जब थोराट से पूछा गया कि क्या बैठक नई सरकार के गठन की दिशा में सकारात्मक रही, इस पर उन्होंने कहा, 'उद्धव ठाकरे

शिवसेना-राकांपा संग सत्ता में साझेदारी को कांग्रेस तैयार

अजय पांडे नई दिल्ली, 13 नवंबर।

कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुआई में बनने वाली गठबंधन सरकार में शामिल हो सकती है। तीनों दलों में एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रारूप तय हो जाने के बाद पार्टी इसका औपचारिक एलान करेगी। राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त या पार्टी में किसी भी टूट-फूट की आशंका के मद्देनजर कांग्रेसी रणनीतिकारों ने सत्ता में साझेदारी के फार्मूले पर रजामंदी दे दी है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर सरकार गठन को लेकर राकांपा नेता शरद पवार व शिवसेना के नेताओं से बातचीत करने मंगलवार को मुंबई गए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल व मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां से लौटकर गांधी को सुबे की वस्तुस्थित से अवगत करा दिया है। सूत्रों की माने तो सत्ता में हिस्सेदारी के तौर तरीकों पर इन नेताओं की राकांपा नेताओं के अलावा उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात हुई।

के साथ हमारी बैठक शिष्टाचार भेंट थी। हम मुलाकात कर रहे हैं, यह बात अपने आप में सकारात्मक कदम है।' माणिकराव ठाकरे ने कहा कि आगे की बातचीत के लिए 'मैत्रीपूर्ण माहौल' बनाने के वास्ते यह बैठक हुई। ठाकरे के साथ बैठक से पहले मंगलवार को

विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए जल्द सरकार गठन की कवायद दिल्ली से गए तीन वरिष्ट कांग्रेसी नेताओं के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने भी टाकरे से मुलाकात की

इस बीच कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नेताओं ने एक 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए बुधवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बालासाहेब थोरात, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और पार्टी के वरिष्ठ नेता माणिकराव ठाकरे ने एक उपनगरीय होटल में ठाकरे से बातचीत की। इससे पहले कांग्रेस के तीनों नेताओं ने शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत से मुंबई के एक अस्पताल में मुलाकात की। सूत्रों की माने तो केरल से आने वाले नेताओं ने

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर यह दबाव बनाया कि

एआइसीसी नेताओं अहमद पटेल, के सी वेणुगोपाल, मिल्लिकार्जुन खरगे की राकांपा प्रमुख शरद पवार के साथ बैठक हुई थी जिसमें शिवसेना के साथ सरकार गठन के लिए 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' (सीएमपी)

तैयार करने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा,

पार्टी को सरकार में शामिल होने से यह पहले यह संदेश देना जरूरी है कि वह शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए अपने सिद्धांतों से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। इन नेताओं की दलील थी कि ऐसा नहीं करने पर कांग्रेस के आज के सबसे बड़े सियासी दुर्ग केरल में और दक्षिण भारत के अन्य प्रांतों में उसको नुकसान हो सकता सकता है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के सबसे ज्यादा 15 सांसद केरल से हैं। तमिलनाडु के सांसदों की भी अच्छी खासी संख्या है।

दूसरी ओर महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में कांग्रेस अध्यक्ष से कहा कि सरकार बनाने में देरी से विधायकों की टूट फूट की आशंका बन सकती है क्योंकि कोई भी विधायक फिर से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई में कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल नहीं चलने देगी। समझा जा रहा है कि परिस्थितियों पर गौर करने के बाद कांग्रेस कुछ शर्तों के साथ महाराष्ट्र में शिव सेना व राकांपा के साथ सत्ता में साझेदारी कर सकती है।

'कांग्रेस और राकांपा को सहमति पर पहुंचना होगा और साझा एजंडे के लिए कुछ मुद्दे को स्पष्ट करना पड़ेगा।' थोराट ने कहा कि राकांपा ने 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' तय करने के लिए बनाई जाने वाली एक संयुक्त समिति के लिए अपने पांच सदस्यों को नामित कर दिया है।

संख्या बल हो तो अब भी सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है : शाह

नई दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा)।

गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के निर्णय पर विपक्ष द्वारा 'कोरी राजनीति' करने का बुधवार को आरोप लगाया और कहा कि यदि किसी दल के पास संख्याबल है तब वह अब भी राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा कर सकता है। शाह ने ट्वीट में कहा, 'राज्यपाल महोदय ने अधिसूचना के बाद सभी पार्टियों को 18 दिन का समय दिया था। महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को पूरा समय दिया गया। अब भी अगर किसी के पास संख्या है तो वे एकत्र होकर राज्यपाल के पास जा सकते हैं।'

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगने से नुकसान भाजपा का हुआ है, विपक्ष का नहीं। उन्होंने कहा, 'हम शिवसेना के साथ सरकार बनाने को तैयार थे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें ऐसी थीं जिन्हें हम मान नहीं सकते हैं।'

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं एक

कोरी राजनीति हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। राज्यपाल महोदय ने किसी प्रकार से भी संविधान का उल्लंघन नहीं किया है।' राज्यपाल के कदम की विपक्ष द्वारा आलोचना पर शाह ने कहा कि विपक्ष द्वारा एक संवैधानिक पद को 'राजनीति में घसीटना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए

अच्छा नहीं है'। शाह ने कहा, 'हम गठबंधन में चुनाव लडे थे और हम सबसे बडी पार्टी थे. लेकिन साथी दल ने ऐसी शर्त रखी जो हमें स्वीकार नहीं थी।'

उन्होंने कहा. ' मेरी पार्टी का यह संस्कार नहीं है कि कमरे में हुई बात को सार्वजनिक करूं, सार्वजनिक जीवन की एक गरिमा होती है।'

शिवसेना ने सोमवार (11 नवंबर) को दावा किया था कि राकांपा और कांग्रेस ने उसे महाराष्ट्र में भाजपा के बिना सरकार बनाने के लिये सिद्धांत रूप में समर्थन देने का वादा किया है लेकिनॉतय समय सीमा समाप्त होने से पहले वह समर्थन का पत्र पेश करने में विफल

झारखंड : टिकट नहीं मिलने पर कई भाजपा नेता दूसरे दल से उम्मीदवार बने बगावत थमने के बजाए बढ़ता ही है। इनके अलावा मुख्यमंत्री रघुवर बनने के बाद तो दूसरे दलों के रूप भाजपा परिवार से न आने वाले मुख्यमंत्री के बताए नामों पर आंख जा रहा है। जिन विधायकों के दास ने जिन छह अन्य दलों के नेताओं में भाजपा में शामिल होने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। मूंद करके मुहर लगाते गए।

नई दिल्ली, 13 नवंबर।

झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची आते ही पार्टी के 18 बड़े नेता पार्टी टिकट न मिलने पर दूसरे दल में शामिल होकर उम्मीदवार बन गए हैं। अभी 81 में से 53 सीटों के उम्मीदवार भाजपा ने घोषित किए हैं। माना जा रहा है कि आखिर तक भाजपा अपने सहयोगी दलों को मना लेगी, बावजूद इसके अभी काफी सीटों के उम्मीदवार घोषित होने

हालात ऐसे बन गए हैं कि सारंगी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया

टिकट कटे उनमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायकों को पार्टी में शामिल की होड़ लगी रहती है। झारखंड तो तब भाजपा को 81 सदस्यों वाले ताला मरांडी, शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और पांच बार के विधायक राधाकृष्ण किशोर के नाम प्रमुख हैं। जिन सीटों के टिकट रोक कर रखे गए हैं उनमें दिग्गज नेता सरज राय (जमशेदपुर पश्चिम) और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र राय (राज धनवार) शामिल हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी के बदले बहरागोड़ा सीट से पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के टिकट से चुनाव जीते कृणाल

करवाया, उन सभी को वे टिकट दिलवाने में कामयाब हो गए। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से सीख नहीं ली, वहां पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके जिन लोगों को टिकट दिया गया, उनमें से ज्यादातर पराजित हुए। भाजपा जोड़-तोड़ करके हरियाणा में सरकार बना पाई।

केंद्र में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने के साथ उन राज्यों में बहुमत की सरकार

भाजपा का शुरू से ही मजबूत प्रदेश रहा है और लगातार कुछ अपवादों के अलावा भाजपा की ही सरकार बनती रही है। झारखंड में चुनाव के समय इतनी बडी संख्या में पार्टी नेताओं का चुनाव के समय पार्टी छोड़ना और दूसरे दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ना, भाजपा के लिए चुनौती बन गया है। आदिवासी बहल राज्य होने के चलते वहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा रही है। 2014 में भाजपा ने

पहली बार गैर आदिवासी और मूल

विधानसभा में 37 सीटें मिली थी। भाजपा ने आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (आजस्) के पांच सदस्यों के साथ सरकार बनाई और बाद में बाबूलाल मरांडी के छह विधायकों को भाजपा में शामिल कराकर पूर्ण बहुमत की सरकार पांच साल चलाई। शायद इसी से प्रसन्न होकर भाजपा नेतृत्व ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन भाजपा में यह शायद पहली बार हुआ होगा कि टिकट बंटवारे में ओम माथुर ऐसे दिग्गज

पहले तो आजसू और लोजपा आदि भाजपा के सहयोगी दलों ने बगावत की। लोजपा पहले की तरह एक सीट पर राजी नहीं है, उसने 50 सीटों पर उम्मीदवार खडे करने की घोषणा की है। लोजपा झारखंड में ज्यादा प्रभावी नहीं है लेकिन आजस् की नाराजगी उसे महंगी पड़ सकती है इसलिए सूत्रों के मुताबिक उसे ज्यादा सीट देने पर भाजपा के नेता तैयार हैं। आजसू ने जिन सीटों पर उम्मीदवार पहले ही खड़े कर दिए हैं उसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ की सीट चक्रधरपुर भी है।

बर्खास्त हो कर्नाटक की येदियूरप्पा सरकार: कांग्रेस

जनसत्ता ब्यरो नई दिल्ली, 13 नवंबर।

कांग्रेस ने कर्नाटक के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी पर्व विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखे जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने सुबे के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश की गैरसंवैधानिक सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।

कांग्रेस के संगठन महासचिव व कर्नाटक प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और राष्ट्रपति एवं केंद्र सरकार कर्नाटक की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने ट्वीट किया, 'हम कर्नाटक में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे कांग्रेस के रुख की पुष्टि हुई है। यह फैसला सत्ता की भूखी भाजपा के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जिसने

विधायकों की खरीद-फरोख्त की साजिश रची।' सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री येदियुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने और विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन कमल' की जांच का साहस दिखाएंगे ? उन्होंने ट्वीट कर दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के ढोल की पोल खोल दी। अब साफ है कि भाजपा ने जद(एस)-कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को जबरन गिराया था। सुरजेवाला ने येदियुरप्पा सरकार बरखास्तगी के साथ ही विधायकों को धन बल के आधार पर खरीद चुनी हुई सरकार गिराने के भाजपाई षड्यंत्र की जांच की मांग भी की। कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या भाजपा नेतृत्व अब भी इन भगोड़े विधायकों को भाजपा का टिकट देंगे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया है ? सुरजेवाला ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, भाजपा की सरकार ने पैसे के बल पर लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश की।

हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार आज

चंडीगढ़, 13 नवंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा में पिछले करीब दो सप्ताह के इंतजार के बाद गुरुवार को हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ को मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। मंत्री बनने के लिए किसकी लॉटरी निकलेगी इसे लेकर भाजपा व जजपा में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

इससे पहले बुधवार दिनभर मुख्यमंत्री मनोहर कोटे से चार से पांच, जजपा कोटे से एक से दो व

लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच बैठकों का दौर चलता रहा। हालांकि मंगलवार को हुई बैठकों में दोनों नेताओं के बीच मंत्रालयों के आबंटन को लेकर सहमति बन गई थी लेकिन किसे मंत्री बनाया जाए और किसे छोड़ा जाए-इसे लेकर दोनों दलों में खींचतान जारी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री में इस बात को लेकर सहमति बन गई है। कि मंत्रियों के लिए निर्धारित सभी पद भरने की बजाय कुछ पद खाली छोड़ दिए जाएं। इसके चलते भाजपा

निर्दलीयों में भी एक से दो विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। भाजपा कोटे से अंबाला से छठी बार जीतकर आए अनिल विज, पूर्व स्पीकर व जगाधरी से दूसरी बार जीतकर आए कंवर पाल गुर्जर और नंगल चौधरी से दूसरी बार जीतकर आए पूर्व आइएएस अधिकारी डॉ. अभय सिंह यादव व बावल से दूसरी बार जीतकर आए डॉक्टर बनवारी लाल शामिल हैं। इसके अलावा एनसीआर क्षेत्र से दीपक मंगला का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है।

पानीपत से महीपाल ढांडा, कलायत से जीतकर

आई कमलेश ढांडा के नाम को लेकर खींचतान चल रही है। भाजपा के सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के कोटे नारनौंद से जीतकर आए रामकुमार गौतम को मंत्री बनाया जाएगा। जजपा में भी ईश्वर सिंह, रामकरण काला तथा देवेंद्र बबली के नामों को लेकर अंतिम समय तक खींचतान जारी है। जजपा के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निर्दलीयों को भी सरकार में भागीदार बनाना चाहते हैं। जिसके चलते बलराज कुंडू, नयनपाल रावत व सोमबीर सांगवान के नाम चर्चा में हैं।

दृष्यंत चौटाला को मिले 11 विभाग

चंडीगढ, 13 नवंबर (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ घंटे पहले बुधवार की रात अहम फैसला करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को विभाग आबंटित कर दिए हैं।दुष्यंत चौटाला को 11 विभाग दिए गए हैं। हरियाणा की मुख्य सचिव लारा जारी पत्र के अनुसार दुष्यंत चौटाला के पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान, विकास एवं पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य, लोक निर्माण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, श्रम एवं रोजगार, नागरिक उड्डयन, पुरातत्व एवं संग्रहालय, पुनर्वास एवं कंसोलिडेशन विभागों के मंत्री होंगे।

आरटीआइ के दायरे में सीजेआइ कार्यालय

पेज 1 का बाकी

पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस समय इस पीठ के तीसरे सदस्य न्यायमूर्ति एस मुरलीधर हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं। प्रधान न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आने का मुद्दा आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने उठाया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने अग्रवाल के आवेदन पर जब जनवरी 2008 में सुप्रीम कोर्ट को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया तो इसके खिलाफ यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था।

कुलभूषण को दीवानी अदालत में

पेज 1 का बाकी

जाधव की सजा के खिलाफ भारत ने आइसीजे में अपील की थी। जाधव (४१) भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। अप्रैल 2017 में उनके खिलाफ पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत के बंद कमरे में चली सुनवाई के बाद उन्हें जासूसी व आतंकवाद

अगवा किया गया था जहां वह नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद कारोबार के सिलसिले में गए थे। पाकिस्तान ने काफी टाल-मटोल के बाद आइसीजे के निर्देश के तहत दो सितंबर को जाधव को राजनियक पहुंच प्रदान की थी। पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को तीन मार्च 2016 को अशांत बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। उन्होंने ईरान से कथित तौर पर प्रवेश

इस बीच, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफुर ने बुधवार को ट्वीट किया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आइसीजे) के आदेश को लागु करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी एक्ट में बदलाव की अटकलें गलत हैं। मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए विभिन्न कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पर अंतिम नतीजा समय पर साझा किया जाएगा।

खुदरा महंगाई दर 16 माह के उच्च स्तर पर

पेज 1 का बाकी आलोच्य महीने के दौरान, सब्जियों के दाम में वृद्धि सितंबर के 5.40 फीसद से बढ़कर 26.10 फीसद तथा फलों की मुद्रास्फीति 0.83 फीसद से बढ़कर 4.08 फीसद पर पहुंच गई। इसी तरह अनाजों, मांस एवं मछली तथा अंडों के दाम क्रमशः 2.16 फीसद, 9.75 फीसद और 6.26 फीसद बढ़े। दाल एवं इससे जुड़े उत्पादों की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 11.72 फीसद हो गई। हालांकि ईंधन श्रेणी में कीमतों में 2.02 फीसद की गिरावट रही। रिजर्व बैंक द्वैमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में मुख्यतः खुदरा मुद्रास्फीति पर ही गौर करता है। रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति चार फीसद के आस-पास दो फीसद ऊपर और दो फीसद नीचे दायरे में रखने का लक्ष्य दिया गया है। इक्रा की अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि अगले कुछ महीनों तक सिब्जियों के भाव में नरमी से ही खाद्य मुद्रास्फीति का रुख तय होगा। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2020 के बचे महीनों में सीपीआइ आधारित मुद्रास्फीति चार फीसद से ऊपर रह सकती है। इस कारण पहले से ही आर्थिक वृद्धि में जारी सुस्ती से जूझने में नीतिगत विकल्प जटिल हो जायेंगे।' एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सिंवसेज के मुद्रा प्रमुख राहुल गुप्ता का कहना है कि खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद भी उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद है।

पूरी पीढ़ी को खोखला कर रहा मधुमेह

पेज 1 का बाकी

2016 में बढ़कर 1,09,000 हो गई। इसका सीधा अर्थ है कि खुशहाली बढ़ने के साथ साथ मधुमेह के रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं।

शोध के अनुसार साल 2017 में दुनिया के कुल डायबिटीज रोगियों का 49 फीसद हिस्सा भारत में था और 2025 में जब यह आंकड़ा 13.5 करोड़ पर पहुंचेगा तो देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा बोझ होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी एक बड़ी चुनौती पेश करेगा क्योंकि सरकार देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान कर रही है।धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसलटेंट, इंटरनल मेडिसिन, डॉ गौरव जैन के अनुसार डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन बनाने कि प्रक्रिया बाधित या कम हो जाती है। इन्सुलिन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और इस प्रक्रिया के प्रभावित होने से शरीर के प्रमुख अंगों का संचालन बाधित होने लगता है। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और मरीज़ को मुख्यतः इन्सुलिन थैरेपी पर आश्रित होना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन के इस्तेमाल कि प्रक्रिया बाधित

श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डॉ साकेत कांत, ने एक सर्वे के हवाले से बताया कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले तकरीबन 30 फीसद बच्चे मोटापे की गिरफ्त में हैं, जिनमें से बहुत से बच्चे प्री-डायबटिक हाइपरटेंशन के भी शिकार थे। यह आने वाली पीढ़ियों की सेहत की हालत की बड़ी चिताजनक तस्वीर है।

जेपी अस्पताल, नोएडा में सीनियर कंसल्टेंट, डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी, डा. निधि मल्होत्रा का कहना है कि यदि परिवार में किसी को डायबिटीज है तो बाकी सभी सदस्यों को सावधान होना होगा। डायबिटीज होने पर इसकी दवा लेना जरूरी है।

विदेश मंत्री जयशंकर का रामनाथ

गोयनका स्मारक व्याख्यान आज

पेज 1 का बाकी निदेशक, सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय–दक्षिण एशियन अध्ययन संस्थान के सी राजा मोहन के साथ चर्चा करेंगे।

एस जयशंकर तीन दशक तक विदेश सेवा में रहने के बाद 2018 में सेवानिवृत्त हुए। यह पहला मौका है जब किसी विदेश सचिव को जुन 2019 में विदेश मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। तब से लेकर अब तक वे भारत की विदेश नीति के स्तर पर भारत से बाहर प्रमुख आवाज के तौर पर उभरे हैं। भारत के अंतर्विरोधों को दुनिया के

पटल पर उन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कालेज से स्नातक हैं। वे जवाहरलाल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एमफिल और पीएचडी धारी हैं। 1977 बैच के विदेश सेवा अधिकारी जयशंकर ने मास्को, कोलंबो, बुडापेस्ट, और तोक्यो दूतावास में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वे 2015 से लेकर 2018 तक विदेश सचिव रहे। इसके साथ ही वे अमेरिका (2013-15), चीन (2009-13) और चेक गणराज्य (2000-04) में राजदूत रहे, वहीं 2007-09 में सिंगापुर में उच्चायुक्त रहे। मई 2018 में सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कारपोरेट सेक्टर में अपनी सेवा दी और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष, ग्लोबल कारपोरेट अफेयर्स के तौर पर काम किया। इस साल के शुरुआत में उन्हें पदम श्री सम्मान से नवाजा गया।

आतंकवादियों ने की पुलवामा में दुकानदार की हत्या

पेज 1 का बाकी

बैठे उस व्यक्ति पर आतंकियों ने कई राउंड की गोलीबारी की। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उस व्यक्ति को पुलवामा के जिला अस्पताल में ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी के बाद मौके पर

पहुंची सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू की। पुलवामा दक्षिण कश्मीर का एक प्रमुख जिला है। पिछले दिनों दक्षिण कश्मीर में ही अन्य राज्यों से आए ड्राइवरों और मजदूरों की हत्या की वारदात हो चुकी

epaper.jansatta.com

अपील की इजाजत देने की तैयारी

की प्रक्रिया की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय अदालत के 16 जजों के पीठ ने 17 जुलाई को अपने फैसले में पाकिस्तान की सरकार को कहा कि वह जाधव को राजनियक पहुंच उपलब्ध कराए और उसकी सजा को लेकर दोबारा सुनवाई का इंतजाम करे। आइसीजे ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की मौत की सजा की अवश्य ही समीक्षा करनी चाहिए।

के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी।

हालांकि, भारत का यह कहना रहा है कि जाधव को ईरान से किया था।

'जापानी तकनीक की संभावना तलाशे केंद्र' कर्नाटक के 17 विधायकों की अयोग्यता बरकरार

पेज 1 का बाकी

प्रतिकूल मौसम की वजह से दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति एक पखवाड़े के भीतर दूसरी बार आपात अवस्था में पहुंचने के परिप्रेक्ष्य में यह मुद्दा बुधवार को प्रमुखता से उठा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने कहा कि चूंकि महान्यायवादी तुषार मेहता ने स्वयं ही इस प्रौद्योगिकी की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया है। केंद्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की व्यवहार्यता की संभावना तलाशे। यह प्रौद्योगिकी जापान में विश्वविद्यालय के अनुसंधान का नतीजा है।

इससे पहले पीठ ने कहा कि वायू प्रदूषण का स्थायी समाधान खोजना जरूरी है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के शेष हिस्से के लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। महान्यायवादी तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि जापान में एक विश्वविद्यालय ने एनसीआर और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान किया है।

पेज 1 का बाकी

शीर्ष अदालत ने केंद्र को तीन दिसंबर को अपने नतीजों से अवगत कराने के कार्यकाल के अंत (2023) तक के लिए अयोग्य घोषित किया गया का निर्देश दिया। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं और था। इसके बाद सभी निगाहें भाजपा के अगले कदम की ओर हैं कि क्या वह कांग्रेस और जद (सेकु) के बागी नेताओं को टिकट देगी। अदालत का फैसला आने के बाद उपमुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थनारायण ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए नेता गुरुवार को बंगलुरु में भाजपा में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा -उन लोगों (अयोग्य विधायकों) ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और हमारे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। वे पार्टी में शमिल होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह रमेश कुमार और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के षड्यंत्र के खिलाफ था। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा सभी 15 सीटों पर जीत हासिल करेगी और पार्टी अयोग्य विधायकों को टिकट देने के बारे में फैसला करेगी। न्यायमूर्ति एनवी रमण, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी के पीठ ने कहा कि यदि उपचुनाव में निर्वाचित होते हैं तो ये अयोग्य विधायक मंत्री बन सकते हैं या सार्वजनिक पद ग्रहण कर सकते हैं।

दिल्ली में प्रदूषण सूचकांक फिर गंभीर स्तर पर

पेज 1 का बाकी

की सलाह दी गई है। प्रदुषण का सामाना दिल्ली वालों को गुरुवार को भी करना होगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायु गुणवत्ता निगरानीकर्ता सफर के मुताबिक पराली जलने की घटनाओं में कमी और पश्चिमी विक्षोभ से हवाओं की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में शुक्रवार से प्रदूषण की स्थिति में सुधार दर्ज किया जाएगा।

दिल्ली का औसत प्रदूषण स्तर सूचकांक बुधवार को गंभीर स्तर 472 पर बना रहा। बुधवार को प्रदुषण का औसत स्तर पूसा में 463, लोदी रोड 473, दिल्ली विश्वविद्यालय 472, एयरपोर्ट 538, नोएडा 514, मथुरा रोड 500, आया नगर 447, आईआईटी 500, धीरपुर 459, गुरुग्राम 554 व चांदनी चौक में 751 किया गया। मंगलवार को पड़ोसी राज्यों में

पराली जलाने की केवल 480 घटनाएं दर्ज की गईं। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी गुरुवार को कम होकर 13 फीसदी तक गिरने की संभावना है।

सफर के मुताबिक अफगानिस्तान और पड़ोसी इलाकों के ऊपर चक्रवाती तुफान के कारण नए सिरे से पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। अगले दो दिन में इसका असर उत्तर पश्चिमी भारत पर पड़ेगा और इससे शुक्रवार तक हवा की रफ्तार बढ़ेगी। दिल्ली में प्रदूषण स्तर पिछले 15 दिनों में तीसरी बार आपात स्थिति में पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में कमी और हवाओं की धीमी गति के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो गए। बादल छाए रहने के कारण यह समस्या और बढ़ गई।

नई दिल्ली

ब्रिक्स में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री

भारत का फोकस आतंक रोधी सहयोग बढ़ाने पर

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 नवंबर।

ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस सम्मेलन में भारत का फोकस आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने पर है। आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए तंत्र विकसित करने पर भारत का जोर है। इसके अलावा रक्षा, सामरिक क्षेत्र, विज्ञान व प्रोद्यौगिकी,

कारोबार को लेकर भी बातचीत भारत के एजंडे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रासीलिया पहुंचने

कर उम्मीद जताई कि ब्रिक्स सम्मेलन सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पांचों देश ब्रिक्स के ढांचे के दायरे में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग बढाने और आतंकवाद रोधी सहयोग के लिए तंत्र बनाने पर भी गौर करेंगे। वह ब्रिक्स व्यापार मंच समापन समारोह और 'क्लोज्ड' सत्र (जिसमें सिर्फ ब्रिक्स सदस्य

देशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे) व सम्मेलन के पर्ण सत्र में

भी शरीक होंगे। 'क्लोज्ड' सत्र में चर्चा समकालिक विश्व में राष्ट्रीय

संप्रभता के उपयोग के लिए चनौतियों व अवसरों पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। इसके बाद ब्रिक्स का पूर्ण सत्र होगा, जिसमें सदस्य देशों के नेता ब्रिक्स समाजों के आर्थिक विकास के लिए अंतः ब्रिक्स सहयोग पर चर्चा करेंगे। वहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 'ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचा। यात्रा के दौरान विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात करूंगा।'

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० न्य पिनाकल मार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड **ई--निविदा आमंत्रण सूचना** अनुभवी (CIN-U74999DL2011PTC219255) नोंदणीकृत कार्यालय:- रूम न.२१८, सोमदल चेम्बर - ॥, ९ भिकाजी कामा प्लेस, नर्ड दिल्ली -११००६६ Email: shreeram@gesaindia.com (रिवाईज्ड) अर्ज क. आयएनसी २६

[कंपनीज (इनकॉपोरेशन) नियमावली, २०१४ के नियम ३० के अनुरूप] केंद्र सरकार क्षेत्रीय संचालक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली इनके सम्मुख कंपनी कायदा, २०१३, के अनुच्छेद १३ (४) और कंपनीज (इनकॉपोरेशन) नियमावली २०१४ के नियम ३० (६) (अ) के बारे में

न्यु पिनाकल मार्ट प्रायकेट लिमिटेड के बारे में जिनका पंजीकृत कार्यालय रुम न. २१८, सोमदल चेम्बर - ॥, ९

भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -११००६६

के यहाँ स्थित है.

 आवेदन / याचिकादाता सभी जनता को इस के जरिये सुचना दी जा रही है कि कंपनी का पंजीकत कार्यालय "एनसीटी दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थालांतरील करने के लिये कंपनी के मेमोरॅडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधित करने के लिये ०१ एपिल २०१९ के दिन सम्पन्न हुए एकस्टा ओडीनरी जनरल मीटिंग में व्यतीत किये गये विशेष प्रस्ता को केंद्र सरकार से अनुमती प्राप्त करने के लिये कंपनी कायदा, २०१३ के अनुच्छेद १३ के अंतर्गत आवेदन पत्र देने का कंपनी विचार कर रही है.

कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव के कारण किसी भी व्यकती जिनके किसी भी स्वारस्य को बाधा होने की स्थिती में वह उसे एमसीए-२१ पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक आवेदन को भर के तथा उनके उसके आपत्ती का स्वरूप शपथ पत्र में बयान करके उनके / उसके आपत्ती और विरोध के कारणों के साथ क्षेत्रीय संचालक, उत्तरी क्षेत्र बी-२ विंग, २रा माला, पं. दीन दयाल अंत्योदया भवन, (पर्यावरण भवन), सीजीओ कॉम्लेकस नई दिल्ली - ११०००३ इनके पास प्रस्तुत सुचना के जारी होने के दिन से चौदह दिन के भीतर संपक् करे और उसकी एक प्रत आवेदक कंपनी के उपयुक्त किये गये पंजीकृत कार्यालय रुम न २१८, सोमदत्त चेम्बर - ॥, ९ भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -११००६६

> आवेदक के लिये और उनके ओर से न्य पिनाकल मार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड जवंत जी. विमावाल

जगह:- नई दिल्ली तारीख:-०२/०५/२०१९ (डी. आय.एन - ०७१९१५१४)

कार्यदायी संस्थाओं / फर्मी से विद्युत पारेषण मंडल, मूजफ्फरनगर के अन्तर्गत निम्न कार्यो / आपूर्ति हेतु ई-निविदायें ई-पोर्टल etender.up.nic.in पर दो भागो मे निविदा खोलने की दिनांक को 12.00 बजे तक आंमत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा शुल्क आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 धरोहर आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 / बैंक गारन्टी के माध्यम से (निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि पृथक—पृथक हस्तांरित की जानी है) Executive Engineer] **Electy Division**] Muzaffarnagar के पक्ष में पंजाब नैशनल बैंक की शिव चौक मृजफ्फरनगर शाखा में संचालित चालू बैंक खाता संख्या 0332002100027440 (IFSC Code PUNB0033200) में जमा करायी जायेगी। निविदा के प्रथम भाग में आर0टी0जी0एस0 / एन0ई0एफ0टी0 / बैंक गारन्टी द्वारा जमा किये गये निविदा शुल्क एवं धरोहर रााशि की यथा योज्य यू०टी०आर० संख्या की प्रति, खाते का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पे–इन स्लिप की प्रति, निविदा प्रपत्र, पैन कार्ड, जी०एस०टी० संख्या, इन्कम टैक्स रिटर्न की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति, तकनीकी अनुभव इत्यादि ई-पोर्टल पर स्कैन्ड प्रतियाँ **(PDF** format) तथा ई-निविदा के द्वितीय भाग मे दरे एवं वाणिज्यक नियम व शर्ते ई-पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। निविदा शूल्क, धरोहर राशि एवं अन्य व्यवसायिक प्रपत्र हार्ड कॉपी में अथवा व्यक्तिगत संवाहक के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त नही किये जायेंगें। निविदा की वैधता खलने की तिथि से 90 दिन होगी। ई–निविदा के प्रथम भाग उसी दिन निर्धारित समय पर सार्वजनिक रूप से

खोला जायेगा एवं भाग द्वितीय (प्राइजबिड)

खुलने की तिथि तदोनुसार वेबसाइट पर

सूचित की जायेगीं। निविदा भाग प्रथम में

सम्बधित प्रपत्रों का अपलोंड ना किये जाने

की स्थिति में निविदा का भाग द्वितीय

(प्राईस बिड) नही खोला जायेगा।

ई-निविदा खुलनें की तिथि पर अवकाश

होने की स्थिति में ई–निविदा अगले कार्य

दिवस मे खोली जायेगी। ई–निविदाओं को

बिना कोई कारण बताये अस्वीकार

का

करने

0.76

0.75

5.48

5.43

/ विभाजित

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। कृपया विस्तृत जानकारी, डाउन लोड, अन्य संशोधनों एवं ई-निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक तक विस्तार आदि के सम्बन्ध में कृपया etender.up.nic.in पर लॉग आन करें। विवरण निम्न प्रकार है– ई–निविदा संख्या, कार्य/सामग्री का विवरण, खुलने की दिनांक, आमंत्रित एवं खोलने का समय धरोहर राशि एवं निविदा का मूल्य के क्रम में पढ़ा जाये। 1. वि०पा०म० / मु० / टी—193 / 2019–20 : (अल्पकालिक) विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अन्तर्गत 220 के०वी० शामली–सहारनपुर (मोहनपुरगाडा) पारेषण लाईन के क्षतिग्रस्त पोलीमर इन्सुलेटरों को बदलने का कार्य। दिनांक 28.11.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट–1 खोलने हेतू) रू० 2500 / -, रू. 590 / - (कर सहित)। 2. वि0पा0म0 / मु0 / टी—194 / 2019—20 : (अल्पकालिक) विद्युत पारेषण खण्ड, शामली अर्न्तगत के0वी0 220 शामली–मुजफ्फरनगर पारेषण लाईन के क्षतिग्रस्त पॉलीमर इन्सुलेटरों को बदलना एवं अन्य सम्बन्धित कार्य। दिनांक 28.11. 2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतू) रू० 1500 / -, रू. 590 / - (कर सहित)। 3. वि0पा0म0 / मु0 / टी—195 / 2019—20 (अल्पकालिक) विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के अर्न्तगत 220 के0वी0 लाईनों के थर्मोविजन कैमरे द्वारा हॉट स्पाट स्कैनिंग का कार्य। दिनांक 28.11.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट–1 खोलने हेत्) रू० 5100 / -, रू. 1180 / - (कर सहित)। 4. वि0पा0म0 / मू0 / टी-196 / 2019-20 : विद्युत पारेषण खण्ड—द्वितीय, सहारनपुर के अर्न्तगत 132 के०वी० उपकेन्द्र कोटा का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण का कार्य। दिनांक 09.12.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट—1 खोलने हेत्) रू० 9000 / -, रू. 1180 / - (कर सहित)। 5. वि0पा0म0 / मू0 / टी—197 / 2019—20 : विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अर्न्तगत विभिन्न 132 के०वी० पारेषण लाईनों का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण का कार्य। दिनांक 09.12.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट—1 खोलने हेत्) रू० 26000 / -, रू. 3540 / - (कर सहित)। 6. वि0पा0म0 / मु0 / टी-198 / 2019-20 ः

विद्युत पारेषण खण्ड—प्रथम, सहारनपुर के

अर्न्तगत विभिन्न २२० के०वी० पारेषण लाईनों का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण एवं पेट्रोलिंग का कार्य। दिनांक 09.12.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट—1 खोलने हेतु) रू० 11000 / -, रू. 1770 / - (कर सहित)। 7 वि0पा0म0 / मृ0 / टी—199 / 2019—20 विद्युत ४०० के०वी० उपकेन्द्र खण्ड मुजफ्फरनगर के अर्न्तगत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, मुजफ्फरनगर पर लॉन, प्लान्टस एवं गार्डन का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण का कार्य। दिनांक 09.12.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:45 बजे (तकनीकी भाग पार्ट—1 खोलने हेतु) रू० 12500 / —, रू 1770 / — (कर सहित)। वि0पा0म0 / मु0 / टी—200 / 2019—20 विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अर्न्तगत 220 के0वी0 उपकेन्द्र, शामली स्थित लॉन का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण का कार्य दिनांक 10.12.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित) 13:00 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेतु) रू० 3500/-, रू. 590/- (कर सहित)। वि०पा०म० / मु० / टी—201 / 2019—20 विद्युत पारेषण खण्ड, शामली के अर्न्तगत 220 के0वी0 शामली—मुजफ्फरनगर लाईन का वार्षिक आधार पर अनुरक्षण का कार्य दिनांक 10.12.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित) 13:15 बजे (तकनीकी भाग पार्ट–1 खोलने हेत्) रू० 9200/-, रू. 1180/- (कर वि०पा०म० / मु० सहित)। /टी-202 / 2019-20 : विद्यत पारेषण खण्ड, शामली के अर्न्तगत 220 के0वी0 उपकेन्द्र शामली पर स्थापित मल्सीफायर सिस्टम की पेन्टिंग का कार्य। दिनांक 10 12.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:30 बजे (तकनीकी भाग पार्ट—1 खोलने हेतू) रू० 1900 / -, रू. 590 / - (कर सहित)। 11 ਰਿ0पा0म0 / ਸ0 / ਟੀ−203 / 2019−20 विद्युत पारेषण खण्ड—द्वितीय, सहारनपुर के अर्न्तगत 132 के०वी० उपकेन्द्र गंगोह स्थित आवासीय कालोनी एवं अप्रोच रोड के निकट प्रकाश व्यवस्था के सुद्रढीकरण क कार्य। दिनांक 10.12.2019, 12:00 बजे (आमंत्रित), 13:45 बजे (तकनीकी भाग पार्ट-1 खोलने हेत्) रू0 2000/-, रू 590 / – (कर सहित)। ''राष्ट्रहित में ऊर्ज बचायें'' अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण

₽OMAXE

Omaxe Limited

Regd. Office: 19-B, First Floor, Omaxe Celebration Mall, Sohna Road, Gurgaon-122 001, (Haryana) Corp. Office: 7, LSC, Kalkaji, New Delhi-110019

CIN: L74899HR1989PLC051918, Website: www.omaxe.com, Email: info@omaxe.com Tel: 91-11-41893100, Fax: 91-11-41896653

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the guarter and half year ended September 30, 2019

(Rupees in Crore)

			Quarter end	ed	Half Yea	ar ended	Year ended
S.No.	Particulars	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	256.01	358.56	460.42	614.57	642.90	1,200.24
2.	Net Profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	12.20	19.35	18.28	31.55	31.64	78.56
3.	Net Profit for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	12.20	19.35	18.28	31.55	31.64	78.56
4.	Net profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	8.08	14.91	10.68	22.99	19.33	48.65
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8.03	14.38	10.91	22.41	19.75	48.58
6.	Paid up Equity Share Capital (Face value Rs. 10 each)	182.90	182.90	182.90	182.90	182.90	182.90
7.	Other Equity		14	- 42	1572.44	1528.34	1557.53
8.	Basic and diluted earnings per share (face value of Rs. 10/- per share) (in rupees) (not annualised for quarter)	0.23	0.89	0.59	1.12	1.08	2.68
9.	Net Worth			(2)	1,755.34	1,711.24	1,740.43
10.	Outstanding Debt including Redeemable Preference Shares				1,667,74	1,972.14	1,859.17
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	. 8	-		58.05	49.62	53.66
12.	Debt Equity Ratio			37	0.95	1.15	1.07
13.	Debenture Redemption Reserve		- 3	- 5		. 33	82
14.	Debt Service Coverage Ratio			9	0.30	0.22	0.19
15.	Interest Service Coverage Ratio		9	(6)	1.60	1.50	2.06

- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 13th November, 2019. The financial results for the quarter and half year ended September 30, 2019 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Financial Results of Omaxe Limited for the quarter and half year ended September 30, 2019 are available on the Company's Website (www.omaxe.com) and on the Website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).
- Effective 1st April, 2019, The Company has adopted Ind AS 116 "Leases" and applied the same to all lease contracts existing on 1stApril, 2019 using modified retrospective method and has taken the cumulative adjustments to Retained Earnings on the date of initial application. Accordingly, the Comparative figures of previous periods have not been restated. The adoption of new standard has resulted in recognition of Right of Use and lease liability on transition date i.e. 1st April, 2019. Due to adoption of Ind AS 116, the Profit before tax for the quarter is lower by Rs. 5.66 Crore on standalone and Rs. 5.64 crore on consolidated basis and for the half year profit is lower by Rs. 7.76 crore on standalone and Rs. 7.73 crore on consolidated basis
- Pursuant to the Taxation Law (Amendment) Ordinance, 2019 ("Ordinance") issued by Ministry of Law and Justice (Legislative Department) on September 20, 2019 which is effective April 1, 2019, domestic companies have the option to pay corporate income tax at a rate of 22% plus applicable surcharge and cess ("New Tax Rate") subject to certain conditions. As of September 30, 2019, considering that the Company has significant amount of tax losses, unabsorbed depreciation and unutilized balance of MAT Credit, the Company is in the process of evaluating as to when it should apply impact of New Tax Rate in its books of accounts. Accordingly, for the current period, no impact of the New Tax Rate has been considered in these standalone and consolidated financial results.
- The Key Standalone Financial Information is given below:

(Rupees in Crore)

		Quarter end	led	Half Yea	Year ended	
Particulars	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	195.28	236.05	327.17	431.33	420.23	928.09
Profit before tax	11.76	8.93	7.86	20.69	12.18	41.67
Net profit after tax	7.65	5.81	5.12	13.46	7.93	23.14
Other Comprehensive Incomel(loss) (net of tax expenses)	(0.32)	(0.43)	0.24	(0.75)	0,17	(0.19)
Total Comprehensive Income/(loss) for the period	7,33	5.38	5.36	12.71	8.10	22.95

For and on behalf of Board of Directors

For Omaxe Limited Sd/-Rohtas Goel

Chairman and Managing Director

DIN: 00003735

"Amount in ₹ (Mn)"

वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर(MZN)/ Place: New Delhi दिनांक / DATED 13.11.2019 Date: 13th November, 2019

(naukri.com

अधिकार

infoedge

मण्डल भोपा रोड, मुजफ्फरनगर फोन नं0:-

0131-2608038 पत्रांक / No. 2335

99acres

∜shiksha

Jeevansathi.

INFO EDGE (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Ground Floor, GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi - 110019

CIN: L74899DL1995PLC068021, Tel no.: 0120-3082000, Fax: 0120-3082095, Website: www.infoedge.in, Email: investors@naukri.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED "FINANCIAL" RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

Results on Standalone Basis Results on Consolidated Basis 6 months **Particulars** 3 months Preceeding **Corresponding 3** 6 months **Previous** 3 months Preceding Corresponding 6 months 6 months **Previous** months ended 3 months ended ended 3 months ended ended year ended ended 3 months ended ended year ended 30/09/2019 30/09/2018 30/09/2019 ended in the previous 30/09/2018 31/03/2019 30/09/2019 in the previous 30/09/2019 31/03/2019 ended "30/06/2019" year 30/09/2018 30/06/2019 year 30/09/2018 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 3,166.11 3,127.72 2,650.11 6,293.83 5,245.43 10,982.56 3,295.39 3,197.37 2,800.07 6,492.76 5,570.91 11,509.32 1. Total Income from operations (net) 2. Net profit for the period (before tax and exceptional items) 999.02 1,107.47 1,138.63 1,047.69 2,246.10 2,073.39 4,320.30 (854.73)(1,470.65)(469.70)(2,325.38)(455.49)3. Net profit for the period before tax 3,986.22 7,164.82 (after exceptional items) 1.057.02 358.21 1,047.69 1,415.23 1,913.73 (839.28)(1,501.16)(124.07)(2,340.44)(109.86)4. Net Profit for the period after tax 92.56 667.44 780.88 760.00 1,410.86 2,817.03 (1,118.13)(1,909.15)(407.33)(3,027.28)(630.81)5,922.02 5. Total Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 665.73 785.14 1,409.01 2,794.75 (1,921.07)(3,025.47)5,891.36 83.67 749.40 (1,104.40)(388.50)(610.00)6. Equity Share Capital 1,223.16 1,223.16 1,221.16 1,219.16 1,223.16 1,219.16 1,221.16 1,223.16 1,223.16 1,219.16 1,223.16 1,219.16 7. Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year 24,205.82 22,018.98 Earning per share (of ₹10 each) (not annualised)

(a) Basic

Place: Noida

(b) Diluted

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular no. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the Quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the company's website (www.infoedge.in).

23.12

22.93

(8.95)

(8.89)

(15.39)

(15.26)

2. The above results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Stardards) Rules, 2015 and 2015 an

11.58

11.50

6.23

6.18

Date: "November 12, 2019"

Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Hitesh Oberoi **Managing Director**

49.53

49.14

(4.60)

(4.57)

CORRIGENDUM:

It is hereby clarified that the above results have been re-published in the newspaper today after rectifying inadvertent mistakes in the newspaper publication dated November 12, 2019. The said inadvertent mistakes that remained uncorrected in the aforesaid publication (and now stand corrected) have been highlighted with inverted commas ("") in the above given financial results.

It is hereby further clarified that said corrections do not have any impact on the reported financial numbers and/or the relevant notes appended thereto in the aforesaid publication.

6.41

6.36



(3.07)

(3.05)

(24.32)

(24.16)



J. B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L24390MH1976PLC019380

Registered Office: Neelam Centre, B Wing, 4th floor, Hind Cycle Road, Worli, Mumbai 400 030, Maharashtra, India.

Corporate Office: Cnergy IT Park, Unit A2, 3rd floor & Unit A, 8th floor, Appa Saheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India.

Phone: +91-22-2439 5200 / 2439 5500 | Fax: +91-22-2431 5331 / 2431 5334 | Email: secretarial@ibcpl.com | Website: www.ibcpl.com | Contact Person: Mr. Mayur Mehta, Company Secretary & Vice President-Compliance

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LIMITED ("COMPANY") FOR BUY-BACK OF EQUITY SHARES THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This Public Announcement (the "Public Announcement") is being made in accordance with the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended "Buy-back Regulations") and contains the disclosures as specified in Schedule II to the Buy-Back Regulations read with Schedule I to the Buy-back Regulations.

CASH OFFER FOR BUY-BACK OF UP TO 29,54,545 (TWENTY NINE LAKHS FIFTY FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED FORTY FIVE) FULLY PAID UP OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY OF FACE VALUE OF ₹2/- (RUPEES TWO ONLY) EACH AT A PRICE OF ₹ 440/- (RUPEES FOUR HUNDRED FORTY ONLY) PER EQUITY SHARE ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE "TENDER OFFER" ROUTE AS PRESCRIBED UNDER THE BUY-BACK REGULATIONS USING STOCK EXCHANGE MECHANISM.

DETAILS OF THE BUY-BACK OFFER AND OFFER PRICE

- .1. The Board of Directors of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited (hereinafter referred to as the "Board" which term shall be deemed to include any committee constituted by Board to exercise its powers), at their meeting held on November 12, 2019 (the "Board Meeting"), pursuant to the provisions of Article 190 of the Articles of Association of the Company and Sections 68, 69 and 70 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and applicable rules made thereunder and in compliance with the Buy-back Regulations, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Foreign Exchange Management Act, 1999 and subject to such other approvals, permissions and sanctions as may be necessary and subject to such conditions and modifications, if any, as may be prescribed or imposed by an appropriate authorities while granting such approvals, permissions and sanctions, which may be agreed by the Board or any person authorised by the Board, approved the Buy-back of upto 29,54,545 (Twenty Nine Lakhs Fifty Four Thousand Five Hundred Forty Five) fully paid up Equity Shares of face value of ₹ 2 each ("Equity Shares")(representing 3.68% of total paid-up equity shares of the Company) at a price of ₹ 440/- (Rupees Four Hundred Forty Only) per Equity Share (the "Buy-back Price") payable in cash for an aggregate amount not exceeding ₹130,00,00,000/-(Rupees One Hundred Thirty Crores only) (the "Buy-back Size") excluding costs such as fees, brokerage, tax on buy-back, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc., (the "Transaction Cost"), which represents 9.33% and 9.38% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone financial statements and audited consolidated financial statements respectively, of the Company as on March 31, 2019, on a proportionate basis through the tender offer route using stock exchange mechanism ("Tender Offer") as prescribed under the Buy-back Regulations, from all the equity shareholders/ beneficial owners of the Equity Shares of the Company including Promoters, members of Promoter group and Persons Acting in Concert of the Company who hold Equity Shares as on the record date i.e. Friday, November 22, 2019 ("Record Date") ("Buy-back Offer"/ "Buyback"). It is being understood that the "Promoter", "Promoter Group" and "Persons Acting in Concert /PACs" will be such persons as have been disclosed under the shareholding pattern filings made by the Company from time to time under Listing Regulations and Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended.
- .2. The Equity Shares of the Company are listed on the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") with Scrip Symbol: JBCHEPHARM and the BSE Limited ("BSE") with Scrip Code: 506943 and Security ID: JBCHEPHARM (NSE and BSE are hereinafter together referred to as the "Stock Exchanges").
- 1.3. The aggregate paid-up share capital and free reserves (including securities premium account) of the Company as on March 31, 2019, based on audited standalone financial statements and audited consolidated financial statement is ₹1,392.99 crores and ₹1,385.64 crores, respectively. In accordance with section 68 (2) of the Act and Regulation 5 of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of a company can authorize the buy-back of Equity Shares involving payment of consideration not exceeding 10% of the total paid up equity share capital and free reserves (including securities premium account) of the company based on both standalone and consolidated financial statements of the company. Accordingly, the Company has proposed to utilise an aggregate amount not exceeding ₹130 crores excluding Transaction Costs for the Buy-back, which is within the aforesaid limit and represents 9.33% and 9.38% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone financial statements and audited consolidated financial statements of the Company, as on March 31, 2019, respectively.
- 4. Further, under the Act, the number of equity shares that can be bought back during a financial year shall not exceed 25% of the total number of outstanding equity shares of the company. Accordingly, the number of Equity Shares that can be bought back by the Company during a financial year cannot exceed 2,00,59,160 Equity Shares, being 25% of the total number of outstanding Equity Shares of the Company, i.e., 8,02,36,642 Equity Shares. Since the Company proposes to Buy-back up to 29,54,545 Equity Shares, the same is within the aforesaid limit.
- .5. In terms of Buy-back Regulations, under the Tender Offer route, Promoters, Promoter Group and Persons Acting in Concert have an option to participate in the Buy-back. In this regard, the details of the Promoters, Promoter Group and Persons Acting in Concert, who have expressed their intention to participate and details of their intended participation in the Buy-back have been given in para 8 hereinafter.
- Pursuant to the Buy-back and depending upon the response to the Buy-back, the voting rights and percentage shareholding of the Promoter, Promoter Group and Persons Acting in Concert in the Company may increase or decrease from the existing voting rights and percentage shareholding. The Promoter, Promoter Group and Persons Acting in Concert are already having control over the affairs of the Company and therefore such increase/decrease in their voting rights, if any, consequent to Buy-back of Equity Shares, will not result in any change in control over the affairs of the Company and shall be in compliance with the provisions of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011
- level of public shareholding required to be maintained in terms of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 ("SCRR") and under the Listing Regulations. Due to any reason, if the public shareholding in the Company post Buy-back falls below the minimum level of public shareholding prescribed under SCRR, the Company undertakes to bring the public shareholding to the minimum prescribed level within the time and in the manner prescribed under SCRR and the Listing Regulations. .8. The Buy-back of Equity Shares may be subject to taxation in India and / or in the country of residence of the

.7. Post Buy-back, the level of holding of public shareholders in the Company shall not fall below the minimum

- Eligible Shareholder(s) (as defined hereinafter). In due course, Eligible Shareholder(s) will receive a Letter of Offer, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, Eligible Shareholder(s) are requested to consult their tax advisors for the applicable tax implications, provisions including the treatment that may be given by their respective tax officers in their case and the appropriate course of action that they should take.
- .9. A copy of this Public Announcement will be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) as well as on Company's website (www.jbcpl.com) and on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www. nseindia.com).

NECESSITY OF THE BUY-BACK

- 2.1. The Buy-back is being undertaken by the Company to enhance shareholders' value and improve financial ratios. Additionally, the Buy-back is being undertaken for the following reasons:
- The Buy-back will help the Company to distribute surplus funds to its shareholders holding Equity Shares broadly in proportion to their shareholding, thereby, enhancing the overall return to the shareholders;
- The Buy-back, which is being implemented through the Tender Offer as prescribed under the Buy-back Regulations, would involve a reservation of 15% of the Buy-back Size for small shareholders. The Company believes that this reservation for small shareholders would benefit a large number of public shareholders, who would get classified as "Small Shareholders" as defined under Regulation 2(i)(n) of the Buy-back Regulations:
- The Buy-back will help in improving financial ratios like earnings per share, return on assets and return on equity calculated on the basis of financial statements, by reducing the equity base of the Company; and
- The Buy-back gives an option to the Eligible Shareholders to either choose to participate in the Buy-back and receive cash in lieu of their Equity Shares which are accepted under the Buy-back or choose not to participate in the Buy-back and get a resultant increase in their percentage shareholding in the Company post Buy-back, without additional investment.

MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUY-BACK

The maximum amount required under the Buy-back will not exceed ₹130 crores (excluding Transaction Cost) which is not exceeding 10% of the aggregate of the total paid up equity share capital and free reserves of the Company (including secunties premium account) as per the audited standaione financial statements and audited consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2019.

- BUY-BACK PRICE AND BASIS OF ARRIVING AT THE BUY-BACK PRICE The Equity Shares are proposed to be bought back through Tender Offer at a price of ₹440 per Equity Share. The Buy-back Price represents:
- a. a premium of 17.80% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on the NSE (the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares is recorded) for 3 (three) months preceding the date of the Board Meeting.
- b. a premium of 19.56% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on the NSE for 2 (two) weeks preceding the date of the Board Meeting.
- c. a premium of 20.98% over the closing market price of the Equity Shares on NSE as on the date of intimation to consider the proposal of the Buy-back Offer in the Board Meeting
- d. The closing market price of the Equity Shares as on day prior to the date of the Board Meeting (since the date of Board Meeting(November 12, 2019) was a non-trading day) was ₹397.30 on BSE and ₹ 396.80

MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUY-BACK

The Company proposes to Buy-back up to 29.54.545 (Twenty Nine Lakhs Fifty Four Thousand Five Hundred Forty Five) fully paid-up Equity Shares of the Company representing 3.68% of total paid-up equity shares of

the Company. 6. METHODOLOGY FOR BUY-BACK

- 6.1. The Buy-back Offer will be undertaken on a proportionate basis from the equity shareholders/ beneficial owner of Equity Shares of the Company as on the Record Date ("Eligible Shareholders") through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) read with Regulation 9(x) of the Buy-back Regulations. Additionally, the Buy-back Offer shall be, subject to applicable laws, implemented by tendering of Equity Shares by Eligible Shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified by SEBI in the circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/ DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 (the "SEBI Circulars") in terms of Regulation 9(vii) of the Buy-back Regulations.
- 6.2. As required under the Buy-back Regulations, Equity Shares to be bought back under Tender Offer are divided into two categories: (i) Reserved category for Small Shareholders; and (ii) General category for all other shareholders. For further details, please refer to para 12 of this Public Announcement.
- DETAILS OF SHAREHOLDING OF (i) PROMOTERS AND PROMOTER GROUP OF THE COMPANY, (ii) PERSONS ACTING IN CONCERT AND (iii) DIRECTORS OF PROMOTER GROUP COMPANIES OF THE
- 7.1. The aggregate shareholding of the (i) Promoters and Promoter group of the Company, (ii) Persons Acting in Concert and (iii) the directors of the promoter group companies holding Equity Shares in the Company as on the date of the Board Meeting i.e., November 12, 2019 is given below: (i) Aggregate shareholding of the Promoter and Promoter Group:

SI. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares	% Shareholding
(A)	Promoters		1
1	Jyotindra Bhagwanlal Mody	51,11,209	6.37
2	Shirish Bhagwanlal Mody	48,10,933	6.00
3	Pranabh Dinesh Mody	75,95,772	9.47
4	Purvi Uday Asher	19,70,407	2.45
(B)	Promoter Group		100000
1	Kurnud Dinesh Mody	46,05,065	5.74
2	Bharati Shirish Mody	47,22,151	5.89
3	Pallavi Bharat Mehta	49,48,796	6.17
4	P D Mody (Held For P D Mody HUF)	6,661	0.01
5	Sejal Pranabh Mody	47,574	0.06
6	Nirav Shirish Mody	47,43,061	5.91
7	Jinali Pranabh Mody	2,856	0.00
8	Jay Bharat Mehta	23,39,294	2.92
9	Priti Rajen Shah	9,516	0.01
10	Bharat P Mehta	25,28,400	3.15
11	Pallavi Bharat Mehta (Held For Mody Trading Co.)	50,891	0.06
12	Jyotindra B Mody (Held For Mody Bros.)	18,198	0.02
14	Nirav Shirish Mody (As A Trustee of Priti Family Trust)	2,14,081	0.27
15	Nirav Shirish Mody (As A Trustee of Deepali Family Trust)	2,14,081	0.27
16	Synit Drugs Pvt Ltd	715	0.00
17	Dinesh Bhagwanlal Mody (since deceased) jointly with Jyotindra B. Mody (Held For D B Mody HUF)	4,78,115	0.60
18	Uday Madhavdas Asher	1,28,451	0.16
19	Namplas Chemicals Pvt Ltd	1,17,136	0.15
20	Boxcare Packagings Pvt. Ltd.	8,830	0.01
21	Anupam Pravinchandra Mehta	1,000	0.00
22	Vibha Anupam Mehta	1,000	0.00
23	Nitin Chandra Doshi	2,21,735	0.28
24	Bharat K. Doshi	5,402	0.01
25	Nisha Divyesh Shah	22,755	0.03
26	Bhakti Ashok Patel	6,960	0.01
27	Pallavi Suketu Shah	11,337	0.01
28	Ila Dipak Parekh	8,380	0.01
	Total (A)+ (B)	4,49,50,762	56.02

SI. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares	% Shareholding
1	Jay Bharat Mehta (Held For Pallavi Bharat Mehta Family Foundation)	14,465	0.02
	Total	14,465	0.02

(ii) Assessed shareholding of the Darcone Acting in Concert

Name of Shareholder

No. of Equity Shares Vijay Madhavdas Asher 7,445 0.01 0.00 2 Shailesh Jagdishchandra Bhavsar 7.447 0.01 7.2. The aggregate number of Equity Shares purchased or sold by persons as well as minimum and maximum price at which such purchases and sales were made along with relevant dates by persons mentioned in para

7.1 above during a period of six months preceding the date of the Board Meeting at which the Buy-back was

Name of Shareholder	Aggregate No. of Equity Shares purchased or sold or Transfer	Nature of Transaction	Maximum Price (₹)	Date of Maximum Price/Transfer	Minimum Price (₹)	Date of Minimum Price/ Transfer
Vijay Madhavdas Asher	7,445	Transmission of shares from Mr. Madhavdas Karsandas Thakersey	Not Applicable	September 13, 2019	Not Applicable	September 13, 2019
Pranabh Dinesh Mody	2,895,343	Transmission of shares from Mr.Dinesh B. Mody	Not Applicable	October 31, 2019	Not Applicable	October 31, 2019
Purvi Uday Asher	1,613,605	Transmission of shares from Mr.Dinesh B. Mody	Not Applicable	October 31, 2019	Not Applicable	October 31, 2019

Except as disclosed above, the Promoters and Promoter Group have not purchased or sold any Equity Shares of the Company and there has been no change in their shareholdings for last six months prior to the date of the Board Meeting.

INTENTION OF THE PROMOTERS, PROMOTER GROUP AND PERSONS ACTING IN CONCERT OF THE COMPANY TO TENDER EQUITY SHARES FOR BUY-BACK

8.1. In terms of the Buy-back Regulations, under the Tender Offer route, Promoters, Promoter Group and Persons Acting in Concert have an option to participate in the Buy-back. In this regard, the Promoters, Promoter Group and Persons Acting in Concert as listed herein below have expressed their intention to tender up to following number of Equity Shares in the Buy-back:

No. of Equity

Maximum No.

Sr. No.	Name	Shares held as on the date of Board Meeting	of Equity Shares proposed to be tendered
1.	Jyotindra Bhagwanlal Mody	51,11,209	2,55,000
2.	Shirish Bhagwanlal Mody	48,10,933	2,40,000
3.	Pranabh Dinesh Mody	75,95,772	3,80,000
4.	Purvi Uday Asher	19,70,407	98,000
5.	Kumud Dinesh Mody	46,05,065	2,30,000
6.	Bharati Shirish Mody	47,22,151	2,36,000
7.	Pallavi Bharat Mehta	49,48,796	2,47,000
8.	P D Mody (Held For P D Mody HUF)	6,661	300
9.	Sejal Pranabh Mody	47,574	2,400
10.	Nirav Shirish Mody	47,43,061	2,37,000
11.	Jinali Pranabh Mody	2,856	140
12.	Jay Bharat Mehta	23,39,294	1,17,000
13.	Priti Rajen Shah	9,516	500
14.	Bharat P Mehta	25,28,400	1,26,000
15.	Pallavi Bharat Mehta (Held For Mody Trading Co.)	50,891	2,500
16.	Jyotindra B Mody (Held For Mody Bros.)	18,198	900
17.	Nirav Shirish Mody (As A Trustee of Priti Family Trust)	2,14,081	10,000
18.	Nirav Shirish Mody (As A Trustee of Deepali Family Trust)	2,14,081	10,000
19.	Synit Drugs Pvt Ltd	715	715
20.	Dinesh Bhagwanlal Mody (since deceased) jointly with Jyotindra B. Mody (Held For D B Mody HUF)	4,78,115	24,000
21.	Uday Madhavdas Asher	1,28,451	1,28,451
22.	Namplas Chemicals Pvt. Ltd.	1,17,136	1,17,136
23.	Boxcare Packagings Pvt. Ltd.	8,830	8,830
24.	Anupam Pravinchandra Mehta	1,000	1,000
25.	Vibha Anupam Mehta	1,000	1,000
26.	Nitin Chandra Doshi	2,21,735	2,21,735
27.	Bhakti Ashok Patel	6,960	6,960
28.	Jay Bharat Mehta (Held For Pallavi Bharat Mehta Family Foundation)	14,465	800
	TOTAL	4,49,17,353	27,03,367

8.2. Details of the date and price of acquisition of the Equity Shares that the Promoters and Promoter Group intend to tender are set-out below: Note: On April 13, 2005, Equity Shares of face value of ₹ 10 each have been sub-divided into Equity Shares of face

value of ₹ 2 each. All the shares shown below have been adjusted to face value of ₹ 2. (#) December 15, 2000: Scheme of arrangement between Ifiunik Pharmaceuticals Ltd. Unique Pharmaceutical Laboratories Ltd and the Company.

(\$)May 7, 2015: Scheme of Amalgamation and Arrangement between Jyotindra Mody Holdings Pvt. Ltd., Ansuya Mody Securities Pvt. Ltd., Dinesh Mody Securities Pvt. Ltd., Kumud Mody Securities Pvt. Ltd., Shirish B. Mody Investments Pvt. Ltd., Bharati S. Mody Investments Pvt. Ltd. and the Company.

1) Jyotindra Bhagwanlal Mody

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
December 1, 1998	Bonus issue	61,804	2.00	Nil	Nil
August 22, 2000	Market Purchase	15,000	2.00	22.02	3,30,300
August 25, 2000	Market Purchase	15,000	2.00	20.82	3,12,300
October 4, 2000	Market Purchase	16,750	2.00	20.22	3,38,685
October 6, 2000	Market Purchase	1,875	2.00	20.22	37,912.5
October 10, 2000	Market Purchase	2,030	2.00	20.42	41,452.6
October 11, 2000	Market Purchase	4,000	2.00	20.42	81,680
October 12, 2000	Market Purchase	12,345	2.00	20.42	2,52,084.9
October 13, 2000	Market Purchase	3,920	2.00	20.42	80,046.4
October 16, 2000	Market Purchase	770	2.00	20.42	15,723.4
October 17, 2000	Market Purchase	8,060	2.00	20.42	1,64,585.2
October 19, 2000	Market Purchase	4,500	2.00	20.60	92,700
October 24, 2000	Market Purchase	13,000	2.00	20.82	2,70,660
November 2, 2000	Market Purchase	7,000	2.00	22.55	1,57,850
December 15, 2000	Allotment of shares under the Scheme of Arrangement(#)	2,750	2.00	Nil	Nil
November 15, 2002	Market Purchase	2,000	2.00	25.88	51,760

ī	otal	2.55.000		- 2	
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of Arrangement(\$)	42,206	2.00	Nil	Nil
November 6, 2012	shares	41,990	2.00	Nil	Nil

2) Shirish Bhagwanlal Mody

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of Arrangement(\$)	2,40,000	2.00	Nil	Nil
	Total	2.40.000			

2) Pranahh Dinesh Mody

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of Arrangement(\$)	3,80,000	2.00	Nil	Nii
Total		3,80,000			

Durwi Helay Achai

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity (₹)	Total Consideration (₹)
October 3, 1996	Rights Issue	31,802	2.00	16.00	5,08,832.00
December 1, 1998	Bonus issue	50,000	2.00	Nil	Nil
July 20, 2006	Gift received	16,198	2.00	Nil	Nil
Total		98,000		17.00	*******

5) Kumud Dinesh Mody

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity (₹)	Total Consideration (₹)
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of Arrangement(\$)	2,30,000	2.00	Nii	Nil
Total		2,30,000			

6) Bharati Shirish Mody

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of Arrangement(\$)	2,36,000	2.00	NII	Nil
To	tal	2,36,000			

7) Pallavi Bharat Mehta

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
December 15, 2000	Allotment of shares under the Scheme of Arrangement (#)	76,652	2.00	Nil	Nil
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of Arrangement (\$)	1,70,348	2.00	Nil	Nil
Total		2,47,000			

D.D. Mady (hold for D.D. Mady HIJE)

F D Mody (field for F D Mody HOF)									
Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)				
ugust 24, 1997	Market Purchase	300	2.00	22.50	6,750				
Total		300							

9) Sejal Pranabh Mody

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
October 3, 1996	Rights Issue	2,400	2.00	16.00	38,400.00
Total		2,400			

10) Nirav Shirish Mody

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of arrangement (\$)	2,37,000	2.00	Nil	Nil
ś	Total	2.37.000			10

11) Jinali Pranabh Mody

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
ugust 4, 1997	Market Purchase	140	2.00	17.48	2,447.20
	Total	140		100000	
		97.			700

12) Jay Bharat Mehta

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of arrangement(\$)	1,17,000	2.00	Nil	Nil
	Total	1,17,000			

13) Priti Raien Shah

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration
August 14, 2015	Gift Received	500	2.00	Nil	Nil
	Total	500			

14) Bharat P Mehta

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Price per Equity Share (₹)	Consideration (₹)
December 1, 1998	Bonus issue	43,349	2.00	Nil	Nil
March 19, 2008	Market Purchase	3,500	2.00	38.08	1,33,280
December 8, 2008	Market Purchase	13,000	2.00	33.58	4,36,540
December 12, 2008	Market Purchase	15,000	2.00	34.03	5,10,450
May 7, 2015	Allotment of shares under the Scheme of arrangement(\$)	51,151	2.00	NII	Nil
To	otal	1,26,000			

15) Pallavi Bharat Mehta (Held For Mody Trading Co.)

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Price per Equity Share (₹)	Consideration (₹)
May 14, 2002	Market Purchase	2,500	2.00	41.06	1,02,650
	Total	2,500	3 !		2
The state of the state of the state of					

16) Jyotindra B Mody (Held for Mody Bros.)

Total

Transaction

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Price per Equity Share (₹)	Consideration (₹)
May 6, 2002	Market Purchase	900	2.00	41.43	37,287
	Total	900		23933503	
7) Minou Chiulob B	tadu (as a Toustas at	Delti Fermille Terre	41		, TV

Shares

10,000

17) Nirav Shirish Mody (as a Trustee of Priti Family Trust) Date of Nature of No. of Equity **Face Value**

Transaction

February 8, 2013	Gift Received	10,000	2.00	Nil	Nil
0 20 20	Total	10,000			Ĭ .
18) Nirav Shirish N	lody (as a Trustee of	Deepali Family 1	Trust)	8	88
Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
February 8, 2013	Gift Received	10,000	2.00	Nil	Nil

Total

Consideration

(7)

Continue.

Issue/ Acquisition

Price per Equity

Share (₹)

19) Synit Drugs Pvt	9) Synit Drugs Pvt Ltd						
Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)		
February 27, 2004	Purchase	715	2.00	62.00	44,330		
1	otal	715	200000	-557 000705	D University of		

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
July 1, 1983	Allotment on acquisition of business of a partnership firm	24,000	2.00	Nil	Nil
	Total	24,000			

21) Ilday Madhaydas Asher

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
July 1, 1989	Conversion of fully convertible debentures to Equity Shares	5,301	2.00	3.00	15,903
September 15, 1992	Market Purchase	750	2.00	42.00	31,500
December 1, 1993	Bonus issue	14,550	2.00	Nil	Nil
June 16, 1994	Market Purchase	1,000	2.00	65.47	65,470
November 7, 1994	Market Purchase	2,500	2.00	76.00	1,90,000
August 13, 1996	Market Purchase	5,000	2.00	19.80	99,000
August 14, 1996	Market Purchase	10,500	2.00	19.70	2,06,850
August 16, 1996	Market Purchase	12,000	2.00	19.73	2,36,760
August 19, 1996	Market Purchase	5,000	2.00	19.60	98,000
August 20, 1996	Market Purchase	5,500	2.00	19.53	1,07,415
August 21, 1996	Market Purchase	2,980	2.00	19.40	57,812
October 18, 1996	Market Purchase	1,000	2.00	14.17	14,170
December 1, 1998	Bonus issue	62,370	2.00	Nil	Nil
Т	otal	1,28,451		Š.	

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
January 1, 1989	Conversion of fully convertible debentures to Equity Shares	6,526	2.00	3.00	19,578.00
July 1, 1989	Conversion of fully convertible debentures to Equity Shares	20,000	2.00	3.00	60,000.00
December 1, 1993	Bonus issue	16,250	2.00	Nil	Nil
October 3, 1996	Rights issue	12,805	2.00	16	2,04,880.00
December 1, 1998	Bonus issue	61,555	2.00	Nil	Nil
T	otal	1,17,136			60

23) Boxcare Packagings Pvt. Ltd

22) Namelac Chemicale Dut Ltd

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
January 16, 1986	Subscription in IPO	1,500	2.00	2.00	3,000.00
January 1, 1989	Conversion of fully convertible debentures to Equity Shares	750	2.00	3.00	2,250.00
July 1, 1989	Conversion of fully convertible debentures to Equity Shares	250	2.00	3.00	750.00
December 1, 1993	Bonus issue	1,250	2.00	Nil	Nil
October 3, 1996	Rights issue	665	2.00	16.00	10,640.00
December 1, 1998	Bonus issue	4,415	2.00	Nil	Nil
Т	otal	8,830			

Date of Nature of Transaction Transaction		No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)	
June 2, 2011	Market Purchase	1,000	2.00	123.22	12,322.00	
Total		1,000	9			

25) Vibha Anupam Mehta

Date of Nature of Transaction Transaction		No. of Equity Shares			Total Consideration (₹)	
June 16, 2011	Market Purchase	500	2.00	130.37	65,185.00	
June 17, 2011	Market Purchase	500	2.00	128.36	64,180.00	
	Total	1,000			4:	
26) Nitin Chandra	Doshi	A			1.	
		No of	Face	Issue/ Acquisition	Total	

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
January 1, 1989	Conversion of fully convertible debentures to Equity Shares	5,870	2.00	3.00	17,610.00
July 1, 1989	Conversion of fully convertible debentures to Equity Shares	18,750	2.00	3.00	56,250.00
December 1, 1993	Bonus issue	34,500	2.00	Nil	Nil
October 3, 1996	Rights issue	27,190	2.00	16.00	4,35,040.00
December 1, 1998	Bonus issue	1,30,690	2.00	Nil	Nil
March 2, 2012	Transmission	4,735	2.00	Nil	Nil
Т	otal	2,21,735			

Face

Value

Issue/ Acquisition

Price per Equity

Shares (3) Share (₹) November 4, 2016 Market Purchase 500 2.00 363.60 6,460 2.00 December 6, 2018 Transmission Nil 6.960 Total

Equity

28) Jay Bharat Mehta (Held for Pallavi Bharat Mehta Family Foundation)

Date of Transaction | Nature of Transaction

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (₹)	Issue/ Acquisition Price per Equity Share (₹)	Total Consideration (₹)
September 7, 2009	Gift Received	800	2.00	Nil	Nil
T	otal	800	11000000	3600	3000

9. NO DEFAULTS

The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposits or interest thereon, redemption of debentures or preference shares or payment of dividend to any shareholder, or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or banks.

10. THE BOARD HAS CONFIRMED THAT IT HAS MADE FULL ENQUIRY INTO THE AFFAIRS AND PROSPECTS OF THE COMPANY AND HAS FORMED THE OPINION THAT:

That immediately following the date of the Board Meeting i.e., November 12, 2019, there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

b) That as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board Meeting i.e., November 12, 2019, and having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the

In forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013 or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (including prospective and contingent liabilities)

1. REPORT ADDRESSED TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE COMPANY AUDITOR

The text of the report dated November 12, 2019 received from DNV & Co. Chartered Accountants, the Statutory Auditors of the Company and the Statement of computation of permissible capital payments for the proposed Buy-back of Equity Shares of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below.

Ref No: DV/ AU-190/2019-20/055

The Board of Directors

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

4º Floor, Neelam Centre, B Wing, Hind Cycle Road, Worli, Mumbai 400 030, Maharashtra, India. Dear Sir /Madam,

Sub: Statutory Auditor's Report in respect of proposed buyback of equity shares by J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited ("the Company") in terms of the Schedule II read with clause (xi) of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 (as amended) (the "Buy-back Regulations").

- This Report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated November 8, 2019
- The Board of Directors of the Company have approved a proposal for buy-back of Equity Shares by the Company at its meeting held on November 12, 2019 in pursuance of the provisions of Section 68, 69 and 70
- of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Buy-back Regulations. We have been requested by the Management of the Company to provide a report on the accompanying Statement of permissible capital payment ("Annexure A") as at March 31, 2019 (hereinafter referred as the "Statement"). This Statement has been prepared by the Management of the Company, which we have initialed for identification purposes only.

Management's Responsibility for the Statement

- The preparation of the Statement in accordance with Section 68(2) of the Act and in compliance with the Buy-back Regulations, is the responsibility of the Management of the Company, including the computation of the amount of the permissible capital payment, the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances. Auditors Responsibility
- Pursuant to the requirements of the Buy-back Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance that:

- We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone and consolidated financial statements as at March 31, 2019;
- the amount of permissible capital payment for the proposed buyback of equity shares as stated in Annexure A, has been properly determined considering the audited standalone and consolidated financial statements as on March 31, 2019 in accordance with the provisions of Section 68(2) of the Act; and
- iii. If the Board of Directors of the Company, in their meeting held on November 12, 2019 have formed the opinion as specified in Clause (x) of Schedule I to the Buy-back Regulations, on a reasonable grounds that the Company having regard to its state of affairs will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of board meeting held to consider the proposal of Buy-back of Equity Shares.
- The audited standalone and consolidated financial statements for the financial year ended on March 31, 2019 had been audited by us and is in compliance with the provisions of Section 129 of the Companies Act, 2013 and the financial statements of the Company meet the requirement of Schedule III of the Companies Act, 2013, on which we had issued an unmodified audit opinion, vide our audit report dated May 21, 2019. Our audits of these standalone and consolidated financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing, as specified under Section 143 of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.
- 7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

Based on enquiries conducted and our examination as above, we report that:

- We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone and consolidated financial statements for the Financial year ended on March 31, 2019 which has been approved by the Board of Directors of the company on May 21, 2019;
- The amount of permissible capital payment towards the proposed buy-back of equity shares as computed in the Statement attached herewith as Annexure A, in our view has been properly determined in accordance with section 68(2) of the Act. The amount of share capital and its free reserves (including securities premium) have been extracted from the audited standalone and consolidated financial statements of the company as at and for the year ended on March 31, 2019;
- iii. the Board of Directors of the Company, in their meeting held on November 12, 2019 have formed their opinion as specified in Clause (x) of Schedule I to the Buy-back Regulations, on a on a reasonable grounds that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing the Board Meeting resolution November 12, 2019.

Restriction on Use

 This report has been issued at the request of the Company solely for use of the Company (i) in connection with the proposed buy-back of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Act and the Buy-back Regulations, (ii) to enable the Board of Directors of the Company to include it in the Public Announcement, draft letter of offer, letter of offer and other documents pertaining to buyback to be sent to the Shareholders of the Company or filed with (a) the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India ,stock exchanges, public shareholders and any other regulatory authority as per applicable law and (b) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (iii) for providing to the Manager, each for the purpose of extinguishment of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Sections 68 and other applicable provisions of the Act and the Buy-back Regulations and may not be suitable for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

> For, DNV & Co Chartered Accountants

ICAI Firm Registration Number: 102079W **CA Bharat Jain**

Place of Signature : Mumbai Date: November 12, 2019

Membership Number: 100583 UDIN: 19100583AAAAGL9533

Annexure A

Statement of determination of the permissible capital payment towards Buy-back of Equity Shares ("the

		Standalone		Consolidated	
	Particulars	Amount (₹ in crores)	Amount (₹ in crores)	Amount (₹ in crores)	Amount (₹ in crores)
A	Paid up equity share capital and free reserves as at March 31, 2019, based on the audited standalone and consolidated financial statements of the Company				
	Total paid up Equity Share Capital		16.05		16.05
	Free Reserves, comprising	200-000		50000000	
	- Securities premium account	49.46		50.77	
	- General reserve	304.45		291.24	
	 Surplus in the statement of profit and loss (excluding unrealized gain (net) of ₹ 74.56 Crores (Standalone) and ₹ 74.85 Crores (Consolidated). 	1,023.03	1,376.94	1,027.58	1,369.59
	Total Paid Up Equity Share Capital and Free Reserves		1,392.99		1,385.64
В	The amount of Maximum Permissible Capital Payment towards the Buyback being lower of standalone and consolidated amount :				
	a). Permissible capital Payment towards Buy-back of Equity Shares in accordance with Section 68(2) of the Companies Act, 2013 (25% of paid up equity capital and free reserves)		348.25		346.41
	 b). Permissible <u>Number</u> of Equity Shares eligible for Buy-back in accordance with Section 68(2) of the Companies Act, 2013 (25% of number of paid up equity capital) (Nos.) 		2,00,59,160		2,00,59,160
	c). 10% of Total Paid Up Equity Share Capital and Free Reserves as at March 31, 2019, and		139.30		138.56
	d). Amount approved by the Board of Directors at their meeting held on November 12, 2019	130.00			

For, J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited Jyotindra B Mody Pranabh Dinesh Mody Chairman & Managing Director President & Whole time Director (Operations) (DIN: 00035505)

(DIN: 00034851) Place: Mumbai

Date: November 12, 2019

Total

Consideration

(₹)

1,81,630

Nil

Un-Quote

12. RECORD DATE AND SHAREHOLDERS' ENTITLEMENT

- 12.1 The Board has fixed Friday. November 22, 2019 as the Record Date for the purpose of determining the entitlement and the names of the equity shareholders who are eligible to participate in the Buy-back Offer ("Eligible
- 12.2 In due course, Eligible Shareholders will receive a Letter of Offer along with a Tender/Offer Form indicating their entitlement for participating in the Buy-back. Even if Eligible Shareholder does not receive the Letter of Offer along with a Tender/Offer Form, the Eligible Shareholder may participate and tender shares in the Buy-back.
- 12.3 The Equity Shares to be bought back as part of the Buy-back are divided in two categories: a. Reserved category for Small Shareholders; and

General category for all other Eligible Shareholders.

- 12.4 As defined in the Buy-back Regulations, a "Small Shareholder" is a shareholder who holds shares whose market value, on the basis of closing price of shares on the recognized stock exchange, in which highest trading volume in respect of such shares is recorded on the record date, is not more than ₹ 2,00,000 (Rupees Two Lakhs). For the purposes of classification of a shareholder, as a "small shareholder", multiple demat accounts having the same permanent account number ("PAN"), in case of securities held in the demat form are to be clubbed together.
- In accordance with Regulation 6 of the Buy-back Regulations, 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to Buy-back or number of Equity Shares entitled as per the shareholding of Small Shareholders, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders as part of this Buy-back.
- On the basis of the shareholding as on the Record Date, the Company will determine the entitlement of Eligible Shareholders, including Small Shareholders, to tender their Equity Shares in the Buy-back Offer. This entitlement for each shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective shareholder on the Record Date and the ratio of the Buy-back applicable in the category to which such shareholder belongs. The final number of Equity Shares that the Company will buyback from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered. Accordingly, the Company may not buyback all of the Equity Shares tendered by Eligible Shareholders.
- In order to ensure that the same Eligible Shareholder with multiple demat accounts/folios does not receive a higher entitlement under the Small Shareholder category, the Company will club together the Equity Shares held by such Eligible Shareholders with a common PAN for determining the category (Small Shareholder or General) and entitlement under the Buy-back. In case of joint shareholding, the Company will club together the Equity Shares held in cases where the sequence of the PANs of the joint shareholders is identical. In case of Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form, where the sequence of PANs is identical or where the PANs of all joint shareholders are not available, the Company will check the sequence of the names of the joint holders and club together the Equity Shares held in such cases where the sequence of the PANs andname of joint shareholders are identical.
- The shareholding of institutional investors like mutual funds, pension funds/trusts,insurance companies etc., with common PAN will not be clubbed together for determining the category and will be considered separately where these Equity Shares are held for different schemes and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the registrar to the Buyback ("Registrar") as per the shareholder records received from the Depositories. Further, the Equity Shares held under the category of clearing members' or 'corporate body margin account' or 'corporate body-broker' as perthe beneficial position data as on the Record Date with common PAN are not proposed to be clubbed together for determining their entitlement and will be considered separately, where these Equity Shares are assumed to be held on behalf of clients.
- After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the Buy-back by shareholders in that category, and thereafter from shareholders who have tendered over and above their entitlement in other category.
- 12.10 The participation of the Eligible Shareholders in the Buy-back is voluntary. Eligible Shareholders may also tender a part of their entitlement. Eligible Shareholders also have an option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation by some other Eligible Shareholders, if any. If the Buy-back entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of Buy-back entitlement to tender Equity Shares in the Buy-back.
- 12.11 The maximum number of Equity Shares that can be tendered under the Buy-back Offer by any Eligible Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the equity shareholder as on the Record Date. The Equity Shares tendered as per the entitlement by Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company as well as additional shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in Buy-back Regulations. The settlement of the tenders under the Buy-back Offer will be done using the "Mechanism for acquisition of shares

through Stock Exchange" notified by SEBI Circulars, as may be amended from time to time and other relevant rules and regulations.

- 12.12 The Buy-back from non-resident members, Overseas Corporate Bodies (OCBs) and Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors (FPIs) and members of foreign nationality, if any, etc. shall be subject to such approvals as are required including approvals from the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules, regulations framed there under, if any.
- 12.13 Detailed instructions for participation in the Buy-back Offer as well as the relevant schedule of activities will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to the Eligible Shareholders.
- 13. PROCESS AND METHODOLOGY FOR THE BUY-BACK
- 13.1 The Buy-back shall be open to all Eligible Shareholders, holding Equity Shares in demat form as on the Record Date
- 13.2 The Buy-back Offer will be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" devised pursuant to SEBI Circulars and following the procedure prescribed in the Act and the Buy-back Regulations and as may be determined by the Board (including any person authorized by the Board to complete the formalities of the Buy-back Offer) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.
- 13.3 For implementation of the Buy-back, the Company has appointed FRR Shares and Securities Limited as the registered broker to the Company (the "Company's Broker") who will facilitate the process of tendering Equity Shares through Stock Exchange Mechanism for the Buy-back Offer and through whom the purchases and settlement on account of the Buy-back Offer would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

Name: FRR Shares and Securities Limited

Address: 103/C. Mittal Tower, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Contact Person: Mr. Nitin Lakhotia | Tel.: 022-40238744 Email: nitin.lakhotia@frrshares.com | Website: www.frrshares.com

SEBI Registration Number: INZ000279232 (BSE) Corporate Identity Number: U67100MH2010PLC204251

13.4 For the purpose of this Buy-back, BSE will be the Designated Stock Exchange. The Company will request BSE to provide the facility of acquisition window to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Buy-back Offer. The details of the platform will be as specified by BSE from time to time. In case Eligible Shareholder's broker is not registered with BSE, Eligible Shareholder may approach Company's Broker to place its bid.

13.5 During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stock brokers ("Seller Member") during normal trading hours of the secondary market. In the tendering process, the Company's Broker may also process the orders received from the Eligible Shareholders. The Seller Member can enter orders for shares held in Demat Shares.

13.6 Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in the dematerialised form:

13.6.1. Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares held by them in the dematerialised form under Buy-back Offer would have to do so through their respective Seller Member by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Buy-back. 13.6.2. The Seller Member would be required to transfer the tendered Equity Shares to a special account of the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") specifically created for the purpose of

Buy-back Offer ("Special Account") by using settlement number through the early pay in mechanism of Depositories and the same shall be validated at the time of order entry. The details of settlement number and the Special Account shall be informed in the issue opening circular that will be issued by BSE or Clearing Corporation prior to placing bid by Seller Member. 13.6.3. For custodian participant orders for demat Equity Shares, early pay-in is mandatory prior to confirmation of order by custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of

trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation. 13.6.4. Upon placing the order, the Selling Member shall provide Transaction Registration Slip ('TRS') generated

by the exchange bidding system to the Eligible Seller on whose behalf the order has been placed. TRS will contain details of order submitted like Bid ID No., DP ID, Client ID, no. of Equity Shares tendered, etc. 13.6.5. Modification/ cancellation of orders will be allowed during the tendering period of the Buy-back. Multiple

bids made by a single Eligible Shareholder for selling the Equity Shares shall be clubbed and considered

as "one bid" for the purposes of acceptance. 13.6.6. The cumulative quantity tendered shall be made available on the website of BSE i.e., www.bseindia.com throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

Note for Eligible Shareholders holding Equity Shares in the physical form: As per the proviso to regulation 40(1) of the Listing Regulations, as amended from time to time, read with press release dated March 27, 2019 issued by SEBI, post April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialised

form with a depository. THEREFORE, ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM ARE REQUIRED TO GET THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED BEFORE TENDERING THEIR EQUITY SHARES IN THE BUY-BACK.

14. METHOD OF SETTLEMENT

14.1 Upon finalization of the basis of Acceptance as per the Buy-back Regulations, the settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market and as intimated by the

Clearing Corporation from time to time. 14.2 The Company will transfer the consideration pertaining to the Buy-back to the Clearing Corporation's bank account through the Company's Broker as per the secondary market mechanism, as per the prescribed schedule. For demat Equity Shares accepted under the Buyback, the Clearing Corporation will make direct funds pay-out to the respective Eligible Shareholders. If bank account details of any Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form are not available or if the fund transfer instruction is rejected by the Reserve Bank of India or relevant Bank, due to any reasons, then the amount payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to the such Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form.

14.3 In case of certain client types viz. NRI, foreign clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Selling Member's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder's account. For this purpose, the client type details would be collected from the Depositories, whereas funds payout pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by the Designated Stock Exchange and the Clearing Corporation from time to time.

14.4 The Equity Shares bought back in the dematerialized form would be transferred directly to the escrow demat account of the Company ("Company Demat Escrow Account") provided it is indicated by the Company's Brokers or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Escrow Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of the Designated Stock Exchange.

14.5 Excess Equity Shares or unaccepted Equity Shares, in dematerialised form, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be transferred by the Clearing Corporation directly to the respective Eligible Shareholder's DP account. If the securities transfer instruction is rejected in the Depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the Seller Member's depository pool account for onward transfer to the respective Eligible Shareholder. The shareholders of the demat Equity Shares will have to ensure that they keep the DP account active and unblocked to receive credit in case of return of demat

Equity Shares, due to rejection or due to non-acceptance in the Buy-back Offer. 14.6 The Seller Member would issue contract note for the Equity Shares accepted under the Buy-back. The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under

14.7 Equity Shareholders who intend to participate in the Buy-back should consult their respective Seller Member for payment to them of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Member for tendering Equity Shares in the Buy-back (secondary market transaction). Therefore, the Buy-back consideration received by the selling Eligible Shareholders, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage). The Manager to the Buy-back Offer and the Company accept no responsibility to bear or pay any additional cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) levied by the Seller Member, and such costs will be borne solely by the Eligible Shareholders

COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Compliance Officer of the Company for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours between i.e. 10.00 AM Indian Standard Time (IST), to 5.00 PM IST. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Mr. Mayur Mehta

Company Secretary & Vice President-Compliance J. B. Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Address: Cnergy IT Park, Unit A2, 3rd floor, Appa Saheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India | Phone: 91-22-2439 5200 / 2439 5500 | Fax: 91-22-2431 5331 / 2431 5334; Email: secretarial@jbcpl.com | Website: www.jbcpl.com

REGISTRAR TO THE BUY-BACK / INVESTOR SERVICE CENTRE

In case of any queries, Eligible Shareholders may also contact the Registrar to the Buy-back during office hours between i.e. 10.00 AM IST to 5.00 PM IST on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

LINK Intime

Link Intime India Private Limited

Address: C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai - 400 083, Maharashtra, India. Tel. No.: +91 22 4918 6200 | Fax: + 91 22 4918 6195

Email: jbchem.buyback2019@linkintime.co.in | Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande

SEBI Registration Number: INR000004058 | Validity: Permanent

CIN: U67190MH1999PTC118368 MANAGER TO THE BUY-BACK

VIVRO

Vivro Financial Services Private Limited

Address: 607, 608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park, Off Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra, India.

Tel.:+91 22 6666 8040 / 41 / 42 | Fax: +91 22 6666 8047

E-mail: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net Contact Person(s): Mr. Harish Patel/ Mr. Yogesh Malpani

SEBI Registration Number: INM000010122 | Validity: Permanent CIN: U67120GJ1996PTC029182

DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

Sd/-Sd/-Jyotindra B Mody Pranabh Mody **Managing Director** President & Whole time Director (Operations) (DIN: 00034851) (DIN: 00035505)

Mayur Mehta Company Secretary & Vice President-Compliance (Membership Number: ACS 8854)

Sd/-

Place: Mumbai

Date: November 13, 2019